सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

वामपंथी नेतृत्व वाली सरकारों की रक्षा करो

मई विशेषांक

हमारा विश्वास है

★ केवल एक राज्य के आंदोलनकारी यह फैसला नही कर सकते कि कौन विदेशी है. इसका फैसला राष्ट्रीय स्तर पर सभी पार्टियों की सहमति के साथ केवल सरकार कर सकती है.

★ अल्पसंख्यकों का हर जगह हर राज्य में सुरक्षा का मूल अधिकार है. किसी के भी द्वारा इसे चुनौती दिए जाने का कोई कारण नही हो सकता. भारत के नागरिक की हैसियत से हम मनचाहे किसी भी राज्य में रह सकते हैं.

★ कोई भी अकेला राज्य अपने प्राकृतिक साधनों का फायदा उठाने वाला एकमात्र होने का दावा नही कर सकता. हर भारतीय का उनपर अधिकार है.

—पश्चिम बंगाल सरकार

वामपंथी नेतृत्व की सरकारों की रक्षा करो

—बी. टी. रणदिवे, अध्यक्ष सीटू

तीन अप्रैल के दिन सीटू व सी. पी. आई. (एम) के नेतृत्व में तथा अन्य सहयोगी ट्रेड यूनियन संगठनों व राजनीतिक दलों के सहयोग से पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग ने राज्य के आर्थिक व सामाजिक जीवन को तहस-नहस करने के कांग्रेस (इ) के षड्यंत्र को नाकाम बनाया व इस प्रकार वामपंथी मोर्चा सरकार में अपने विश्वास को दोहराया.

कांग्रेस (इ) द्वारा हड़ताल के आह्वान के बावजूद सभी उद्योगों, खदानों व संस्थानों में काम सामान्य दिनों की भांति चलता रहा. कांग्रेस (इ) के नापाक इरादों को बेनकाब कर पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग ने अपनी राजनीतिक बुद्धिमता व जनवाद के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया.

देश भर के मजदूर वर्ग को पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग द्वारा अर्जित इस जीत के महत्व को भली प्रकार समझना चाहिए.

इंदिरा गांधी द्वारा दुबारा सत्ता में आ जाने के बाद से देश में जनतंत्र व अधिनायकवाद की प्रतिनिधि शक्तियों के बीच संघर्ष जारी है. 1980 के संसदीय चुनावों में पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा राज्यों में अधिनायकवादी शक्तियों की करारी हार हुई. इसी वर्ष केरल की राज्य विधान सभा के चुनावों में भी इसे हार का मुंह देखना पड़ा. पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा के संसदीय चुनावों में कांग्रेस (इ) की करारी हार का एक नतीजा यह हुआ कि इन दो राज्यों में वामपंथी बहुमत वाली राज्य विधान सभाएं स्थिर हो गई तथा वामपंथी मोर्चा सरकारों को बल मिला.

इस कारण जनवरी 1980 के बाद से ही कांग्रेस (इ) इन तीन वामपंथी मोर्चा सरकारों को परेशान करने व गिराने में लगी हुई हैं जो कि जनवाद के प्रहरी के रूप में काम कर रही हैं. कांग्रेस (इ) यह भली प्रकार समझती है कि इन तीन सरकारों को गिराए बिना अधिनायकवाद का रास्ता साफ नहीं हो सकता.

भारत का मजदूर वर्ग, जिसे एमर्जेंसी के दौरान यातनाओं का शिकार होना पड़ा था तथा जिसकी हैसियत बिना किसी अधिकार लिए एक गुलाम के समान हो गई थी, अधिनायकवाद की चुनौतियों को नजरदांज नहीं कर सकता और मजदूर वर्ग को इन चुनौतियों को धराशयी करने तथा तीनों वामपंथी सरकारों की सुरक्षा व इन्हें बनाए रखने के लिए हर कोशिश अवश्य करनी चाहिए.

रास्ते का रोड़ा

वामपंथी मोर्चा सरकारों को गिराने के लिए इतनी तत्परता दिखाने का क्या कारण है? कारण स्पष्ट है— गहराते आर्थिक संकट के कारण इंदिरा गांधी की सरमाएदार-भूस्वामी परस्त सरकार मजदूर वर्ग, किसानों, कर्मचारियों व मेहनतकश लोगों के अन्य तबकों पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है. आर्थिक संकट का भार इन लोगों पर डालकर यह बड़े पूंजीपतियों व भूस्वामियों के मुनाफों को सुरक्षित रखना चाहती है.

ग्राम जनता को लूटने के लिए व उनकी क्रय शक्ति भी निजी स्वार्थों के साथ बेचने के लिए सरकार ने अनियंत्रित कीमतों का शासन थोप दिया है जिसने बेतहाशा कठिनाइयों के बीज बो दिए हैं.

इस के विरोध में बढ़ रहे असंतोष व गुस्से का और जनता व मजदूर वर्ग के जनवादी अधिकारों का दमन किया जाता है और यह दमन अधिनायकवादी शासन की स्थापना के लिए जरूरी हो जाता है. इन हालात में वामपंथी मोर्चा सरकारें जनता के जनवादी अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती हैं, आर्थिक संकट का भार आम आदमी के कंधों पर डालने के उद्देश्य से पूंजीपतियों भूस्वामियों को दी जा रही खुली छूट का विरोध करती है तथा जनता में वामपंथी नीतियों के लिए व्यापक जन-आधार तैयार करती है. वामपंथी मोर्चा सरकारों द्वारा किए जा रहे ये कार्य अधिनायकवादी शासन के रास्ते में रोड़ा बन जाते हैं.

कांग्रेस (इ) और इसकी सरकार इन कारणों से अपना गुस्सा वामपंथी मोर्चा सरकारों पर केंद्रित करती हैं. उन्हें बदनाम करती हैं व इन राज्यों में गड़बड़ फैलाती हैं ताकि उन्हें अस्थिर किया जा सके.

कांग्रेस (इ) सरकारों व वामपंथी मोर्चा सरकारों के दृष्टिकोण के बीच अंतर स्पष्ट है. कांग्रेस (इ) सरकारें पूंजीपतियों व भूस्वामियों के वर्गहितों की रक्षा करती हैं. वामपंथी मोर्चा सरकारें मजदूरों, किसानों, खेतिहर मजदूरों, कर्मचारियों, अध्यापकों आदि के हितों की रक्षा करती हैं.

मजदूर-विरोधी नीतियां

इंदिरा सरकार द्वारा मजदूरों के प्रति अपनाए जा रहे शत्रुतापूर्ण व दमनकारी रवैये का एक ताजा उदाहरण हड़ताली लोको कर्मचारियों से किया गया बर्ताव है. 1973 में लोको मजदूरों के साथ किए गए समझौते को सरकार ने पिछले 7 वर्ष से लागू नहीं किया है. जनता सरकार भी इस समझौते की अवहेलना करती रही, मजबूर होकर जब ये मजदूर हड़ताल पर गए तो इन्हें कुचल दिया गया. एक हजार से अधिक लोको मजदूर या तो बर्खास्त या मुअत्तिल किए गए और या उन्हें समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया.

इसी प्रकार सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों से किए गए समझौते को नकार दिया व हड़ताली मजदूरों के खिलाफ दमनकारी कदम उठाए. जीवन बीमा कर्मचारियों से किए गए समझौते का भी यही हाल हुआ तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बावजूद सरकार ने अब तक इन कर्मचारियों को

बोनस नहीं दिया गया है. अभी हाल में सरकार ने एक कानून पास किया है जो मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों को लगभग खत्म ही कर देता है.

मजदूर वर्ग पर किए जाने वाले हमले सरकार व मालिकों की दृढ़ निश्चयी कोशिशों को दर्शाते हैं जिससे बोनस के विलंबित मजदूरी के सिद्धांत को नकारा व खत्म किया जा सके. मजदूरों की यह एक बड़ी सैद्धांतिक जीत थी और अब इसे नकारने के प्रयत्न हो रहे हैं. उत्पादकता से जुड़े बोनस को मजदूरों के नए-नए हिस्सों से मनवाकर बोनस सिद्धांत को तहस-नहस किया जा रहा है. इस दिशा में पहला विश्वासघात तब हुआ जब रेलवे मजदूरों के प्रतिनिधि संगठनों आल इंडिया रेलवेमैंज फेडरेशन तथा नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन ने उत्पादकता से जुड़े बोनस को स्वीकार कर लिया. इसके बाद केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के कई संगठन इस जाल में फंस गए.

मजदूर वर्ग पर होने वाले हमले का दूसरा प्रहार बोनस मिलने के लिए वेतन की सीमा तय कर देना है. इसका तीसरा प्रहार महंगाई भत्ते पर कई प्रकार के अंकुश लगाने के इरादे हैं महंगाई भत्ते की मनमानी दर तय करना, महंगाई भत्ते पर सीमा थोप देना तथा एक निश्चित वेतन से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सुविधा से वंचित कर देना शामिल है. मजदूर वर्ग पर किए जाने वाले हमले का चौथा व अंतिम उदाहरण मजदूरी में किसी भी प्रकार की वृद्धि का विरोध करना है. इन नापाक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार एक के बाद एक समझौते को तोड़ रही है.

छठी पंचवर्षीय योजना में निहित आय व मजदूरी नीति सरकार के इरादों को स्पस्ट कर देती है. इस नीति से जाहिर होता है कि योजनाशास्त्री पूंजीपतियों व मजदूरों तथा भूस्वामियों व किसानों के बीच आमदनी के अंतर को कम नहीं करना चाहते हैं. वे एकाधिकारी घरानों व करोड़पतियों के मुनाफों को बचाने में जुटे हैं.

किंतु सरकार मजदूर व मजदूर के बीच मजदूरी के अन्तर को कम करने के लिए अवश्य तत्पर दीख पड़ती है. यह अंतर मजदूरी को बढ़ाने के बजाय अधिक मजदूरी कमाने वाले मजदूर की मजदूरी घटाकर कम किया जाता है. इसके अतिरिक्त सरकार के निर्देश हैं कि मजदूरी तब तक न बढ़ाई जाए जब तक मजदूर अधिक उत्पादन करके न दिखाएं दूसरे शब्दों में मजदूरी में वृद्धि को भी उत्पादकता से जोड़ा जा रहा है.हम सब जानते हैं मजदूरी के वर्तमान स्तर उत्पादकता के स्तर से नीचे हैं व हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते. किंतु योजना बनाने वालों की मांग है —जब तक मजदूर अधिक शोषण को स्वीकार नहीं करते तब तक उन्हें अधिक मजदूरी नहीं मिलेगी. इसके अतिरिक्त यदि मजदूर अधिक उत्पादन देता है तब भी उसकी मजदूरी तभी बढ़ाई जाएगी जब सारी अर्थव्यवस्था उत्पादकता में वृद्धि होगी, अधिक उत्पादन की मांग के साथ यह वेतनजाम की नीति है

कांग्रेस (इ) की राज्य सरकारें ऊपर बताई नीतियों पर अमल करते हुए मजदूरों के संघर्षों, विशेषकर सीटू यूनियनों, का दमन करती हैं. उत्तर प्रदेश सरकार एक के बाद एक हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर रही है. यह कानपुर तथा अन्य नगरों में मालिकों पर दबाव डालती है कि वे सीटू संबद्ध यूनियनों की मान्यता को रद्द कर दें हालांकि उन्हें मजदूरों को आम समर्थन प्राप्त है तथा कांग्रेस (इ) संबद्ध यूनियनों से समझौता करें जिन्हें मजदूरों का समर्थन प्राप्त नहीं है.

रामपुर में मालिकों ने स्वयं सरकार के इस निर्देश को मानने से इंकार कर दिया है कि कपड़ा मजदूरों को कानून-सम्मत मजदूरी दी जाए. किंतु इसके बावजूद सरकार मालिकों से मिलकर इन मजदूरों को भूखा मारने पर आतुर है जो पिछले चार महीनों से हड़ताल पर हैं अब सरकार ने निर्देश दिया है कि इस मामले में इंटक यूनियन से समझौता कर लिया जाए जो कि शुरू से ही इस संघर्ष में तोड़फोड़ कर मालिकों के हाथ मजबूत करने में लगी है. कुछ राज्यों में कांग्रेस (इ) सरकारों ने हड़ताली लोको कर्मचारियों के खिलाफ बदनाम राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश का भी प्रयोग किया है.

यह कांग्रेस (इ) की मजदूर-वर्ग विरोधी नीतियों का चेहरा है.

अन्य श्रेणियों पर हमले

मजदूर वर्ग की भांति जनता के अन्य-वर्ग जैसे छात्र, इंजीनियर, डाक्टर आदि भी कांग्रेस (इ) के दमन का शिकार बन रहे हैं. छात्रों व अन्यों पर लाठीचार्ज हुए, उनपर गोलियां चलाई गईं और कई जान से मारे गये. कांग्रेस (इ.) की राज्य सरकारों ने किसान जनता पर दमनचक्र चलाना आरंभ कर दिया है. किसानों ने कर्णाटक में संघर्ष किया व गोलियां खाईं. इस गोलीकांड में 12 से अधिक किसान मारे गए. किसानों पर गोली चलाने का श्रेय सबसे पहले कर्णाटक राज्य को जाता है और इस राज्य में अब भी यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है. पिछले सप्ताह निपानी में कुछ और किसान मौत के शिकार हो गए हैं.

इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी किसानों ने संघर्ष किया व इसके बदले में पाईं लाठियां, गोलियां व जेल. किसानों ने पंजाब व आंध्र प्रदेश में आंदोलन किया व दमन का सामना किया. इसके साथ-साथ महिलाओं व अन्य कमजोर तबकों पर अत्याचार बेरोक जारी हैं. हरिजन व आदिवासी महिलाओं पर पुलिस स्टेशनों के भीतर ही बलात्कार होते हैं. होमगार्ड और पुलिस-कर्मी मुफ्त खाने के लिए होटल लूटते हैं. ऐसे भी कई उदाहरण मिले हैं कि पुलिस-कर्मियों ने वासना व लूट के लिए खुद ही गांवों पर हमले किए हैं. हरिजनों पर अत्याचार जारी है और पुलिस से उन्हें संरक्षण नहीं मिलता. गुजरात में हाल ही के आरक्षण-विरोधी आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार करने के समाचार मिले हैं. किंतु कांग्रेस (इ) की राज्य सरकार ने उन्हें बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. सांप्रदायिक झगड़ों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं. ये सब अधिनायकवाद की शक्तियों की प्रगति के द्योतक चिह्न हैं.

दूसरी ओर हम वामपंथी मोर्चा सरकारों द्वारा शासित राज्यों की तस्वीर देखते हैं जो इससे विपरीत है.

जनतंत्र की खुली हवा

वामपंथी मोर्चा सरकारों ने ग्राम जनता के हितों के प्रति वफादारी का परिचय दिया है, उसके जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है व आर्थिक संघर्षों में शोषित वर्गों का साथ दिया है. केन्द्रीय सरकार द्वारा थोपी गई आर्थिक सीमाओं के भीतर काम करते हुए भी इन तीनों सरकारों ने ग्राम आदमी को न्याय देने व जनतंत्र बचाने का पूरा प्रयत्न किया है. उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तथा इस जैसे अन्य गैरकानूनी नजरबंदी कानूनों को लागू करने से इंकार कर दिया है.

वामपंथी मोर्चा द्वारा शासित राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यक व हरिजन सुरक्षित हैं. इन राज्यों में सांप्रदायिक झगड़े नहीं हुए हैं तथा विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग व एकजुटता के रूझानों में वृद्धि हुई है. हरिजनों पर अमानवीय अत्याचार नही होते. मजदूरों को हड़ताल पर जाने का हक सुरक्षित है. इन सरकारों ने राज्य सरकार कर्मचारियों को भी आंदोलन पर जाने का अधिकार दिया है. हड़ताली मजदूरों पर गोलियां नहीं चलाई जाती हैं. पूंजीपतियों के इशारों पर मजदूरों व जनता के आंदोलनों में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती है. किसानों व खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा की जाती है.

संक्षेप में, इन राज्यों की तमाम जनता जनतंत्र की खुली हवा में सांस लेती है.

जनता को राहत

वामपंथी मोर्चा सरकारों द्वारा ग्राम जनता के हित में लिए जा रहे कदमों से पूंजीपति-भूस्वामी वर्गों व उनके हितों की पोषक कांग्रेस (इ) व केंद्रीय सरकार बौखला गए हैं. उनकी नाराजगी का मुख्य कारण है कि ये सरकारें आर्थिक संकट का भार ग्राम जनता पर डालने की बजाए पूंजीवादी-भूस्वामी वर्ग की बिनाह पर उन्हें सहायता पहुंचाती हैं.

पश्चिम बंगाल के उदाहरण को ही ले लीजिए. कांग्रेस (इ) की नजरों में पश्चिम बंगाल की वामपंथी मोर्चा सरकार का मुख्य कसूर क्या है ? इसका कसूर है कि यह शोषित जनता को आर्थिक छूट देती है, उनकी रोजी-रोटी की रक्षा करती है तथा इन कदमों से ग्राम जनता में अपने आधार को दृढ़ कर राज्य में कांग्रेस (इ) द्वारा पुनः सत्ता में आने के सपनों को पूना नहीं होने देती.

वामपंथी मोर्चा सरकार की प्रेरणा व सीधे हस्तक्षेप से जूट सरमायेदारों ने मजदूरों को सही बोनस दिया; कपड़ा व इंजीनियरिंग उद्योगों के मजदूरों की सारी मांगें बिना आंदोलन चलाए मान ली गई, राज्य सरकार के कर्मचारियों को सभी जनतांत्रिक व ट्रेड यूनियन अधिकार दे दिए गए तथा राज्य सरकार व नगर निगम कर्मचारियों व अध्यापकों आदि के वेतन बढ़ाने के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें मान ली गई. 'आपरेशन बर्गा' से बटाईदारों को नया जीवन मिला तथा किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए विस्तृत भूमि कानून बनाया गया. छोटे किसानों के सरकारी ऋण माफ कर दिए गए. चार एकड़ की भीगी भूमि व छः एकड़ की सूखी भूमि को करमुक्त कर दिया गया. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया. 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक लागू किया गया. किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा प्रदान की गई. खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई तथा उनके लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को सख्ती से लागू किया गया.

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत हाल का बजट किसानों व ग्राम जनता के प्रति इस सरकार की सहानुभूति को दर्शाता है. छोटे किसानों के ऋणों को माफ कर उन्हें 40 करोड़ रुपये की छूट दे दी गई है. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, दवाइयों के लिए बिक्री कर में कमी करना तथा अध्यापकों, मजदूरों व कर्मचारियों के लिए अन्य कई प्रकार की छूटें इस बजट की विशेषताएं हैं.

पश्चिम बंगाल सरकार की ये उपलब्धियां पूंजीपतियों व भूस्वामियों की आंखों में दोषों की एक लंबी सूची है. इन शोषक वर्गों ने अपने गुस्से का इजहार कांग्रेस (इ) के माध्यम से 3 अप्रैल को राज्य में चलती ट्रामों व बसों पर बम फेंक कर अव्यवस्था व गड़बड़ी फैलाने के प्रयत्नों से किया.

इन वर्गों व इनके हितों की पोषक कांग्रेस (इ) का गुस्सा तब और भी बढ़ जाता है जब ये देखते हैं कि वामपंथी मोर्चा सरकार के जन-हितैषी कदमों से जनता वामपंथी पार्टियों के जन संगठनों की ओर अधिक संख्या में आकर्षित हो रही है. इस राज्य में सीटू की सदस्य संख्या 6.2 लाख, किसान सभा की 31.8 लाख, एस एफ आई की 2.4 लाख, डी वाई एफ की 5.1 लाख तथा महिला समिति की 5 लाख हो गई है. इस प्रकार 50 लाख से अधिक लोग विभिन्न जन संगठनों में गोलबंद हो गए हैं.

नापाक इरादे

जनता के विभिन्न जन संगठनों में संगठित होने का अर्थ है जनविरोधी नीतियों का विरोध. शोषक वर्ग इसे भला कैसे सहन कर सकते हैं ? केरल की वामपंथी जनवादी मोर्चा सरकार की उपलब्धियां भी इसी प्रकार की हैं. इस राज्य में भी मोर्चा सरकार की उपलब्धियों से परेशान होकर इंदिरा गांधी इस सरकार के खिलाफ जेहाद का नारा लगाती हैं. ऐसा करते हुए वह आर एस एस जैसे सांप्रदायिक संगठन से हाथ मिलाने में नहीं हिचकती. पिछले राज्य विधान सभा के चुनावों में कांग्रेस (इ) ने वामपंथी पार्टियों के मोर्चे को हराने के लिए आर एस एस के साथ चुनाव गठबंधन किया. आज जब आर एस एस राज्य में हत्या व आतंक का सिलसिला जारी रखे हुए हैं इंदिरा गांधी सी. पी. आई. एम. की ही आलोचना करती है व इसे उन घृणित कामों के लिए जिम्मेदार ठहराती है. इंदिरा गांधी मोर्चा सरकार में शामिल कुछ पार्टियों के ढुलमुलपने का फायदा उठाती है व इस सरकार को भीतर से तोड़ने का प्रयत्न करती है

जनसमर्थन की लहर

अपने हाल ही में प्रस्तुत बजट में केरल सरकार ने खेतिहर मजदूरों को पेंशन, बेरोजगारी भत्ता तथा पत्रकारों व सिनेमा कलाकारों के लिए पेंशन आदि के लिए 46.25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है.

फैक्ट्रियों, बागानों व बगीचों के 20 लाख मजदूरों को 71 करोड़ रुपये की वेतन-वृद्धि मिली है. सूचकांक समिति की सिफारिश के आधार पर जीवन सूचकांक निर्धारण की पद्धति में संशोधन किया गया जिसके परिणामस्वरूप लाखों मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में स्थायी वृद्धि हुई.

राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को केंद्रीय स्तर पर लाने के लिए पिछले वर्ष इसमें चार बार वृद्धि की गई. इसी प्रकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को दो बार बढ़ाया गया.

अब तक 37 लाख काश्तकारों को उस जमीन का मालिक बना दिया गया है जिसे वे जोतते थे.

साढ़ चार लाख झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को उन भूखंडों का स्वामित्व दे दिया गया जिन पर उन्होंने अपने छोटे-छोटे घर बनाए थे. उन छोटे भूस्वामियों, जिनकी भूमि काश्तकारों को दे दी गई, के लिए मुआवजे की रकम 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दी गई.

पिछले एक वर्ष में एक लाख से अधिक स्वामित्व दस्तावेज (टाइटल डीड्स) जारी किए गए जिनसे 20 हजार हरिजन तथा अन्य अनुसूचित जातियों के सदस्यों को लाभ पहुंचा. धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 140 रुपये प्रति क्विंटल तथा गन्ने का 180 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया.

पश्चिम बंगाल की भांति केरल में भी मोर्चा सरकार के इन प्रगतिशील कदमों से जनसंगठनों की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी हुई है. अब केरल में सीटू की सदस्य-संख्या 2 लाख 47 हजार, किसान सभा की सदस्य संख्या 3 लाख 36 हजार, खेतिहर मजदूरों के संगठन की सदस्य-संख्या 3 लाख 47 हजार, महिला संगठन की सदस्य-संख्या 2 लाख 67 हजार, जनवादी नौजवान सभा की सदस्य-संख्या 5 लाख 17 हजार तथा एस. एफ. आई. की सदस्य-संख्या 1 लाख 72 हजार हो गई है. इस प्रकार सभी जनसंगठनों की सदस्य संख्या 18.86 लाख है.

त्रिपुरा में राहत कार्य

त्रिपुरा की वामपंथी मोर्चा सरकार ने राज्य में भूमि संरक्षण व गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत एक वर्ष में औसतन 10 लाख मैनडेज पर काम हुआ. करों व ऋणों का बोझ काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है तथा शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया है. इससे कमजोर तबकों को लाभ पहुंचा है. ग्राम सभाओं के सहयोग से सरकार ने बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं को राज्य के हर कोने में पहुंचा दिया है जिससे कि गांव की जनता, जुलाहे, मछियारे, दूध वाले तथा कुटीर उद्योग धंधों में काम करने वाले लोग सूदखोरों, ठेकेदारों व भ्रष्ट व्यापारियों के चंगुल से बचें. राज्य में जूट मिल, कागज संयंत्र तथा पहली बार रबर प्लांटेशन आरंभ करके औद्योगीकरण की ओर कदम बढ़ाया गया है. जन जातियों के जीवन में सुधार करने के लिए उन्हें बैल, बीज, छात्रवृत्तियां, भूमि आदि देने की 5.5 करोड़ रुपये की एक योजना को लागू किया गया है. सरकार ने त्रिपुरी जाति के लोगों की भाषा 'कोकबरोक' को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है तथा उनके लिए स्वायत्त जिला काउंसिल बनाई है. त्रिपुरी लोगों के लिए एक अलग सहकारी विकास निगम बनाया गया है. साधनों की कमी के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को कई प्रकार से लाभान्वित किया गया है. वेतन आयोग की स्थापना की गई है. पश्चिम बंगाल व केरल की भांति इस राज्य में भी राज्य सरकार कर्मचारियों के संगठनों को सरकार ने मान्यता दे दी है. इस प्रकार जनता को आर्थिक लाभ पहुंचने के साथ-साथ उनके जनतांत्रिक अधिकारों को भी मजबूत बनाया जा रहा है.

जनतंत्र के प्रहरी

सीटू के उपाध्यक्ष व सी. पी. आई. एम. के पोलिटब्यूरो के सदस्य ज्योति बसु के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल, सी. पी. आइ. एम. की केंद्रीय समिति के सदस्य ई. के. नायनार के नेतृत्व में केरल सरकार व केंद्रीय समिति के ही एक अन्य सदस्य नृपेन चक्रवर्ती के नेतृत्व में त्रिपुरा सरकार ने ग्राम जनता की रोजी व जनतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने में आदर्श स्थापित किए हैं.

इन सरकारों की उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें देश में जनतंत्र का चौकस प्रहरी मानना उचित होगा. इसी कारण कांग्रेस (इ) पार्टी व केंद्रीय सरकार इन सरकारों पर अपने हमलों को केंद्रित कर रही हैं.

एकजुट संघर्ष

यह संघर्ष केवल केंद्रीय सरकार व वामपंथी मोर्चा सरकारों के बीच ही नहीं है. यह संघर्ष वास्तव में जनवाद व अधिनायकवाद की शक्तियों के बीच है.

यदि भारत का मजदूर वर्ग चाहता है कि वह अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों व अन्य सफलताओं को सुरक्षित रखे तथा लंबे संघर्षों के बाद मिलने वाली मजदूरी, महंगाई भत्ता, बोनस व अन्य लाभों को बचाए तो उसे इन सरकारों को गिराने के कांग्रेस (इ) के प्रयत्नों का जमकर विरोध करना होगा.

जनतंत्र की रक्षा के लिए भी यह आवश्यक है कि मजदूर वर्ग अपनी सारी शक्ति वामपंथी मोर्चा सरकारों की रक्षा करने में लगाए व अधिनायकवादी ताकतों की चुनौती का सामना करे.

सीटू अपनी सभी यूनियनों का आह्वान करती है कि वे मजदूरों को इन खतरों के प्रति आगाह करें तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य बिरादराना संगठनों को भी अपने साथ लें. भारत के जनतंत्र की रक्षा के लिए यह निहायत जरूरी है. □

सीटू का मई दिवस घोषणा पत्र—1981

मई दिवस, मजदूर वर्ग की एकजुटता का महान अंतर्राष्ट्रीय दिवस है. इस महान अवसर पर सीटू समाजवाद और विश्व शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ाने वाले शहीदों का गौरव के साथ स्मरण करती है और साम्राज्यवाद, नस्लभेद, यहूदीवाद के खिलाफ तथा विश्व शांति के पक्ष में लंबे व कठिन संघर्ष में लगे दुनियाभर के मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता का अभिनंदन करती है.

सीटू समाजवादी देशों के मजदूर वर्ग और जनता का दोस्ताना अभिनंदन करती है. समाजवादी निर्माण, जीवन स्तर में सुधार और बेरोजगारी के खात्मे की दिशा में उनकी आश्चर्यजनक सफलता पर सीटू उन्हें बधाई देती है. विकासशील देशों को उनसे मिलने वाली सहायता ने साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी शोषण के विरुद्ध और राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा आत्म-निर्भरता के लिए संघर्ष में मदद दी है. मई दिवस के मौके पर सीटू दृढ़तापूर्वक अंतर्राष्ट्रीयतावाद का झंडा बुलंद करती है और साम्राज्यवाद द्वारा पोलैंड में समाजवादी व्यवस्था को कमजोर करने की साजिशों की निंदा करती है तथा इन साजिशों को नाकाम बनाने की हर कोशिश का पूरा-पूरा समर्थन करती है.

सीटू पूंजीवादी देशों के मजदूर वर्ग को बधाई देती है जिसने एक ओर अपने जीवन स्तर की रक्षा दूसरी ओर बेरोजगारी के खिलाफ कठिन लड़ाइयां लड़ी हैं. विकासशील देशों की लूट के बावजूद इन देशों के इजारेदारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने मजदूर वर्ग पर हमला किया है. पिछले दो सौ सालों के दौरान अमरीका में वास्तविक मजदूरी में 10% कमी हुई है. ब्रिटेन, अमरीका और लगभग सभी पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी जिस स्तर पर पहुंच गयी है वह अब तक के इतिहास में बेमिसाल है. बेरोजगारी के खिलाफ और बेहतर जीवन स्तर के लिए उनके संघर्ष को सीटू पूरा समर्थन देती है.

सीटू भारत के मजदूर वर्ग और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा राष्ट्रीय फेडरेशनों का गर्मजोशी से अभिनन्दन करती है जिनके नेतृत्व में मजदूर वर्ग ने अपने काम करने की स्थितियों, जीवन स्थितियों और सामूहिक सौदे के अधिकार की रक्षा के लिए मजबूती के साथ एकजुट संघर्ष चलाया. सीटू, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा तथा दूसरे अनेक राज्यों के मजदूर वर्ग का खास तौर पर अभिनंदन करती है जो बहादुरी के साथ एक ओर इंदिरा कांग्रेसी, आर एस एस तथा नक्सली गुंडों और मैनेजमेंट के गुंडों के हमलों का सामना कर रहे हैं और दूसरी ओर श्रीमती गांधी की केंद्र सरकार के काले कानूनों का मुकाबला कर रहे है.

सीटू देशभर की किसान जनता तथा खेत मजदूरों और कृषि उत्पादन के लिए लाभकारी कीमतों तथा महंगाई पर रोक लगाने की मांगों पर उनके संघर्ष का नेतृत्व करने वाले किसान संगठनों का दोस्ताना गर्मजोशी के साथ अभिनन्दन करती है. सीटू उन सभी लोगों का अभिनंदन करती है, जिन्होंने सारी कठिनाइयों तथा बधाओं को पार करते हुए, 26 मार्च 1981 की ऐतिहासिक किसान रैली में हिस्सा लिया और राजधानी पर छा गये. इस ऐतिहासिक रैली ने इंदिरा कांग्रेसी शासकों के इस दावे का पर्दाफाश कर दिया कि वे तो किसानों के लिए सब-कुछ कर रहे हैं और मुट्ठीभर जमींदार और कुलक ही है जो समस्या खड़ी कर रहे हैं. देश में मजदूर-किसान एकता के दौर की शुरूआत करने के लिए, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, बगलौर, और देश के दूसरे हिस्सों के मजदूर वर्ग को खास तौर पर धन्यवाद दिया जाना चाहिए जिसने हड़ताल करके किसानों के संघर्ष के साथ एकजुटता का इजहार किया.

सामराजी साजिशें और युद्ध के खतरे

मई दिवस 1981 एक ऐसे मौके पर आ रहा है जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति खराब होती जा रही है और युद्ध का खतरा बढ़ रहा है. अमरीकी साम्राज्यवादियों ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है और उन्मादपूर्ण सैन्यीकरण में लगे हैं जिससे विश्व शांति के लिए खतरा पैदा हो गया है. सोवियत संघ तथा समाजवादी शिविर के विरुद्ध साम्राज्यवादी युद्धोन्माद फैला रहे हैं. अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका में बहुत क्रांतिकारी तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलनों को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और भारत जैसे देशों की स्वाधीनता तथा स्वतंत्रता को कमजोर कर रहे हैं. हमारे उपमहाद्वीप में युद्ध के बादल छाये हुए हैं क्योंकि हिंदमहासागर क्षेत्र में अमरीकी नौसेना का प्रभुत्व है और अमरीकी साम्राज्यवादी पाकिस्तान के फौजी शासन को हथियारों से लैस कर रहे हैं. ईरान में अपनी कोशिशों के नाकाम होने के बाद वे अब पश्चिमी एशिया में साजिशें रच रहे हैं और उन्होंने खाड़ी के देशों को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है.

सीटू पाकिस्तान के मेहनतकश वर्ग और जनता का दोस्ताना गर्मजोशी के साथ अभिनंदन करती है. जनतंत्र और पूर्ण ट्रेड यूनियन अधिकारों को नये सिरे से कायम करने के लिए वे तानाशाह शासन के खिलाफ जिस बहादुरी के साथ संघर्ष कर रहे हैं उस पर भारतीय मजदूर वर्ग को गर्व है. पाकिस्तान का फौजी शासक रोज व रोज देश की जनता से ज्यादा अलग-अलग पड़ते जा रहे हैं और इस महाद्वीप में युद्ध थोपने के लिए, अमरीकी फौजी सहायता पर अधिक से निर्भर होते जा रहे हैं. सीटू को विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान का मजदूर वर्ग एकजुट होकर साम्राज्यवादियों की

"एशियावासियों को एशियावासियों से लड़ाने" की साजिश को नाकाम कर देगा.

मई दिवस के इस मौके पर, सीटू भारत के मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह युद्धोन्मादियों की साजिशों के खिलाफ आवाज बुलंद करें और शांति तथा तनाव-शैथिल्य के लिए मजबूती से संघर्ष चलाए.

राष्ट्रीय अखंडता का खतरा

इस मई दिवस पर मजदूर वर्ग को इस बात का एहसास होना चाहिए कि सामराजी साजिशों ने देश की एकता के लिए खतरा पैदा कर दिया है. आज मजदूर वर्ग को, मेहनतकश जनता की एकता और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए, अपने दृढ़ निश्चय को स्वर देना चाहिए. असम में लंबे समय से जारी आंदोलन, त्रिपुरा के दंगों में नरसंहार, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में असंतोष और दूसरे क्षेत्रीयतावादी नारे— ये सभी चिंताजनक घटनाएं हैं क्योंकि इनके पीछे काम करनेवाली सामराजी साजिशों को आसानी से पहचाना जा सकता है. हमारे देश में विदेशियों का आकर बसना एक ऐसा मसला है जिस पर सभी समान रूप से चिंतित हैं. लेकिन, इन आंदोलनों के दौरान जो पृथकतावादी नारे दिये गये और जिस तरह की घृणित घटनाएं हुईं उसे गंभीरतापूर्वक लेने की जरूरत है. सीटू इस क्षेत्र के मजदूर वर्ग और यहां की जनवादी जनता को बधाई देती है जिसने सारे आक्रमणों के बावजूद राष्ट्रीय अखंडता का झंडा बुलंद रखा है और मजदूर वर्ग तथा जनवादी जनता की एकता को कायम रखा है. सीटू मांग करती है कि विकास के मामले में इस क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा और विदेशियों के आगमन से पैदा होनेवाली, जनता की जायज समस्याओं को बातचीत के जरिये हल किया जाए, न कि शासन के दमनतंत्र का मनमाना इस्तेमाल करके.

गहराता आर्थिक संकट

आर्थिक स्थिति में सुधार के लंबे-चौड़े दावों के बावजूद अर्थव्यवस्था का संकट लगातार गहरा होता जा रहा है. "काम करने वाली सरकार" और "कीमतों पर रोक" के सारे नारे बेमानी साबित हुए. कीमतें आसमान छू रही हैं. मार्च 1980 में थोक मूल्य सूचकांक 230 पाइंट था जो मार्च 1981 में बढ़कर 269.6 पाइंट पर पहुंच गया (आधार 1970-71-100).

छठी पंचवर्षीय योजना में जनता पर नये-नये बोझ लादे जा रहे हैं. खाद्यान्न पर दी जानेवाली इमदाद (सब्सीडी) खत्म की जा रही है और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाइयों से साधन जुटाने के नाम पर कीमतें बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, जबकि सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था को जारी रखे हुए है. अनेक चीजों की कीमतें पहले ही बढ़ायी जा चुकी हैं, बिजली, सिंचाई लेवी आदि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया जा रहा है.

रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों के मुताबिक, दिसंबर 1980 तक, बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ 62 लाख तक पहुंच चुकी थी जिनमें लगभग आधी संख्या शिक्षित बेरोजगारों की ही है. इसके बावजूद विश्व बैंक और सामराजियों के दबाव में भारत सरकार यंत्रीकरण और कंप्यूटराइजेशन को बढ़ावा दे रही है जिससे हजारों-हजार मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे. इस नीति के पहले शिकार बने हैं तंबाकू और माचिस उद्योग में लगे महिला और बाल श्रमिक. मशीनीकरण और स्वचालन की यह कोशिश हर क्षेत्र में हो रही है और इस तरह श्रमशक्ति पर खर्च बचाकर तथा मजदूरों में कटौती व हदबंदी थोप कर शासक वर्ग संकट का बोझ मजदूर वर्ग पर डालने की कोशिश कर रहे हैं.

सीटू मजदूर वर्ग का ध्यान खास तौर पर इस तथ्य की ओर खींचना चाहती है कि जहां जनता पर बेरोजगारी, महंगाई आदि मुसीबतें थोपी जा रही हैं वहां इजारेदार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां खूब फल-फूल रही हैं. 1972 से 78 के बीच हमारे देश के बीस इजारेदार घरानों की संपत्ति बढ़कर करीब दूनी हो गयी. योजना बनानेवालों ने कहा है कि "आय कर, निगम कर और संपत्ति कर के जरिये, अतिरिक्त साधन जुटाने की संभावना बहुत सीमित सी है." इससे साफ हो जाता है कि सरकार किस कदर इजारेदार परस्त है. टैक्सों की चोरी पर रोक लगाने के बजाय सरकार ने "विशेष धारक बांडों" की योजना के जरिये काला बाजारियों और मुनाफाखोरों को नयी रियायत दी हैं. इस स्थिति का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि छठी योजना करीब 10,000 करोड़ रु० के लिए विदेशी कर्जों पर निर्भर है. इसलिए, यह जानते हुए भी कि हमारी अर्थव्यवस्था पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का शिकंजा और कड़ा होता जायेगा, सरकार विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुली दावत दे रही है और नयी-नयी रियायतें दे रही है. ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां और खासतौर पर औषधि उद्योग की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश के नियमों का उल्लंघन करती रही हैं. हमारी जनता का शोषण करती रही हैं और हमारे साधनों को लूटती रही हैं. यही नहीं, ये कंपनियां हमारी शोध, विकास तथा आत्मनिर्भरता की हर कोशिश में अड़ंगा लगाने और विक्टमाइजेशन तथा ताला बंदी के जरिये ट्रेड यूनियन आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं. जबकि सरकार ने उनके सामने घुटने टेक रखे हैं.

इस मई दिवस पर सीटू मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह एकजुट होकर, सरकार की वित्तीय नीतियों में परिवर्तन के लिए शक्तिशाली संघर्ष चलायें और बहुराष्ट्रीय निगमों सहित इजारेदार घरानों के राष्ट्रीयकरण की मांग करें क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पर उनका शिकंजा हमारे विकास के रास्ते में दीवार बना हुआ है तथा आगे चल कर इससे देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है.

सीटू मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह इस बात को भी समझे कि पिछले तीस सालों से अधिकांश किसान

जनता के साथ धोखा किया जाता रहा है, जिसके पीछे मकसद यह था कि शहरों में जीवन मूल्य नियंत्रित रखा जा सके ताकि पूंजीपति अपने भारी भरकन मुनाफे बचाए रख सके आज किसान जनता लाभकारी कीमतों के सवाल पर आंदोलन में उतरी है और सारे दमन का सामना करते हुए कड़ी कढ़ाई में बनी है. मजदूर वर्ग को चाहिए कि वह किसानों के इस अमानवीय शोषन का विरोध करे, लाभकारी कीमतों के लिए उनके संघर्ष में उनका साथ दे तथा एकता की कार्रवाइयों के जरिये उनके साथ एकजुटता का इजहार करे और इस तरह मजदूर-किसान एकता कायम करे.

नये हमले और बढ़ता हुआ प्रतिरोध

इस मई दिवस पर सीटू मजदूर वर्ग का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहती है कि उनकी मजदूरी पर नये-नये हमले हो रहें हैं सबसे पहला हमला इस सिद्धांत पर हो रहा है कि बोनस "रुकी हुई मजदूरी" हैं रेलवे फेडरेशनों द्वारा "उत्पादन से जुड़ा हुआ वेतन" स्वीकार कर लेने के बाद से, सालों लंबे संघर्ष के बाद मजदूर वर्ग को हासिल हुई इस रणनीतिक जीत को, कि बोनस रूकी हुई मजदूरी है, हमले का निशाना बनाया जा रहा है. दूसरा हमला बोनस के हकदार मेहनतकशों पर आय सीमा थोपने की कोशिशों की शक्ल में आ रहा हैं. इस हमले का तीसरा पहलू है, मनमानी दर पर महंगाई भत्ते (डी ए), की भरपाई. डी ए पर सीलिंग और निश्चित आय स्तर से ऊपरवालों को इससे वंचित करने की कोशिश. इस हमले का आखिरी पहलू है, मजदूरी में किसी भी वृद्धि का विरोध. इसी मकसद से सरकार पिछले समझौतों को तोड़ रही है और सामूहिक सौदे की जड़ें काटने की कोशिश कर रही है. एल आइ सी, कर्मचारियों के सिलसिले में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानने से इनकार कर दिया और एक अध्यादेश जारी करके उनकी सेवा शर्तों, वेतन, बोनस आदि में मनमानी फेरबदल करने का अधिकार हासिल कर लिया है. आम बीमा (जी आइ सी) कर्मचारियों के साथ भी यही हुआ.

सीटू सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को बधाई देती है जिन्होंने एक पिछले समझौते को लागू कराने के लिए 77 दिन तक दृढ़तापूर्वक संघर्ष चलाया. सीटू 11 मार्च की देशव्यापी एकजुटता हड़ताल का भी अभिनंदन करती है तथा दस घंटे काम के पिछले समझौतों से मुकरने की सरकारी नीति और औरतों पर गुंडों के हमलों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे लोको कर्मचारियों को जिस भयानक दमन का शिकार बनाया गया वह इस बात की मिसाल है कि सरकार का रवैया किस कदर वहसियाना और अन्यायपूर्ण है. एल आइ सी कर्मचारी अपने वेतन, बोनस और सामूहिक सौदे के अधिकार की रक्षा के लिए, एक कठिन लड़ाई में लगे हुए है. वह सिर्फ उनकी अपनी लड़ाई नहीं है बल्कि यह सारे के सारे मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियन अधिकार की रक्षा की लड़ाई है. सीटू मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह अपनी मजदूरी की रक्षा और बोनस को तब तक "रुका हुआ वेतन" मानने के लिए, जब तक के न्यूनतम मजूरी जीवन वेतन के बराबर नहीं हो जाती, संघर्ष चलाये.

बर्बर दमन और फूट डालने की नीति

बढ़ते हुए संघर्ष की लहरों पर काबू पाने के लिए सरकार ने संघर्षों पर बर्बर दमन का सिलसिला शुरू कर दिया है. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के रूप में एमर्जेंसी के बीच में मीसा का बदला हुआ रूप पुनः कानून की किताब में दर्ज किया जा चुका है. इस काले कानून के तहत संघर्षरत लोको कर्मचारियों की गिरफ्तारी से सरकार के इस दावे का पर्दाफाश हो गया है कि जनवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया जायगा. तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर मजदूरों को इंटक की यूनियनों द्वारा किये गये समझौते मानने पर विवश करने का यत्न किया जा रहा है. अंधाधुंध मारपीट गिरफ्तारियों तथा मजदूरों पर फायरिंग और उनकी महिलाओं पर बलात्कार रोजमर्रा की चीजें बन गयी हैं.

इन तमाम तरीकों के साथ ही मजदूर वर्ग में फूट डालने के लिए भी अनेक तरीके अपनाये जा रहे हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के संघर्ष के दौरान तमिल और मलयाली मजदूरों के खिलाफ निकाला गया पोस्टर मजदूरों को विभाजित करने तथा उन्हें आतंकित करने का नवीनतम तरीका है. सांप्रदायिक दंगे जारी हैं—जिनसे सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम अल्पसंख्यकों को होता है. इसी प्रकार, हरिजनों-गिरिजनों के खिलाफ जातिवादी भावनाएं भड़काने तथा शोषित तबकों के संयुक्त आंदोलन के विकास में गतिरोध पैदा करने के प्रयास भी बड़ी बेताबी से जारी हैं. दुर्भाग्य की बात है कि विपक्षी पार्टियों का एक तबका और उसके जन संगठन भी अपने संकीर्ण दलगत स्वार्थों के कारण फूट डालने की नीति का समर्थन कर रहे हैं. इस तरह, वे सरकार की नीतियों के खिलाफ एक सशक्त संयुक्त आंदोलन विकसित करने की आवश्यकता को कम करके आंक रहे हैं जब कि सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण अमीर और अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब और अधिक गरीब. इसकी पुष्टि इस तथ्य से हो जाती है कि 1968 में कुल राष्ट्रीय संपदा में जहां निचले 50% लोगों का हिस्सा 19% था वहीं 1975-76 में यह हिस्सा घटकर सिर्फ 7% रह गया.

दरकार है एकता की

फूट डालने की कोशिशों और बर्बर दमन के बावजूद जन प्रतिरोध बढ़ रहा है. सीटू सारे मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वे इन तमाम बातों पर गौर करते हुए आनेवाली बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार रहें. साथ ही, उनके सामने यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इन लड़ाइयों के दौरान उन्हें तानाशाही ताकतों के दमनचक्र का मुकाबला करना होगा. सरकार की नीतियों में बदलाव के लिए संघर्ष के क्षेत्र में नये तबकों के शामिल होने का सिलसिला जारी है.

एकजुटता का नया एहसास पैदा हो रहा है. सीटू विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा राष्ट्रीय फेडरेशनों के नेताओं को बधाई देती है कि वे एक-दूसरे के करीब आये और उन्होंने सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों तथा महंगाई के खिलाफ एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान किया. इस कदम की सराहना करने के साथ ही सीटू पूरी निष्ठा के साथ अपने इस आह्वान को दोहराती है कि मजदूरों और कर्मचारियों के तमाम केंद्रीय संगठनों का एक कनफेडरेशन बनाया जाय, क्योंकि हालात का तकाजा यह है कि जीवन स्तर, ट्रेड यूनियन अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्थिति की निरंतर समीक्षा और संघर्ष के लिए सर्वसम्मत फैसले हों. इस मई दिवस के अवसर पर सीटू मजदूर वर्ग को एकजुट करने के काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लेती है, क्योंकि देश की जनता पर तानाशाही निजाम थोपने की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए आज सबसे बड़ी जरूरत इस एकता की ही है.

वाम मोर्चा सरकारों की रक्षा करो

समर्पित न्यायपालिका तथा अध्यक्षीय प्रणाली की मुहिम, संसदीय लोकतंत्र पर हमलों तथा जनता की नागरिक स्वाधीनताओं पर डकैती आदि से एक बार फिर तानाशाही लादने की साजिश का खुलासा हो जाता है. वाम मोर्चा सरकारें जनवादी अधिकारों के दुर्ग की तरह हैं क्योंकि उन्होंने दमनकारी शासनतंत्र के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है तथा जनवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रयोग को भी अस्वीकार कर दिया है. इनके द्वारा शोषित तबकों के लिए किये जा रहे कार्यों तथा राज्य सरकार के साधनों के अनुरूप इन तबकों को राहत देने और नागरिक स्वाधीनताओं तथा जनवादी अधिकारों की सुरक्षा के सिलसिले में इन सरकारों की भूमिका ने देश की जनता पर व्यापक प्रभाव छोड़ा है. इसीलिए, इधर, इन वाम मोर्चा सरकारों को गिराने की कोशिशें और तेज हो गयी हैं. 3 अप्रैल के तथाकथित बंगाल बंद के दौरान जनता पर किये गये हिंसक हमलों से स्पष्ट हो जाता है कि शासक पार्टी किस हद तक गिर सकती है. सीटू भारत के मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह इन वाम मोर्चा सरकारों की रक्षा में अपनी सशक्त आवाज बुलंद करें क्योंकि यह उसी के हित में है.

मजदूर-किसान एकता बनाओ

सीटू मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वे इस सचाई का एहसास करें कि देहातों के हमारे साथी कई दशकों के पाशविक शोषण के बाद अपनी जायज मांगों को लेकर उठ खड़े हुए हैं. 26 मार्च 1981 की ऐतिहासिक किसान रैली के रोज प्रस्तुत मांगपत्र उनकी न्यायोचित मांगों का प्रतीक है. अपने वेतन, जीवन स्तर और ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहते हुए मजदूर वर्ग को किसानों के जायज संघर्ष का भी साथ देना होगा. मजदूर वर्ग को देहाती और शहरी बेरोजगार युवकों की समस्याओं को भी उठाना होगा. काम के अधिकार के रूप में शामिल किये जाने के लिए वे संघर्षरत हैं. मजदूर वर्ग को महिला कामगारों पर हो रहे सामाजिक अत्याचारों तथा सैक्स अत्याचारों समेत काम के क्षेत्र में होनेवाले हरेक अत्याचार के खिलाफ भी लड़ना होगा. सैक्स अत्याचार तो उनके विरुद्ध हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. ध्यान रहे महिला कामगार मजदूर वर्ग का ही एक हिस्सा है. मजदूर वर्ग को हरिजनों और गिरिजनों का भी साथ देना होगा. ये लोग सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ और आर्थिक उन्नति के लिए संघर्षरत हैं. आइए, एक बेहतर समाजव्यवस्था तथा देशभर में शांति के लिए भारत के शोषित वर्गों के तमाम तबकों की जुझारू एकता का बिगुल बजाएं.

मई दिवस जिंदाबाद,

दुनिया के मजदूरों की एकजुटता का महान अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिंदाबाद,

सी आई टी यू जिंदाबाद. □

आने वाले संघर्षों के लिए तैयार रहो

मई दिवस के अवसर पर त्रिपुरा के मुख्य मंत्री नृपेन चक्रवर्ती ने निम्नलिखित संदेश भेजा है.

"मई दिवस अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए क्रांतिकारी दिन है. इस एतिहासिक अवसर पर, दुनिया की मेहनतकश जनता, हर देशों में हो रहे विकासों, कामगार लोगों की सेवा-शर्तों और उनके समक्ष राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का जायजा लेती है. इस स्मरणीय दिन, मजदूर वर्ग संसार के इतिहास को बनाने के लिए अगुवा भूमिका निभाने के लिए नए जुझारू कार्यक्रम तैयार करता है.

वर्तमान स्थिति में नया क्या है? साम्राज्यवाद जो पतन की ओर है, संसार को नये झगड़ों में घसीटने के लिए नये-नये षड्यंत्र रच रहा है. जंगबाज मिस्टर रीगन ने पाकिस्तान, डियगो गारसिया और उप-महाद्वीप के दूसरे पड़ोसी देशों में युद्धस्थल बनाने के लिए कई खतरनाक कदम उठाये हैं और हथियारों की बड़ी मात्रा में बिक्री करके तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है. अफगानिस्तान की हाल ही की घटनाओं से साफ-साफ पता चलता है कि बहुत तरह की राक्षसी साजिशों और अमेरिकन साम्राज्यवाद की दखल-अंदाजी से राष्ट्रीय एकता और प्रजातंत्र को खतरा वास्तव में ही है.

[शेष पृष्ठ 57 पर]

मई दिवस : उत्पत्ति और महत्व

—विजेंद्र शर्मा

पहली मई का दिन लेनिन के शब्दों में "वह महत्वपूर्ण दिन है जब सभी देशों के मजदूर वर्ग चेतना के जीवन के प्रति उनकी जागृति, इंसान द्वारा इंसान पर किए जा रहे समूचे दमन के विरुद्ध संघर्ष में उनकी एकता, लाखों मेहनतकशों का भूख, गरीबी व बेइज्जती से छुटकारा पाने के लिए किए जा रहे संघर्ष को याद करते हैं." इस दिन के राजनीतिक महत्व की चर्चा करते हुए लेनिन ने आगे कहा कि मई दिवस "सर्वहारा की वर्ग चेतना के विकास व समाजवाद के लिए किए जा रहे खुले संघर्ष" के लिए केंद्र बिंदु है.

इस ऐतिहासिक दिन वे सभी लोग जो मेहनत करते हैं, जो अपने श्रम के द्वारा पूंजी पैदा करते हैं किंतु जिन्हें स्वयं रोटी पाने के लिए सारी उम्र कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती है, गांव में झोपड़ियों व बड़े शहरों में कोठरियों व दुछत्तियों के दमघोंट वातावरण में भूखे रहते हैं—ऐसे सभी लोग सभी तरह के शोषण के खिलाफ, मुक्ति और मजदूरों की खुशहाली के लिए संघर्ष में अपने मजबूत हाथ बुलंद करते हैं.

मेहनतकश व शोषित वर्गों के सुसंगठित व मजबूत संगठन ही मजदूर वर्ग के लिए बेहतर जीवन व खुशहाली की एकमात्र गारंटी हैं. इस स्मरणीय दिन दुनिया भर के मजदूर संगठन अपनी शक्ति की समीक्षा करते हैं व इसे और मजबूत बनाते हैं. वे मौजूदा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का जायजा लेते हैं. वे मजदूर वर्ग के जीवन व काम करने के हालात का अध्ययन करते हैं व उनकी राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं पर विचार करते हैं. वे बीते वर्ष मजदूरों द्वारा आम जनता के हितों के लिए छेड़े गए संघर्षों पर आलोचनात्मक नजर डालते हैं, उनकी सफलताओं व असफलताओं दोनों का विवेचन करते हैं, और मजबूत एकजुट आंदोलन बनाने में मजदूरों के योगदान को रेखांकित करते हैं.

संपूर्ण विजय की दिशा में

स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे व मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता, समाजवाद व शांति के समर्थन में राजनीतिक लड़ाई के लिए साम्राज्यवादी जंगबजी और औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध तथा मजदूर वर्ग के राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए मई दिवस के दिन मजदूर संगठन क्रांतिकारी व जुझारु कार्यक्रम तैयार करते हैं.

समूचे विश्व में होने वाले प्रदर्शन व बैठकें एक ऐसा समाज व्यवस्था को लाने के लिए, जिसमें श्रम द्वारा उत्पन्न संपति का लाभ कुछ मुट्ठी भर लोगों को मिलने के बजाए सभी मेहनतकश को हो, संघर्ष में सारी दुनिया के मजदूरों की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं मई दिवस के कार्यक्रमों में प्रति वर्ष अधिक से अधिक मजदूरों का भाग लेना इस बात को दर्शाता है कि विश्व भर में मजदूर अधिक से अधिक एकता कायम कर रहे हैं तथा धीरे-धीरे सरमायेदारी शोषकों पर संपूर्ण विजय की ओर बढ़ रहे हैं.

आठ घंटे के दिन का आंदोलन

मई दिवस के जन्म का इतिहास अमरीका के मजदूरों के 8 घंटे का कार्य दिवस के लिए किए गए संघर्ष से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है. विश्व भर के मजदूर वर्ग के लिए इस मांग का एक जबरदस्त राजनीतिक महत्व है. 19 वीं शताब्दी के आरंभ में शोषण और तेज होता जा रहा था. मजदूरों से 14 घंटे, 16 घंटे और यहां तक कि 20 घंटे प्रतिदिन काम करवाया जाता था. इतने लंबे काम के घंटों के असर को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों ने महसूस करना शुरू किया तथा काम के घंटे कम करने की मांग ने और भी मजबूती से जोर पकड़ा. 19 वीं शताब्दी के पहले पचास वर्षों में 10 घंटे प्रतिदिन काम की मांग को लेकर अनगिनत संघर्ष हुए. कुछ व्यवस्थित उद्योगों व सरकारी प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों के लिए शताब्दी के मध्य तक यह मांग मान ली गई. इस मांग के, सीमित रूप में ही सही, कुछ मान लिये जाने से मजदूरों का उत्साह बढ़ गया व वे अपने आपको बड़े स्तर पर व सुव्यवस्थित रूप से संगठित करने लगे. इस मांग ने अन्य देशों के मजदूरों को प्रोत्साहन दिया क्योंकि वे भी काम के घंटों को कम करने के संघर्ष में कूद पड़े थे.

अंतर्राष्ट्रीय चरित्र

अगस्त 1866 में अमरीका की नेशनल लेबर यूनियन ने अपने स्थापना अधिवेशन में 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाने का निश्चय किया. इस यूनियन के लंदन के प्रथम इंटरनेशनल से संबंध थे. सितंबर 1866 में प्रथम इंटरनेशनल की जेनेवा कांग्रेस ने "प्रतिदिन 8 घंटे काम की वैधानिक सीमा" बनाए जाने का सुझाव दिया. कांग्रेस ने आगे कहा : "यह सीमा उत्तर अमरीका संयुक्त राज्यों के मजदूरों की आम मांग है इसलिए कांग्रेस इस मांग को पूरे विश्व के मजदूरों के आम मंच में परिवर्तन करती है." इस प्रकार कुछ देशों में पहले ही जारी ऐसे आंदोलनों को इस कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय चरित्र दिया तथा यह उसके बाद जोर पकड़ती गई.

7 अक्तूबर 1884 को अमरीका की फेडरेशन आफ आरगनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन ने अपने चौथे सम्मेलन में यह फैसला किया कि "पहली मई 1886 से मजदूरों के लिए 8 घंटे काम का दिन कानूनी शक्ल अख्तियार करे" और मजदूर संगठनों का आह्वान किया कि वे इस प्रस्ताव को देश भर में हड़तालें व प्रदर्शन आयोजित करके लागू करें.

भारी हड़ताली संघर्ष

उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक, विशेषकर 1877 में हुए भारी हड़ताली संघर्षों और दमन की आग में तपकर अमरीकी मजदूर कुंदन बना. याद रहे कि 1877 में हुए संघर्षों का कारण कोयला मजदूरों की यूनियन को नष्ट करने की कोशिश करना था. इन सेठों ने 10 बहादुर मजदूरों को 1875 में फांसी दे दी थी. 1885 में फेडरेशन के अधिवेशन में जिसमें 1884 वाला प्रस्ताव दोहराया गया, 8 घंटे दिन की मांग के लिए पहली मई को किए जा रहे आंदोलन जो सभी मजदूर संगठनों के एकजुट होने के लिए केंद्रबिंदु बन गया था, के समर्थन में मजदूरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया. इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा मजदूर भाग लेते गए व इसकी शक्ति में वृद्धि होती गई. 1881-1884 के दौरान हुई हड़तालों व तालाबंदियों की तुलना में 1886 में हुए संघर्षों की संख्या तिगुनी हो गई. इस दौरान संघर्षों में मजदूरों की भागीदारी में 6 गुना वृद्धि हुई.

हड़तालों का सबसे सशक्त केंद्र शिकागो था. इसके बाद न्यूयार्क, बाल्टिमोर, मिलवाकू, सिनसिनाट्टी, सेंट लुई, पिट्सबर्ग, डेट्राइट तथा अन्य नगरों का स्थान था. इस आंदोलन के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अकुशल व असंगठित मजदूर संघर्षों की ओर आकर्षित हुए और इस दौरान समर्थनात्मक हड़तालें आम बात हो गई.

वामपंथी सेंट्रल लेबर यूनियन ने आंदोलन के समर्थन में पूरी शक्ति लगा दी. इस यूनियन से संबद्ध 25 हजार मजदूरों ने मई दिवस से पहले रविवार को विशाल प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन मई दिवस को होने वाले प्रदर्शन का एक प्रतीक मात्र था. पहली मई 1886 को हुए अभूतपूर्व प्रदर्शनों में 8 घंटे काम के लिए संघर्ष को एक और अधिक राजनीतिक महत्त्व दे दिया. इसने समूचे विश्व के मजदूर आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया.

अभूतपूर्व दमन

मजदूर वर्ग के शत्रु—पूंजीपति, भूस्वामी, प्रतिक्रियावादी तत्व व पूंजीवादी सरकार—चुप न रहे व उन्होंने इस आंदोलन व इसके नेताओं को दबाने के लिए बर्बर दमन का सहारा लेने का निश्चय किया. 3 व 4 मई को हुए हेमार्किट एफेयर के नाम से जाने जाने वाला नरसंहार पहली मई की हड़ताल के बदले के रूप में लिया गया कदम था. पूंजीवादी सरकार की पुलिस ने 3 मई को मैक्कौमिक रीपर में हो रही मजदूरों की शांतिपूर्ण आम सभा पर वहशियाना हमला किया जिसमें 6 मजदूर मारे गए व कई घायल हुए. यहां यह याद दिलाना आवश्यक है कि इस मौके पर एक कामगार महिला ने अपना ब्लाउज फाड़ डाला व मृतक मजदूरों के खून में इसको भिगोकर अपने साथी मजदूरों का आह्वान किया कि वे संघर्ष को जारी रखें. इस के बाद से लाल झंडा विश्व भर के मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रतीक बन गया है.

गुस्से से भरे मजदूरों ने 4 मई को हेमार्किट स्क्वायर में पहले से बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया जिसका समापन एक विशाल जनसभा में हुआ. यह शांतिपूर्ण सभा समाप्त होने को ही थी कि पुलिस ने एक बार फिर उनपर बमों से हमला किया. इस हमले में 4 मजदूर शहीद हो गए, यह सुनियोजित हमला इतना भीषण था कि इसमें 7 पुलिसकर्मी भी मारे गए. इस प्रकार बहाना बनाकर सरकार ने भीषण दमन चक्र चलाया. मजदूरों के दिलों में आतंक पैदा करने के उद्देश्य से उनके चार जुझारू कार्यकर्त्ताओं को फांसी दे दी गई व शिकागो के अनेक नेताओं को जेल भेज दिया गया. 1885-86 के दौरान मालिकों द्वारा खोई गई स्थिति को बहाल करने के लिए मजदूरों को बेरहमी से कुचला गया.

मई दिवस पर बढ़ती कार्यवाहियां

अमेरिकन फेडरेशन आफ लेबर के नाम से मशहूर इस फेडरेशन ने 1888 व 1889 के अधिवेशनों में 8 घंटे दिन की मांग के समर्थन में पहली मई को को अपने आंदोलन का दिन होना दोहराया व 1 मई 1889 को देश भर में हड़तालों, प्रदर्शनों व जलसों का आयोजन करने का फैसला किया.

जुलाई 1889 में दूसरी इंटरनैशनल की पेरिस कांग्रेस ने अमरीकन मजदूरों की बहादुरी व हठ निश्चय की सराहना की और उन्हें अपना समर्थन दिया. सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के परचम को बुलंद करते हुए इंटरनैशनल ने यह निर्णय किया कि 8 घंटे काम की इस महत्वपूर्ण राजनीतिक मांग के समर्थन में दुनियाभर के मजदूरों की जो अपनी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों में संगठित है, की कार्यवाही दिवस पहली मई होगा. दुनिया के मजदूरों का आह्वान किया गया कि "वे अपने-अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार मई दिवस पर प्रदर्शन करें." इस आह्वान से समूची दुनिया में सर्वहारा एकजुटता का एक नया युग शुरू हुआ.

एक मई 1890 को अमरीका, यूरोप तथा अन्य देशों के लाखों मजदूरों ने अनेक सरकारी प्रतिबंधों व पुलिस दमन के बावजूद हड़तालों, प्रदर्शनों व जलसों में शामिल होकर एकजुटता का इजहार किया.

वर्ग चरित्र

1891 में इंटरनैशनल की ब्रुसेल्ज कांग्रेस ने 8 घंटे दिन तथा अन्य मांगों के समर्थन में "पहली मई को किए जा रहे प्रदर्शनों के वर्ग चरित्र" पर जोर दिया जिसके फलस्वरूप "वर्ग संघर्ष तेज हुए." इंटरनैशनल ने दोहराया कि पहली मई मजदूर वर्ग की कार्यवाहियों का दिन है और इसे मजदूर वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी गतिविधियों का प्रसार शुरू किया.

अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा संगठनों के इतिहास की समीक्षा करते हुए 1 मई 1890 को एंगेल्स ने कहा कि "मई दिवस पर होने वाली गतिविधियों को देखते हुए सभी देशों के पूंजीपति व भूस्वामी यह समझ जाएंगे कि आज सभी देशों के मजदूर सच्चे मानों में

[शेष पृष्ठ 42 पर]

त्रिपुरा में अब

★ गुप्त मतदान से पहली बार बनी ग्राम पंचायतें, ग्रामजीवन के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान में व्यस्त है.

★ ब्लाक पंचायत समितियां ब्लाक क्षेत्रों की प्राथमिकतायें और विकास प्रणाली निर्धारण करती हैं.

★ पुलिस और सरकारी कर्मचारियों सहित सभी कामगार लोगों को ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्त हैं.

★ वामपंथी सरकार की रोजगार नीति, गरीब और अल्पसंख्यक लोगों को प्राथमिकता देती है.

★ खेतों या कारखानों, बगानों या सड़क निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, सभी बढ़ी हुई दरों पर अपनी मजदूरी पाते हैं.

★ दो एकड़ जमीन तक के छोटे किसान भूमि-कर से मुक्त हैं.

★ छोटे और सीमावर्ती जोतदार गांव के साहूकारों से और सभी प्रकार के कर्जों से मुक्त हैं.

★ जमीन पर बटाईदाराना अधिकार की व्यवस्था के लिए छोटे किसानों को कानूनी सुरक्षा है.

★ जनजाति के लोगों को स्वायत्त जिला परिषद मिल गई है जिसकी काफी अरसे से जरूरत थी.

★ जनजाति के लोगों की मातृभाषा को राज्य की दूसरी भाषा मान लिया गया है.

★ जनजाति के प्राथियों के लिए सरकारी नौकरियों में सुरक्षित स्थान रखा गया है.

★ बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है.

★ पहली से पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिन में भोजन दिया जाता है.

★ अनुसूचित जाति के विद्यार्थी बढ़ी हुई दरों पर छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं.

देश भर में असीम गरीबी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और वेतन-असमानताओं जैसी महान समस्याओं के बीच त्रिपुरा की वामपंथी सरकार एकजुट, जनवादी और सभी प्रकार के शोषणों से मुक्त आत्मनिर्भर समाज के लिए जूझ रही है.

त्रिपुरा सरकार के सार्वजनिक संपर्क व पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रसारित.

त्रिपुरा की वाममोर्चा सरकार के बढ़ते कदम

—नृपेन चक्रवर्ती, मुख्य मंत्री

त्रिपुरा की वाममोर्चा सरकार के 5 जनवरी को तीन साल पूरे होने के अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नृपेन चक्रवर्ती ने एक लेख लिखा जो हम नीचे प्रकाशित कर रहे हैं.

त्रिपुरा की वाममोर्चा सरकार ने इस सप्ताह सत्ता में तीन साल पूरे कर लिए हैं. इस ऐतिहासिक मौके पर मैं सबसे पहले तो देश भर में फैले हुए अपने साथ हमदर्दी रखनेवाले, लाखों लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं. मैं खासतौर पर उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पिछले जून में दंगों की शिकार त्रिपुरा की उत्पीड़ित जनता को नैतिक और आर्थिक सहायता दी. जनवाद में यकीन रखनेवाली राज्य की जनता के सक्रिय हस्तक्षेप से ही दंगों को रोका जा सका और राज्य में जनजीवन लगभग सामान्य हो सका.

हमारे बहुत से हमदर्द पूछ सकते हैं कि साम्राज्यवादी हलकों और स्थानीय प्रतिगामी ताकतों के संयुक्त हमलों के बावजूद जून के उन काले दिनों में वाममोर्चा सरकार खड़ी कैसे रह गई ?

वाम मोर्चे की जीत

इसके उत्तर के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है. 1978 में, जब वाममोर्चे ने पूंजीपति-सामंती वर्ग की सारी मुख्य पार्टियों का राज्य विधान सभा से सफाया कर दिया तो बहुत से लोगों को लगा कि यह "इंदिरा विरोधी" हवा का ही नतीजा भर है. लेकिन इसके थोड़े ही दिनों बाद पंचायत चुनावों में वामपंथी पार्टियों ने 80 प्रतिशत से ज्यादा स्थान जीते. नगरपालिका चुनावों में मोर्चे के विरोधियों का एक प्रत्याशी नहीं जीत सका. और केवल एक साल पहले लोकसभा के चुनावों में जिसमें इंदिरा गांधी सत्ता में आई थीं, राज्य की दोनों लोकसभा सीटों पर वाममोर्चा सी पी आई (एम) के उम्मीदवार जीते, जबकि एक लोकसभा हलके में इंदिरा कांग्रेसी उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई.

लेकिन यह हुआ कैसे ? पूर्वी पाकिस्तान (आजकल बंगलादेश) से आये गैर आदिवासी बंगाली शरणार्थियों से आदिवासी राज्य त्रिपुरा पूरी तरह भर गया था. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में, अल्पसंख्यक पिछड़ी हुई आदिवासी जनता का धीरे-धीरे खात्मा होता जा रहा था, जिसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया था. ऐसे हालात के बावजूद जहां ज्यादातर दूसरे राज्यों में राष्ट्रीय एकता की बलि दी जा रही थी, विभिन्न जातियां, संप्रदाय और तबके आपस में लड़ रहे थे, त्रिपुरा में एक दूसरी ही तस्वीर उभर रही थी. आदिवासी अल्पसंख्यक जनता और गैर-आदिवासी बहुसंख्यक बंगाली जनता, जनवाद के झंडे के नीचे इकट्ठी हो रही थी. जनवाद का झंडा, जो सारे राष्ट्रीय समुदायों के लिए समान सामाजिक स्तर का हामी था और आदिवासी अल्पसंख्यकों के 4 सूत्री मांग-पत्र का समर्थन करता था. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि लगभग सारे देश में ही जहां भी कहीं संभव हो, बिखराव, अस्थिरता और विखंडन पैदा करने की जीतोड़ कोशिश में लगी पृथकतावादी, अंधक्षेत्रीयतावादी और सांप्रदायिक ताकतों के सामने त्रिपुरा का वाममोर्चा बड़ी भारी चुनौती था.

त्रिपुरा के सघन आदिवासी आबादी वाले इलाकों में, स्वायत्त जिला काउंसिल की स्थापना के जरिए वाममोर्चा सरकार द्वारा एकीकरण की दिशा में पहलकदमी से उन सभी प्रतिगामी ताकतों में सनसनी फैल गई जो "स्वतंत्र त्रिपुरा" या "बंगालिस्तान" के नारों से जनता को भ्रमित करना चाहती थीं. इसीलिए आज भी, स्वायत्त जिला काउंसिल की स्थापना न होने देने के लिए ये सारी विघटनकारी ताकतें आदिवासी और गैर आदिवासी जनता के बीच तनाव को बरकरार रखने की कोशिशों में लगी हैं.

इन प्रतिक्रियावादी राजनीतिक पार्टियों में से कोई कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि आदिवासियों के लिए सुरक्षित 17 विधान सभा स्थानों में से 15 पर सी पी आई (एम) की जीत हो सकती है और कि 60 सदस्यों वाली विधान सभा में, जिसमें 40 सदस्य बंगाली हों, आदिवासी और गैर आदिवासी सद्भाव के हित में स्वायत्त जिला काउंसिल कानून निर्विरोध पारित हो सकता है. इसीलिए त्रिपुरा की वामपंथी सरकार का यह प्रयोग सिर्फ इस सीमावर्ती राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और समूचे देश के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है.

स्थिरता कायम

एक ऐसे राज्य में जहां पिछले जून में 1,200 आदिवासियों और गैर आदिवासियों का नरसंहार हुआ हो, जहां तीन लाख से ज्यादा लोगों को शरणार्थी शिविरों की शरण लेनी पड़ी हो, जहां 35 हजार घर जलकर राख हो गए हों और 30 हजार घर लुट गए हों, आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच सद्भाव फिर कायम करना, कोई आसान काम नहीं था. इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतने थोड़े से समय में, स्कूल और कालेज, दफ्तर और बाजार खुल जाएंगे, जहां आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों ही साथ-साथ रहेंगे, जहां मात्र 15 हजार को छोड़कर बाकी सब शरणार्थी अपने-अपने गांवों को वापस चले जाएंगे और नये सिरे से अपने घर बनाकर सामान्य जीवन व्यापार में लग जाएंगे.

यह करिश्मा इसीलिए हो सका क्योंकि राज्य के सभी हिस्सों में शांति

और सद्भाव की स्थापना की शपथ लेने वाली हजारों-हजार जनता उठ खड़ी हुई. यह करिश्मा हुआ, बावजूद इसके कि, राज्य के पड़ोस में ही असम आंदोलन पिछले एक साल से जारी है, मिजो विद्रोहियों के कभी-कभी होनेवाले आक्रमणों के कारण 100 किलोमीटर की मिजोरम से लगी सीमा अशांत है, और "बेलोनियां छार" के इलाके पर सीमा विवाद के कारण 900 किलोमीटर की बंगलादेश से लगी सीमा तनावग्रस्त है.

हमारे मित्र और शुभाकांक्षी यह जानना चाहेंगे कि तीन साल के वाम-मोर्चा शासन के दौरान त्रिपुरा में क्या आर्थिक प्रगति हुई है. इतना तो सभी जानते हैं कि दिल्ली में जब तक बड़े पूंजीपतियों और जमींदारों की पार्टियों के हाथ में सत्ता है, किन्हीं बुनियादी परिवर्तनों की उम्मीद नहीं की जा सकती. लेकिन, त्रिपुरा की जनता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि वाममोर्चा सरकार, अब तक के और दूसरे शासनों से कितनी अलग है.

इमर्जेंसी राज के घावों को भरने और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने में हमारी सरकार को एक साल लगा. निर्वाचित गांव सभाओं के जरिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, पंचायतों को बजट राशि का एक हिस्सा दिया गया. कमजोर तबकों को सहायता मिलने लगी. मालगुजारी, करों और कर्जों के बोझ से जनता को मुक्त किया गया, बच्चों के लिए शिक्षा, हर स्तर पर मुफ्त करा दी गयी, रोजदारी पर काम करनेवाले मजदूरों और खेतमजदूरों की दिहाड़ी बढ़ी और 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अंतर्गत, उनके लिए सालभर पर्याप्त काम जुटाया गया. (सालभर के दौरान कम से कम 90 लाख कार्य-दिवस, ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण के काम में लगे).

वाममोर्चा सरकार ने बैंकों को सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचाया है, जहां आदमी का पहुंचना भी मुश्किल था और गांव की गरीब जनता को सहकारी समितियों में शामिल किया है. बैंक और सहकारी समितियों के इस सहयोग से, ग्रामीण क्षेत्रों को शोषण करने वाले महाजनों, बेईमान व्यापारियों और ठेकेदारों के चंगुल से आजाद किया गया है. इस तरह जुलाहे, मछुआरे, दूध बेचनेवाले-सभी ग्रामीण शोषकों के चंगुल से आजाद होकर खुश हैं क्योंकि नौकरशाही और विरोधी राजनीतिक पार्टियों में भी इनके बहुत से सहयोगी हैं.

ग्रामीण-गरीबों के लिए योजना

त्रिपुरा में वामपंथी मोर्चे की योजना, अनेक अर्थों में दूसरे छोटे-छोटे राज्यों से भिन्न हैं. त्रिपुरा देश के सबसे दूरवर्ती कोने पर स्थित है जिसके तीन ओर बंगलादेश की सीमा लगती है और एक ओर मिजोरम है जो पहुंच के बाहर है. बस एक छोटा-सा गलियारा इसे असम से जोड़ता है, इस राज्य में सीमा को जोड़ने वाली मात्र 12 किलोमीटर लंबी रेल पट्टी है.

ऐसे राज्य में जहां 82 प्रतिशत किसानों के पास 2 एकड़ या उससे भी कम जमीन हो, उसमें भी सिर्फ 10 प्रतिशत में निश्चित सिंचाई की सुविधा हो और आबादी का 90 प्रतिशत हिस्सा खेती पर ही आश्रित हो, क्या आश्चर्य है कि 90 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रहे, यह प्रतिशत शायद देशभर में सबसे ऊंचा है.

ऐसे राज्य में एक बड़ी कागज मिल, एक से अधिक जूट मिलें या कताई मिलों के जरिए राज्य के 70 हजार शिक्षित रजिस्टर्ड बेरोजगार युवकों को काम मिल सकता है, जिसके साथ-साथ रेल सुविधाओं को बढ़ाने, सड़कों को बेहतर बनाने और अधिक जल-विद्युत योजनाओं आदि के लिए राज्य सरकार दबाव डालेगी. पिछले तीन सालों की योजना का मुख्य केंद्र यही था कि छोटे और सीमावर्ती किसानों की खेती को कैसे लाभकारी बनाया जाए.

भूमि संरक्षण, ऊंची और बिना पानी वाली टिल्ला खेती के बेहतर इस्तेमाल, कई फसलें उगाने और रबर तथा चाय के बागान, बागवानी, तथा रेशम उत्पादन के विकास के लिए, जिनके लिए त्रिपुरा की भूमि आदर्श है, एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया गया है. पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन आदि के विकास से त्रिपुरा अपनी मांस, अंडे, दूध और मछली की आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ हो जाएगा, जिसका ज्यादातर हिस्सा बंगला देश से आता है.

हमारे यहां एक लाख से ज्यादा हथकरघे हैं, हमारे यहां का घरेलू उद्योग बहुत विकसित है, हमारे ग्रामीण दस्तकारों, खासतौर पर आदिवासी गांवों की औरतों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करने के लिए कच्चा माल हमारे पास है, बशर्ते हमें जरूरी मदद मिले, यही एकमात्र तरीका है जिससे छोटे और सीमावर्ती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन जुटाकर उनकी जीवन स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है.

कोई योजना कितनी भी बेहतर क्यों न हो, यदि जनता उसे समझती नहीं है और लोग इसे लागू करने में जरूरी रुचि नहीं लेते तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में नाकामयाब हो सकती है. वाममोर्चा सरकार दूसरी सरकारों से इसी बिंदु पर भिन्न है. पंचायतों और सहकारी समितियों, जनसंगठनों और विभिन्न स्तरों पर दूसरी संस्थाओं को इस योजना को लागू करने में अधिकार दिए गए हैं और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. अनुसूचित जातियां हों या जनजातियां, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग हो या अन्य नृजातीय अल्पसंख्यक, सभी यह अच्छी तरह से देख चुके हैं कि राज्य की वर्तमान सरकार के चलते चाहे पुनर्स्थापना का सवाल हो या नौकरियों के वितरण का, उनके अधिकार न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि सरकार रुचि लेकर उनके हित में काम करती है.

बढ़ते संघर्ष

हमारे मित्र और शुभचिंतक यह पूछ सकते हैं और उनका पूछना सही

[शेष पृष्ठ 20 पर]

जनता त्रिपुरा की वाममोर्चा सरकार की शक्ति का स्रोत

—दशरथ देब, शिक्षा मंत्री

त्रिपुरा के शिक्षा तथा जनजाति कल्याण मंत्री, दशरथ देब ने त्रिपुरा की वामपंथी सरकार द्वारा इस जनवरी में तीन साल पूरे करने के अवसर पर लिखे एक लेख में कहा कि "त्रिपुरा की वामपंथी सरकार संघर्षों के जरिए ही सत्ता में आई और इसे संघर्षों के जरिये ही अपने कार्यक्रमों को लागू करना होगा. जनता ही इस सरकार की शक्ति का स्रोत है."

सरकार द्वारा ग्राम जनता के हितों तथा संपूर्ण समाज की उन्नति क लिए किये गये कार्यों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा, "वामपंथी सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को जनता के करीब ले जाना और जनता के जनवादी अधिकारों का प्रसार करना."

प्रशासन का जनवादीकरण

दशरथ देब ने बताया कि, "वामपंथी सरकार द्वारा उठाया गया सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है प्रशासन का जनवादीकरण तथा जनवाद को आगे बढ़ाना." उन्होंने आगे कहा, "स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद भी, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से विरासत में मिले अफसरशाही तथा प्रशासनात्मक मशीनरी का, जिसे उन्होंने अपने उपनिवेशक हितों की रक्षा के लिए गठन किया था, इस्तेमाल न केवल देश में पूंजीवाद कायम करने के लिए किया जा रहा है बल्कि शोषक-वर्ग तथा निहित स्वार्थों के हितों की रक्षा करने क लिए भी किया जा रहा है."

दशरथ देब ने यह साफ कहा कि "वामपंथी सरकार इस बात से अनजान नहीं थी कि प्रशासन के ढांचे को फिर से गठित किए बगैर तथा अफसरशाही नजरिये के खिलाफ अथक संघर्षों को किए बगैर प्रशासन का जनवादीकरण करना बहुत मुश्किल है. वामपंथी सरकार इससे पूरी तरह से परिचित है. लेकिन यह कहना कि प्रशासन में ऐसा कोई नहीं जो जनता कि सेवा कर सकता है, भी पूरी तरह से सही नहीं है. यहां यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता की सेवा के लिए वामपंथी सरकार को बहुत तादाद में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हुआ है...त्रिपुरा के बहुसंख्य लोग गांवों में रहते हैं. जब तक ये लोग विकास कार्यों में सक्रियता से हिस्सा नहीं लेंगे तब तक प्रशासन का जनवादीकरण का प्रश्न एक खोखली कहावत बना रहेगा."

इस वास्तविकता को मध्येनजर रखते हुए त्रिपुरा की वामपंथी सरकार ने गांव सभाओं, अगरतला नगरपालिका और नोटिफाइड एरिया कमेटियों को पुनः संगठित करके गांव और शहर में विकास कार्यों में जनता की भागीदारी के लिए रास्ता तैयार कर दिया है. गांवों के विकास के लिए गांव सभाओं को पर्याप्त फंड और अधिकार दिए गए हैं. विधायकों और ग्राम प्रधानों के साथ, सभी क्षेत्रों में, क्षेत्रीय विकास समितियां बनाई गई हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में 'काम के बदले अनाज' और भूमि संरक्षण कार्यक्रम खासतौर पर लोकप्रिय हैं. दशरथ देब ने कहा, "ये सभी कदम प्रशासन को जनता के करीब ले आने में निःसंदेह महत्वपूर्ण हैं."

एक नयी दिशा

सबसे वंचित, अविकसित तथा समाज में अनदेखे की गयी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की हालत सुधारने के लिए नए कदमों और नये दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, और वामपंथी सरकार द्वारा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों तथा त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्त जिला काउंसिल की स्थापना का विधेयक के बारे में बताते हुए दशरथ देब ने कहा, "जनजातियों के हित में उठाये गए इस कदम को जनता के उस हिस्से ने जो पिछड़ी जातियों के विकास के विरुद्ध है, धक्का पहुंचाया है. लेकिन वामपंथी सरकार स्वायत्त काउंसिल को गठित करने के निर्णय पर अडिग है."

राज्य के जनजाति के बहुसंख्य लोग काकबोरोक भाषी हैं जिसे सरकार ने राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दी है. प्राइमरी स्तर तक काकबोरोक को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया गया है और इसके लिए अध्यापकों की नियुक्ति और पुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं.

शिक्षा प्रणाली में संपूर्ण सुधार करना तो संभव नहीं है. लेकिन दशरथ देब कहते हैं, "इस समय के दौरान भी वामपंथी सरकार ने शिक्षा प्रणाली में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं. १२वें दर्जे तक के सभी छात्रों के लिए फीस पूरी तरह माफ कर दी गयी है और लड़कियों के लिए कालेज स्तर तक फीस माफ की गई है. नगरपालिका और नोटिफाइड क्षेत्रों में स्थित प्राइमरी स्कूलों के अलावा, सभी प्राइमरी स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है. पांचवें दर्जे तक के हर छात्र को 50 पैसे की कीमत का नाश्ता दिया जा रहा है."

जनता का दिलोजान से सहयोग

इन कदमों से खासतौर से गरीब तबकों के छात्रों का फायदा हुआ है. सरकार इन कदमों पर सालाना एक करोड़ रुपये खर्च कर रही है. होस्टलों में रहनेवाले अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों की छात्रवृत्ति भी 60 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रतिमाह

[शेष पृष्ठ 20 पर]

गरीब जनता की उन्नति के लिए

— बी. बी. देबराय, वित्त सचिव, त्रिपुरा

त्रिपुरा की वामपंथी सरकार भारी बहुमत से 5 जनवरी 1978 को सत्ता में आई. मोर्चे ने जनवादी ताकतों को मजबूत बनाने, सभी विकास कार्यों में लोगों के सहयोग, सभी को जरूरत के अनुसार भोजन, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भाषा और स्थान पर निर्भर अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रमों, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन की स्थापना करने, रेलवे लाइन को सबरूम तक बढ़ाने सहित संचार प्रणाली में सुधार करने और राज्यों को और अधिक आर्थिक और दूसरी शक्तियां प्रदान कराने जैसे वादे दिये थे.

जिम्मेदारी की भावना

राज्य के लिए सबसे बड़ी अड़चन, असंख्य लोगों का गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करना है. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों का प्रतिशत, इस राज्य में (उड़ीसा के बाद) दूसरे स्थान पर आता है. किसी भी राज्य में जहां पर 80 प्रतिशत से अधिक लोग गांवों में रहते हों और 76 प्रतिशत से भी अधिक कृषि पर निर्भर करते हों अभी तक केवल प्रकृति ही उनके भाग्य का फैसला करती रही है. इसीलिये, सरकार ने ठीक ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान दिया है.

सरकार के सभी विकासीय कार्य— कृषि, पशुपालन, दुग्धयोजना, मछलीपालन, वन, संचार जैसे काम, सभी ही ग्रामोत्थान के नजरिये से लिये गये हैं. इसी प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य-रक्षा और आहार जैसे सभी सामाजिक-आर्थिक कार्य गांवों को मद्देनजर रखते हुए ही किये जाते हैं. इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों में एक नई चेतना ही नहीं आई है बल्कि उनमें उत्तरदायित्व और सहयोग की भावना भी आई है.

संचार प्रणाली का विकास

इस राज्य की, केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि बंगलादेश के साथ इसकी लम्बी सीमा होने के कारण, अपनी ही कठिनाइयां हैं. यह राज्य केवल आसाम, मेघालय और उत्तरी-बंगाल से लगता हुआ शेष भारत से अलग है. राज्य के लिए एकमात्र संचार का जरिया कलकत्ता और अगरतला के बीच वायुसेवा है जो बहुत ऊंचे किराये होने की वजह से आम जनता के लिए कोई मतलब का नहीं है. संचार की कठिनाइयां, राज्य के लिए केवल विकास कार्यों के लिए जरूरी सामान, जैसे सीमेंट और इस्पात के लिए ही नहीं, बल्कि सभी आवश्यक वस्तुओं—जैसे नमक, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल इत्यादि लाने में भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. इसीलिए, सरकार ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में और राज्य का शेष देश के साथ संचार प्रणाली के विकास पर जोर दिया है.

राज्य में संचार का साधन केवल सड़कें होने के कारण, सरकार केवल त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम को ही मजबूत नहीं बनाती रही बल्कि मोटर-ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को भी सड़क-अनुमतिपत्र देती रही जिससे एकाधिकाराना प्रभुत्व में कमी आई है.

सभी कठिनाइयों के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि पहले मेघालय में और बाद में आसाम में लगातार दंगों की वजह से संचार प्रणाली पूर्णतया अस्तव्यस्त हो गई थी, राज्य सरकार अपनी सत्ता के दौरान ही कहीं अधिक योजना खर्चों को लागू कर सकी. वास्तव में, 1977-78 तक के लिए वार्षिक योजना-खर्च केवल 13 करोड़ रुपये था जबकि वर्तमान सरकार ने पहले ही वर्ष 1978-79 के लिए 23.67 करोड़ रुपए के योजना-खर्चों से काम करना शुरू किया. 1979-80 के लिए ये खर्चे 29.21 करोड़ और 1980-81 में 39.81 करोड़ रुपये हुए. 1981-82 की वार्षिक योजना के लिए 45 करोड़ रुपये की राशि रखी गई. इस प्रकार प्रति व्यक्ति निवेश 1977-78 में 89 रुपये के मुकाबले में 1981-82 में 250 रुपये हुआ. लेकिन इस क्षेत्र में यह अभी भी सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश है.

महान उद्देश्य

राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग की उत्तरोत्तर बैठकों में राज्य के मुख्य मंत्री राज्यों के लिए अधिक राजकोषीय और दूसरी शक्तियों के बारे में बहुत अधिक जोर देते रहे हैं ताकि राज्य, जो सीधे ही लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अपने उत्तरदायित्व को अधिक प्रभावशाली ढंग से निभा सकें.

निर्धारित समय में, विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानताओं और अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को कम करने की आवश्यकता पर दबाव डालने के लिये काफी प्रयत्न किये गये हैं. राज्य, भाषायी और क्षेत्रीय गुटों में शांति कायम रखने और राष्ट्रीय एकता, और सुरक्षा को बनाए रखने के लिये बहुत जूझता रहा है. सितम्बर १९८० में, राज्य ने "राष्ट्रीय एकता" पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें समूचे देश से लोगों ने भाग किया जिससे राज्य के लिये और देश के लिए एक महान उद्देश्य सामने आया.

जनता की इच्छाएं पूरी की गई

पिछले तीन सालों में, सरकार ने व्यस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान के जरिये ग्राम पंचायतों के चुनाव करायें. इस समय पूरे राज्य में 689 ग्राम सभायें काम कर रही हैं. सभी चुनी गई पंचायतें "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" सहित सभी विकास

त्रिपुरा राज्य लाटरी की नई योजना

डायमंड जुबली ड्रा 21 अप्रैल 1981 को

ड्रा : हर मंगलवार
प्रति टिकट : एक रुपया
प्रथम इनाम : एक लाख रुपये
द्वितीय इनाम : दस हजार रुपये
कुल इनाम : 7270

एजेंटों/विक्रेताओं के लिए आकर्षक शर्तें

सभी प्रकार के मुनाफे निम्न पर खर्च किए जाएंगे :—

1) टाउन हालों के निर्माण के लिए
2) प्रैस क्लब के निर्माण के लिए
3) गरीब बच्चों के लिए घरों में पुस्तकालयों की स्थापना के लिए
4) पंचायती पुस्तकालयों की स्थापना के लिए

आज ही अपना टिकट खरीदिए
और
एक नये त्रिपुरा के निर्माण में सहायता कीजिए.

त्रिपुरा सरकार के लघु बचत और राज्य लाटरी के निदेशालय
द्वारा प्रसारित.

कार्यों में जुटी हुई हैं. पंचायतों का अधिक से अधिक उत्तरदायित्व दिये जा रहे है.

अगरतला नगरपालिका का पिछले 25 सालों में कोई चुनाव नहीं हुआ था और वाममोर्चा सरकार के सत्ता में आने के कारण पहली बार व्यस्क-मतदान अधिकार के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा नगरपालिका में चुने गये प्रतिनिधी आये.

सरकार ने जनजाति के लोगों की आबादी वाले क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद बनाने का निर्णय लिया है ताकि जनजाति के लोग विशेष क्षेत्रों में अपने भविष्य के बारे में स्वयं निर्णय ले सकें.

इस प्रकार से, राज्य के 20 लाख लोगों की, त्रिपुरा के स्थानीय और ग्रामीण प्रशासन में उनके चुने गये प्रतिनिधियों के शामिल होने की इच्छा राज्य के इतिहास में पहली बार पूरी हुई.

औद्योगिक विकास

राज्य सरकार के अनथक प्रयत्नों के कारण ही राज्य के अब तक के एकमात्र मध्य-श्रेणी के उद्योग, त्रिपुरा पटसन मिल, को परीक्षण उत्पादन तक लाना सम्भव हो सका जिससे शीघ्र ही व्यवसायिक उत्पादन सम्भव होगा.

ऐसी ही कोशिशों के बाद, राज्य सरकार भारत सरकार से यह वादा लेने में समर्थ हुई कि शीघ्र ही राज्य में एक कागज मिल की स्थापना की जायेगी.

जब वाममोर्चा सरकार सत्ता में आई थी तब, हस्तशिल्प व हथकरघा उद्योग जो बिल्कुल ही नाजुक हालत में थे इनको दोबारा से शक्तिशाली बनाया गया और इस समय ये उद्योग इनमें काम कर रहे कमजोर वर्गों की एक भारी संख्या को अच्छी आर्थिक स्थिति प्रदान करने की क्षमता में हैं.

सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये राज्य औद्योगिक विकास निगम को वित्तीय निगम बना कर और सुदृढ़ बनाया.

त्रिपुरा के लघु उद्योग निगम और त्रिपुरा हस्तशिल्प विकास निगम को दोबारा से संगठित किया गया और इसे अधिक मजबूत बनाया गया.

धर्मनगर से कुमारघाट तक की रेलवे लाइनों को बढ़ाने को कार्य इसी सरकार के होते हुये ही शुरू हुआ. और यह भी सरकार के अनथक प्रयत्नों का ही परिणाम है कि भारत सरकार न सबरूम तक रेलवे लाइनें बिछाने तक के काम की शुरूआत में, अगरतला तक रेल लाइन बढ़ाने के लिये कुमारघाट-अगरतला क्षेत्र के जांच कार्यों को माना है.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

राज्य सरकार चावल तथा आवश्यकता की दूसरी वस्तुओं के दाम उचित स्तर पर और गरीब लोगों की क्षमता के भीतर रखने में समर्थ हुई है और कई मौकों पर इसने नमक जसी वस्तुओं पर अतिरिक्त सहायता भी दी. सहकारितायें और उचित दर दुकानों को इस कार्य में अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने के लिये सक्रिय बनाया गया. सरकार का विचार है कि अधिक से अधिक सहकारी समितियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल हों.

दलालों का खात्मा

केवल सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए किया जाने वाला खर्चा लोगों के जीवन-स्तर को अच्छा नहीं बना सकता. इसलिये, इस सरकार ने संस्थाओं के वित्त के बहाव पर इन विचारों से जोर दिया है कि न केवल कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता की जाये बल्कि दलालों और साहूकारों को खत्म किया जा सके. लगातार प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं को काफी बढ़ाया गया है. अब बढ़ी हुई आबादी के बावजूद 16 हजार लोगों के लिये एक बैंक शाखा है जबकि, जब वर्तमान सरकार ताकत में आई थी, 23 हजार लोगों के लिये एक बैंक शाखा थी. इसी प्रकार, उधार-जमा अनुपात दिसंबर 1977 में 34.1 प्रतिशत से बढ़ कर अब तक 57 प्रतिशत हो गया हैं.

भारी कल्याणकारी कदम

सरकार का लक्ष्य राज्य को छटी योजना तक चावल और धान में आत्म-निर्भर बनाना है. राज्य की 87 प्रतिशत आवश्यकता को पहले से ही राज्य के उत्पादन से पूरा किया जाता है. इसी तरह से, गेहूं उत्पादन और नकदी फसलों के उत्पादन को काफी हद तक बढ़ाया गया है. रबर के उत्पादन को बड़े पैमाने पर लिया गया है. जनजाति भूमियों को फिर से बसाने के लिये काफी संख्या में बागान योजनाएं शुरू की गई हैं. त्रिपुरा वन बागान और विकास निगम को इस क्षेत्र में महान भूमिका अदा करने के लिए सुदृढ़ किया गया है.

सरकार ने दोबारा से जांच-पड़ताल करने का कार्य और विस्तृत भूमि-सुधार कार्यों को एक समयवद्ध कार्यक्रम के तहत लिया है.

भूमि संरक्षण कार्य को सारे राज्य में बड़े पैमाने पर पहली बार इतना महत्व दिया गया है जितना इसे दिया जाना चाहिए था. यह देखते हुए कि बंगलादेश में त्रिपुरा से बंगलादेश की ओर बहती हुई नदियों के ऊपर अपनी तरफ की सीमा पर बांध लगा दिये हैं, सरकार ने बाढ़ सुरक्षा योजनायें शुरू कर दी हैं. जनजाति के लोग जिनके साथ पहले समझौते किये गये थे, उनको उनके आर्थिक लाभ के लिये और अधिक सहायता दी जा रही है. जिन जनजाति के लोगों से पहले जमीन छीन ली गई थी, उन्हें उनकी जमीन वापिस दिलवाई गई और इसके साथ ही जिन लोगों को इस कार्य में जमीन देनी पड़ी उन्हें दूसरी जगहों पर बसाया गया.

बेजमीन व बेघर लोगों को घर के लिये जगह और घर दिये जा रहे हैं.

सरकार ने मार्च 1980 से, नगर-पालिका और सूचित क्षेत्रों के सिवाय, तमाम राज्य में जूनियर बेसिक तक के बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी है. एक जांच से पता चला कि इस योजना से 17 प्रतिशत

[शेष पृष्ठ 20 पर]

तक की उपस्थिति में इजाफा हुआ है. बारहवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित कर दी गई है और सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिये वजीफों की दर बढ़ा दी गई है. जनजाति के विद्यार्थियों और मुस्लिम विद्यार्थियों के लिये नये छात्रवास बनाये गये हैं. और बनाये जा रहे हैं. ऐसे विद्यार्थी जो राज्य से बाहर तकनीकी और चिकित्सा पाठ्यक्रम जारी रखे हुये हैं, राज्य सरकार उनको उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिये बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है.

अनुसूचित जाति विकास निगम और अनुसूचित जनजाति विकास निगम को इन जातियों के लोगों के विकास की योजनाओं को और आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है.

विभिन्न विभागों में नई सहकारी समितियां स्थापित करने से मछली पकड़ने वालों, बुनाई का काम करने वालों, मोटर-ट्रांसपोर्ट कर्मचारी और चाय-बागान मजदूरों को काफी सहायता मिली है. मजदूरों की सक्रिय साझेदारी से, सहकारी चाय बागानों को शुरू किया गया है.

सभी वर्गों के मजदूरों के वेतन बढ़ा दिये गये हैं. मजदूर वर्ग की सेवा-शर्तों को और अच्छा बनाया गया है और सभी प्रकार के नियमों व अधिनियमों की जिनसे मजदूरों को लाभ पहुंचता है, कठोरता से लागू किया गया है. कर्मचारियों और कामगार लोगों को पिछले सालों में ट्रेड यूनियन कार्यों में हिंसा लेने की वजह से दी गई सजाएं रद्द कर दी गई हैं. कर्मचारियों को भी ट्रेड यूनियन अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं.

सरकार ने चाय व्यापार और विकास निगम स्थापित किया है जो राज्य के 54 बागान, जिनमें से बहुत से धीरे-२ बीमार होते जा रहे थे, की कुशलता की देख रेख करेगा.

लम्बा रास्ता

अभी तक जो कुछ किया जा चुका है, इसके बावजूद राज्य को अपने उद्देश्यों को, जो वादों के रूप में दिये गये थे, प्राप्त करने के लिये अभी लम्बा रास्ता तय करना है. □

नृपेन चक्रवर्ती...

[पृष्ठ 15 से आगे]

होगा कि हम योजनाएं किस लिए बना रहे हैं ? क्या हम नहीं जानते कि इंदिरापंथी एआईसीसी ने हमारी सरकार को फौरन बर्खास्त करने की मांग नहीं की. क्या देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने के लिए संविधान में हेरफेर करने की कोशिशें नहीं जारी हैं ? क्या हम भूल गए हैं कि इमर्जेंसी की बातचीत शुरू हो गई है, और नया मीसा कानून का हिस्सा बन चुका है.

लेकिन त्रिपुरा की जनता मूर्ख नहीं है. इमर्जेंसी से बहुत पहले वाममोर्चे के नेता मीसा के शिकार होने वालों में सबसे आगे थे. उधर प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तौर-तरीकों की बातें करती हैं और इंदिरा कांग्रेस के राज्य नेता, व्यक्तिगत राजनीतिक हत्याओं में लगे हुए हैं. केंद्र में इंदिरा कांग्रेस ने जिस दिन गद्दी संभाली, स्थानीय इंदिरा कांग्रेसी नेता, उसी दिन से राष्ट्रपति शासन की गुहार लगा रहे हैं. वाममोर्चा सरकार अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह से इस उत्तर पूर्व क्षेत्र की आज भी उपेक्षा की जा रही है, किस तरह से 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम पर भारी कटौती की जा रही है, और किस तरह हर मौके पर राज्य की स्वायत्तता को कुचलने की कोशिश के खिलाफ लड़ना पड़ता है.

त्रिपुरा की सरकार यहां हो रहे ध्रुवीकरण को भी देख रही है. एक तरफ तो हैं निहित स्वार्थ और पृथकतावादी, अंचक्षेत्रीयतावादी तथा सांप्रदायवादी ताकतें, दूसरी तरफ वे सभी लोग हैं जो इन काली ताकतों के षड्यंत्रों के विरुद्ध हैं और जनतंत्र की रक्षा करते हैं. जनवाद और शांति के लिए इस संघर्ष का परिणाम ही, वाममोर्चा सरकार की योजना और कार्यक्रम के भविष्य का फैसला करेगा. □

दशरथ देब...

[पृष्ठ 16 से आगे]

कर दी गई है. सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन देने का फैसला भी किया है. साढ़े सात कानीस तक भूमि शुल्क खत्म कर दिया गया है. सरकार द्वारा इन कदमों को उठाने के बारे में दशरथ देब ने कहा, "निजी स्वार्थ और प्रतिक्रियावादी ताकतें विभिन्न प्रकार के हमलावर तरीके अपनाकर वामपंथी सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने में बाधा पैदा कर रही हैं. पिछली जून में हुआ कत्लेआम तो इसका भयंकर परिणाम है. लेकिन जनवादी लोगों द्वारा दिलोजान से सहयोग करने से सरकार, राज्यभर में स्थिति का मुकाबला करने तथा सामान्य स्थिति वापस लाने में कामयाब हो सकी है. □

अमृतसर फैक्ट्री में तालाबंदी

अमृतसर की नीटिंग फैक्ट्री के मजदूर ताना भरती यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में, वेतन व पीस रेटों में 15 प्रतिशत वृद्धि की मांग के समर्थन में 1 फरवरी से संघर्षरत हैं. लेकिन फरवरी के पहले सप्ताह में ही मालिकान ने तालाबंदी घोषित कर दी और 600 मजदूरों को बेकार कर दिया जिन्हें जनवरी से वेतन नहीं दिया गया था. धरना दिए हुए मजदूरों पर कांग्रेस (आई) के हमदर्द गुंडों द्वारा हमले भी किए गए. □

कुद्रेमुख के मजदूर गिरफ्तार

कर्नाटक में एच एस सी एल की कुद्रेमुख यूनियन के 50 बर्खास्त ठेका मजदूरों को 24 मार्च को सुपा वर्कसाइट में गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया जबकि वे बर्खास्तगी के खिलाफ लगातार संघर्षरत थे. एच एस सी एल मालिकान के साथ मिलीभगत होने से, पुलिस ने बिना कोई कारण बताये उन्हें गिरफ्तार कर लिया. एच एस सी एल मजदूरों की यूनियन ने गिरफ्तार मजदूरों की तुरंत रिहाई तथा 239 बर्खास्त किए गए मजदूरों को पुनः काम पर वापस लेने की मांग की है. □

केरल का वामपंथी जनवादी सरकार का एक वर्ष

— ई. के. नायनार, मुख्य मंत्री

केरल की वामपंथी-जनवादी मोर्चा सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में किए कार्यों पर नजर डालने के बाद मैं निस्संकोच यह कह सकता हूं कि हमारी सरकार के नेतृत्व में पिछले एक वर्ष में राज्य ने संतोषजनक प्रगति की है. मैं यह दावा नहीं करता कि हम जनता की सारी आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हुए हैं. निस्संदेह हमारे काम में कुछ कमियां रही हैं. किंतु निरंतर गहराते आर्थिक व राजनीतिक संकट के दौर में जबकि विशाल बहुमत लिए एक-पार्टी शासित राज्यों में अभूत-पूर्व प्रकार का संकट बना रहा है. केरल की वामपंथी-जनवादी मोर्चा सरकार ने टोली के रूप में काम किया है और अपनी नीतियों को लागू किया है. हमने बजट में घोषित किए 33-सूत्री राहत व सुधार कार्यक्रम को लागू कर दिया है और इस प्रकार यह दिखा दिया है कि हमारी सरकार अपने कार्यक्रमों को कम से कम समय में पूरा करने के लिए तत्पर है.

हमारी सरकार के बनने व काम करने का एक नतीजा यह हुआ है कि हमारी व अन्य कुछ राज्यों की वामपंथी मोर्चा सरकारों की राजनीति व नीतियों का पूरे देश के स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है. हर प्रकार के अधिनायकवादी व दमनकारी रुझानों का विरोध करना व देश के संसदीय जनतांत्रिक राजनीतिक ढांचे की रक्षा करना हमारी नीतियों का एक मुख्य उद्देश्य है. खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना, जिला व निचले स्तरों पर सत्ता का विकेंद्रीय-करण, प्लानिंग बोर्ड को मजबूत बनाना व इसका स्तर बढ़ाना, विधान सभा काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए विषय समितियां बनाना, स्कूल के बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाना, सारे राज्य के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाना, किसानों को लाभ पहुंचाना, स्वस्थ व बेहतर मालिक-मजदूर संबंध बनाना, औद्योगीकरण व केंद्र-राज्य संबंधों पर एक नया दृष्टिकोण बनाना आदि ऐसे कई मुद्दे हैं, जिनपर हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है. मैं यह कहूंगा कि प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा हमें बदनाम करने व हमारे कार्यक्रमों में अड़चन डालने की कोशिशों के बावजूद हमने पिछले एक वर्ष में काफी उपलब्धियां प्राप्त की हैं.

शुभारंभ

पिछले कुछ महीनों में हमारे द्वारा लागू कार्यक्रमों ने अन्य राज्यों को प्रभावित किया है. उदाहरण के लिए खेतिहर मजदूर पेंशन योजना को ही ले लीजिए जिसका लाभ केरल के लगभग 2 लाख व्यक्तियों को होगा. केरल द्वारा इस योजना को लागू किए जाने के बाद अब तमिलनाडु सरकार भी इसी प्रकार की एक योजना को लागू कर रही है. पश्चिम बंगाल में भी खेतिहर मजदूरों के लिए इसी प्रकार की एक योजना है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री टी. अंजैया ने हाल ही में घोषणा की है कि वे भी अपने राज्य के खेतिहर मजदूरों के लिए इसी प्रकार की एक पेंशन योजना शुरू करने जा रहे हैं. कई मुख्यमंत्रियों ने इस योजना के बारे में मुझसे बात की है व विस्तृत जानकारी मांगी है. खेतिहर मजदूरों के अतिरिक्त हमने पत्रकारों, फिल्म कलाकारों, सर्कस कलाकारों आदि के लिए भी आठ अन्य योजनाएं भी बनाई हैं.

दो लाख से अधिक नवयुवक बेरोज-गारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की हमारी योजना का भी अन्य राज्यों पर असर पड़ा है. तमिलनाडु सरकार ने भी इसी प्रकार की योजना बनाई है. हालांकि उनकी योजना में फिलहाल केवल स्नातक बेरोजगारों को ही भत्ता देने का प्रावधान है. पश्चिम बंगाल व पंजाब की सरकारें भी हमारी योजना से मिलती-जुलती योजनाएं लागू कर रही हैं.

केरल सबसे आगे

पिछले वर्ष हमारी सरकार ने सह-कारी समितियों के माध्यम से 140 करोड़ रुपये किसानों व अन्य कमजोर तबकों को बांटे. इस क्षेत्र में केरल अन्य सभी राज्यों से आगे है. निर्धन व सीमांत किसानों के 5 करोड़ रुपये के कर्जों को माफ करके हमने उन्हें राहत पहुंचाई. धान व गन्ना बोने वाले किसानों को हमने अतिरिक्त मूल्य देकर सहायता पहुंचाई. केंद्र सरकार द्वारा कैडबरी कंपनी को आयात का लाइसेंस दिए जाने से जब कोको की कीमतें गिर गईं तो हम किसानों की मदद के लिए सामने आए. हमने कैडबरी द्वारा दी जा रही कीमतों से 50 प्रतिशत अधिक कीमत देने की योजना लागू की. इसी प्रकार जब आयात करने की छूट से रबर व नारियल उत्पादकों को नुकसान हुआ तो हमने इनका साथ दिया व इनके उत्पादन की कीमतों को गिरने से रोका. इन किसान-समर्थक नीतियों के कारण कांग्रेस(इ) तथा अन्य पार्टियों द्वारा हमारे खिलाफ किसानों को भड़काने के मंसूबों पर पानी फिर गया. किसानों को लाभ पहुंचाने वाली हमारी नीतियों का प्रभाव अन्य राज्यों पर भी पड़ा.

भूमि सुधार

भूमि सुधार मोर्चे पर हमने 1957-59 में ई. एम. एस. नंबूदिरीपाद के नेतृत्व वाली पहली कम्युनिस्ट सरकार द्वारा शुरू किए काम को आगे बढ़ाया है. अब तक 37 लाख काश्तकारों को उस जमीन का मालिक बनाने में सफल हुए हैं जिसे वे जोतते थे. इसी प्रकार 4.5 लाख झुग्गियों में रहने वाले लोगों को उस जमीन का मालिक बना दिया गया है जिसपर उन्होंने अपने मामूली घर बनाए थे. यदि केंद्र भूमि सुधार पर अनुमोदन के लिए भेजे गए बिलों को

केरल के बढ़ते कदम

★ 60 साल से ज्यादा श्रायु के 1.25 लाख खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी गयी.

★ 1.84 लाख बेरोजगार युवकों को राहत दी गयी.

★ 55 लाख स्कूली छात्रों को फायदा पहुंचाने वाली स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गयी.

★ ग्राम-पुनर्निर्माण के लिए दस करोड़ रुपये का सात-सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया.

★ हरिजनों की श्रार्थिक दशा को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए तीन सौ करोड़ रुपये की योजना शुरू की गयी.

★ 1.35 लाख छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने वालो ब्याज रहित योजना शुरू की गयी.

★ 400 फिशिग गांवों में मछेरों के कल्याण के लिए गतिविधियां शुरू की गयीं. मछेरों के लिए बोमा योजना जारी की गयी.

केरल की वामपंथी जनवादी मोर्चा सरकार

ने प्रगति का दूसरा रास्ता शुरू किया

सार्वजनिक संपर्क विभाग,केरल सरकार

स्वीकृति दे देती है तो अगले कुछ वर्षों में हम भूमि-सुधार का कार्यक्रम पूरा कर देंगे.

मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली

राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रेस, केंद्र सरकार व योजना अधिकारियों सभी की ओर से सराहना मिली है. पहली कम्युनिस्ट सरकार के समय आरंभ की गयी वैधानिक राशनिंग प्रणाली का विस्तार किया गया है व इसे अधिक मजबूत बनाया गया है. आज प्रति परिवार को दिए गए राशन कार्ड के आधार पर 14,350 राशनिंग दुकानों के माध्यम से चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, चाय, खाने का तेल, निम्न व मध्यम स्तर का कपड़ा आदि जनता को दे रहे हैं. मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए हम नजरबंदी अध्यादेश जैसे उपायों को लागू करना सही नहीं मानते. हमारे विचार में कुशल व भ्रष्टाचार रहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही मूल्य-वृद्धि को रोकने का कारगर तरीका है. हमारा नारा है– हमें नजरबंदी अध्यादेश नहीं बल्कि सार्वजनिक वितरण पद्धति दो.

हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 18 आवश्यक वस्तुओं को जनता को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को 400 करोड़ रुपये लागत की एक योजना भेजी है. इस योजना के लागू होने से हम आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को रोक पाने की स्थिति में हो जाएंगे. इसके लिए यह आवश्यक है कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को भारतीय खाद्य निगम जैसा स्तर व सुविधाएं दी जाएं. इस योजना के बारे में हमें केंद्र के विचारों का पता नहीं चला है.

मजदूर वर्ग को लाभ

पिछले एक वर्ष के दौरान मजदूर वर्ग को फायदे हुए हैं. मजदूर – चाहे वे दुकानों में काम करते हैं या फैक्ट्रियों में, खेतों में या बागानों में—बेहतर मजदूरी व बोनस पाने में सफल हुए हैं. ये फायदे वे संगठित शक्ति के आधार पर बातचीत करके पाने में सफल हुए हैं. प्रबंधक-मजदूर संबंध एक वर्ष पहले की तुलना में बेहतर हो गए हैं व इससे मैन-डे हानि भी कम हो गई है.

मूल्य सूचकांक में सुधार

हमने मूल्य सूचकांक निर्धारण पद्धति की असंगतियों को दूर कर दिया है. देश भर का मजदूर-वर्ग इसके लिए पिछले कई वर्षों से मांग कर रहा था. सूचकांक में सुधार से मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में काफी बढ़ोतरी हुई है.

पारंपरिक उद्योग

राज्य के औद्योगिक क्षेत्र पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इस क्षेत्र में नारियल-जटा, काजू व हथकरघा जैसे पारंपरिक किस्म के उद्योगों का प्रभुत्व है तथा इन पर 12 लाख परिवार गुजर-बसर करते हैं. हालांकि नारियल जटा उद्योग विदेशी मुद्रा कमाने का एक मुख्य स्रोत है किंतु फिर भी केंद्र सरकार इस उद्योग की दशा सुधारने के लिए जरूरी सहायता नहीं देती है. पिछले 12 वर्षों में केंद्र ने इस उद्योग को सहायता के रूप में केवल 1 करोड़ व ऋण के रूप में 12 करोड़ रुपये दिए हैं जबकि केवल पिछले एक वर्ष में इस उद्योग से सरकार ने 45 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई है. इस वर्ष भी केरल सरकार को नारियल-जटा की डिस्ट्रैस खरीद के लिए 3.5 करोड़ रुपये की सहायता देनी पड़ी. इस उद्योग के लिए भूसी का भंडार करने के मामले पर भी केंद्र का रवैया सहयोगपूर्ण नहीं है. केंद्र सरकार को नारियल जटा विकास के लिए 60 करोड़ रुपयों की भेजी गई योजना पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है. काजू के लिए कच्चे बादाम को आयात करने की समस्या है. इस समस्या पर भी केंद्र सरकार राज्य की सहायता नहीं करती बल्कि निजी क्षेत्र को लाइसेंस देती रहती है.

औद्योगीकरण के प्रयत्न

पिछले कई वर्षों से राज्य का औद्योगीकरण करने की दिशा में प्रयत्न नहीं किए गए हैं. पिछले तीस वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बावजूद राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 381 करोड़ रुपये का पूंजी-निवेश किया गया है. हमने इस मुद्दे को बार-बार केंद्र के सामने रखा है.

इसके साथ-साथ हम राज्य के भीतर व बाहर से पूंजी को आकर्षित कर रहे हैं व राज्य में पूंजी-निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं. इस संदर्भ में त्रिवेंद्रम, मद्रास तथा केरल में उद्योगपतियों से हुई बातचीत के अच्छे नतीजे निकल रहे हैं. सरकार व उद्योगपतियों के बीच जायज मजदूरी, जायज मुनाफे, आपसी सहयोग आदि मुद्दों पर समान आधार तैयार हुआ है. केरल में कई नए उद्योग स्थापित करने पर समझौते हुए हैं. इंडियन मर्चेंट्स चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष श्री गुजदार व अन्य उद्योगपतियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे केरल में उद्योग स्थापित करेंगे.

योजना के प्रति नया दृष्टिकोण

इस प्रकार हम अपनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं. किंतु हर विकास के हर पहलू को एक सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए योजना की आवश्यकता होती है. इस उद्देश्य से हमने योजना बोर्ड को सुव्यवस्थित व मजबूत किया है व इसके स्तर को बढ़ाया है. हमने इसे योजना बनाने, मानीटर करने व इसकी समीक्षा करने के अधिक अधिकार दे दिए हैं.

इसके साथ-साथ जिला व नीचे के स्तरों पर शक्ति का विकेंद्रीयकरण होना चाहिए. इससे प्रशासन के हर क्षेत्र में जनता की हिस्सेदारी बढ़ेगी तथा जनतांत्रिक जीवन व्यवस्था का आधार तैयार होगा. इसके साथ-साथ विकेंद्रीयकरण के परिणामस्वरूप प्रशासन पर अफसरशाही का शिकंजा ढीला हो जायगा. हमें राज्य विधान सभा के काम को व्यवस्थित व सुचारू रूप से चलाने के लिए विषय समिति का गठन करने के लिए भी कदम उठाने हैं.

[शेष पृष्ठ 26 पर]

केरल बजट की मुख्य विशेषताएं

केरल की वामपंथी-जनवादी मोर्चा सरकार का दूसरा बजट बड़ी मात्रा में राहत व प्रोत्साहन देकर कृषि व औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है. इस कारण इस बजट को सही मानों में 'उत्पादन-प्रोत्साहन बजट' कहा जाता है. यह बजट व विशाल ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम 1981-82 के वर्ष में केरल के लाखों बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे.

सरकार खेतिहर मजदूरों को पेंशन देने की योजना सहित 9 पेंशन योजनाओं व बेरोजगारी भत्ता देने की योजना को चालू रखेगी. इन योजनाओं से 5 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभ होगा. नये बजट के तहत नारियल, जटा, हथकरघा व काजू उद्योगों को तीन अलग-अलग कल्याण योजनाओं के दायरे में लाया जायगा. बीड़ी मजदूरों व मछुआरों को सहकारी संस्थाओं में गठित किया जायगा व निर्माण व खदान मजदूरों के लिए कल्याण योजनाएं लगभग 10 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करेंगी.

बिजली उन सब व्यक्तियों को निःशुल्क प्रदान की जायेगी जिनकी खपत 10 इकाइयां या उससे कम है. रोजगार कर खत्म कर दिया गया है. मछुआरों की लड़कियों को विवाह के लिए 1 हजार रुपये विवाह-सहायता के रूप में दिया जायगा.

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले मुख्य कदम हैं—कृषि ऋणों पर ब्याज में 6 करोड़ रुपयों की सहायता, 1 हैक्टेयर तक के खेतों में बकाया किरायाराशि को रद्द करना, कुडीकिड़ापुकारों को अपने कार्य-स्थल पर मकान खरीदने का अधिकार देना व मकान बनाने के लिए उन्हें 1 हजार रुपये सहायता-राशि देना, खाद्य फसलों पर कृषि आय-कर की समाप्ति, खाद्य फसलों व खादों पर बिक्री-कर की समाप्ति, 2 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए नलकूपों पर आधारित लघु सिंचाई योजना चालू करना, भूमि-कटाव रोकने के काम पर 40 प्रतिशत सहायता देना, 3 हजार हैक्टेयर जमीन पर काजू बोना आदि.

मूल्य-वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम 1 हजार नयी दुकानें खोलेगा. हर पंचायत के दायरे में एक दुकान होगी. याद रहे कि 15 हजार ऐसी दुकानें पहले से ही काम कर रही हैं.

राज्य में 2 करोड़ 80 लाख भूखंडों में से 87 प्रतिशत 1 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के हैं. इनके लिए ऋण की सुविधाएं बढ़ाने के लिए ऋण पुस्तक पद्धति आरंभ करने का सुझाव दिया गया है. इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक किसान को एक ऋण पुस्तिका दी जायगी जिसमें वह प्रत्येक मौसम में दाने वाली जरूरत को लिखेगा. अब तक सहकारी क्षेत्र को टिकट-शुल्क व पंजीकरण के मामले में जो छूट दी जाती थी, उसे अब उन सभी बैंकों को भी दी जायगी जो किसानों को ऋण देते हैं. यह छूट 5 हजार तक के ऋणों पर दी जायगी. एक स्वायत्त भूमि संरक्षण संस्था बनाए जाने का सुझाव है जो कि विशाल भूमि संरक्षण कार्यक्रमों को चलाएगी व इसके लिए धन की व्यवस्था करेगी. अगले वर्ष के भीतर भूमि संरक्षण कार्यक्रम का पहला चरण उस 10 हजार हैक्टेयर भूमि में आरंभ किया जायगा जो भूमि कटाव आदि समस्याओं से सबसे अधिक प्रभावित हैं. इस मद के लिए सुरक्षित वर्तमान राशि का 40 प्रतिशत भूमि संरक्षण के लिए किसानों को दिया जायगा.

भूमि के भीतर के जल का अधिकतम प्रयोग करने के लिए एक स्वायत्त भूगर्भ जल संस्था स्थापित की जायगी. 1981-82 का लक्ष्य 500 बोर कुएं जिसमें से प्रत्येक कुएं से 15 हैक्टेयर कैश फसल सिंचित करने की सामर्थ्य हो, 150 से 200 मीटर रेंज वाले 1 हजार नलकूप जिनमें हर नलकूप 20 से 50 हैक्टेयर तक सींच सकता है, 1 हजार फिल्टर पाइट कुएं जिनमें प्रति कुएं की सिंचाई क्षमता 5 हैक्टेयर कैश फसल सिंचित करने की है तथा 1.5 लाख खुले कुएं जिनमें प्रति कुआं 8 हैक्टेयर भूमि सिंचित करे, स्थापित करना है.

कम अवधि के कृषि ऋणों को 5 प्रतिशत सहायता दी जाएगी जिसके परिणामस्वरूप किसानों को केवल 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा. ऐसा भी सुझाव है कि 5 एकड़ से कम भूमि रखने वाले जिन किसानों ने सरकारी या सहकारी समितियों से 1 अप्रैल 1978 तक छोटी अवधि के कृषि ऋण प्राप्त किए हैं उनका 1 अप्रैल 1981 तक का 75 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाए. किंतु यह छूट केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने 1 जुलाई 1981 तक अपने ऋण के मूलधन की अदायगी कर दी है. इस छूट के कारण सहकारी समितियों को हुए नुकसान को सरकार पूरा करेगी.

ग्रामीण क्षेत्र के लिए त्रिवेंद्रम, क्विलोन व एलेप्पी में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को सभी जिलों व पंचायतों में स्थापित किए गए कृषि विकास केंद्रों में भी ले जाया जाएगा. शहरी केंद्रों के आस-पास मिर्च व सब्जी बोने व इनका विकास करने का एक नया कार्यक्रम बनाया गया है. इस योजना के तहत मिर्च की नई फसल बोने के लिए प्रति हैक्टेयर 1,250 रुपये की सहायता तथा अंगूर-बेलों के विकास के लिए प्रति हैक्टेयर 13.75 रुपये की सहायता दी जाएगी. काजू बागानों के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में एक संस्था की स्थापना की जाएगी जो काजू की खेती को नए इलाकों में ले जाएगी.

धान, टोपेका, केले, अदरक तथा अन्य कैश फसलों को कृषि आय कर के दायरे से निकाला जाएगा. टोपेका पर लगने वाले 2 प्रतिशत बिक्री कर व कच्ची अदरक पर लगने वाले 4 प्रतिशत खरीद कर को खत्म कर दिया जाएगा.

नारियल वृक्षों को जड़ों से लगने वाली बीमारियों से बचाने वाले कार्यक्रम को जो अब 62 पंचायतों में लागू है

अन्य पंचायतों में भी ले जाया जाएगा. केरल कृषि विकास योजना व बहु-राज्यीय काजू योजना को जारी रखा जाएगा व दक्षिणी जिलों में 3 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को काजू की खेती के लिए काम में लिया जाएगा. कोको के लिए मिलने वाली सुविधाओं व सहायता का विस्तार किया जाएगा.

चार हैक्टेयर तक के बागानों को प्लांटेशन कर से मुक्त किया जाएगा. इस समय इस कर से मुक्त होने की सीमा 2 हैक्टेयर है. बिक्री कर पर छूट की सीमा 35 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है और इस प्रकार छोटे व्यापारियों को बिक्री कर से बचाया गया है. ऐसे सभी व्यापारियों के लिए जिनका वार्षिक टर्न ओवर 1 लाख 50 हजार तक है कर निर्धारण का तरीका बहुत सरल बना दिया गया है. पहले यह सुविधा केवल 1 लाख तक के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को ही उपलब्ध थी. इस पद्धति के अनुसार करों का निर्धारण व्यापारी द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर ही हो जाता है तथा विवरण की जांच पड़ताल 3 वर्षों में एक बार होती है.

राज्य में कच्चे रबर से बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन राज्य में ही हो इस उद्देश्य से सरकार ने बड़े व मझोले उद्योगों को कच्चा रबर खरीदने पर 3 प्रतिशत बिक्री कर की छूट दे दी है. इस प्रकार उन सभी उद्योगों को चाहे वे बड़े, मझोले या छोटे स्तर के हों यह छूट तब तक मिलती रहेगी जब तक वे कच्चे रबर से वस्तुओं का निर्माण राज्य के भीतर ही करेंगे. छोटे समाचारपत्रों को 1 लाख तक व बड़े समाचारपत्रों को 2 लाख रुपये वार्षिक तक का अखबारी कागज खरीदने पर बिक्री कर से छूट दी जाएगी. 1 अप्रैल 1979 तक स्थापित सभी छोटी औद्योगिक इकाइयों को दी जा रही छूटें जारी रहेंगी. इस तारीख के बाद स्थापित छोटे उद्योगों को पिछले वर्ष निर्धारित व भुगतान किए गए बिक्री कर के बराबर ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा. □

ई. के. नायनार...

[पृष्ठ 24 से आगे]

बढ़ता हुआ जनसमर्थन

ऊपर की पंक्तियों में मैंने संक्षेप में उन कदमों का हवाला दिया है जिनपर चलते हुए पिछले एक वर्ष में हमने विकास के नए रास्तों व जनतांत्रिक मूल्यों पर चलने की कोशिश की है. हमारे ईमानदार प्रयत्नों का राज्य की जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा है और हमारी सरकार के लिए जनसमर्थन का आधार बढ़ा है. बढ़ते हुए जनसमर्थन का प्रमाण नीलांबूर उपचुनाव तथा 50 पंचायत व 6 पालिकाओं में हमारी शानदार विजय होना है. इन चुनावों में केवल एक ही पंचायत में कांग्रेस (इ) बहुमत हासिल कर पाई है.

नए युग का सूत्रपात

राज्य में जनतंत्र-विरोधी ताकतें अपने आपको जनसमर्थन से कटा हुआ व अलग-थलग पा रही हैं. कुंठा से ग्रस्त होकर वे एक ओर तो हिंसा व हत्या के हथकंडे अपना रहे हैं और दूसरी ओर कानून व व्यवस्था के बिगड़ने के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं. चाहे यह केरल का सवाल हो या पश्चिम बंगाल की बात हो, इन लोगों के हथकंडे एक समान हैं. ये हारी हुई शक्तियां केरल के मोर्चे में फूट डलवाकर दलबदल करवाने के सपने देख रहे हैं. हमें विश्वास है कि इन लोगों के सपने केवल सपने ही रहेंगे और कभी यथार्थ नहीं बनेंगे. हमारी सरकार कुछ निहित स्वार्थों या दलों के रहमोकरम से सत्ता में नहीं आई. हमारी सरकार राज्य की जनता के विशाल बहुमत तथा देश भर की वामपंथी-जनवादी शक्तियों के सहयोग से सत्ता में आई है. जिस अनुपात में पिछले कुछ महीनों में केरल में हमारी सरकार का जनाधार बढ़ा है उसी प्रकार पूरे देश के स्तर पर वामपंथी शक्तियों ने भी प्रगति की है. अखिल भारतीय स्तर पर छः पार्टियों के जनवादी मंच का बनना व कई राज्यों में वामपंथी-जनवादी मोर्चों की सरकारों का गठन एक नए युग की शुरुआत है. मुझे विश्वास है कि केरल की सरकार आने वाले वर्षों में पहले से बेहतर काम करेगी. हमारा यह प्रयत्न होगा कि राज्य के विकास का कार्यक्रम ठोस जनवादी आधार पर रखा जाए व इस आधार पर चलते हुए पुनर्निर्माण व प्रगति की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए. हमें विश्वास है कि इस रास्ते पर चलते हुए हम जनता के अधिक से अधिक भागों को अपने साथ चलाने में सफल हो जाएंगे.

हमारी नीतियां एक खुली किताब हैं. हम दलबदल तथा अन्य ओछे राजनीतिक हथकंडों में विश्वास नहीं रखते और न ही इन्हें अमल में लाने की कोशिश करते हैं. मैं उन सभी राजनीतिक दलों जो साम्प्रदायिकता व अधिनायकवाद के खिलाफ हैं, से अपील करता हूं कि वे हमारे साथ आएं व वामपंथी-जनवादी शक्तियों को और मजबूत बनाने में अपना योगदान दें. □

राज्य सरकार कर्मचारियों द्वारा पार्लियामेंट को मार्च

आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एंप्लाईज फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 12 मार्च को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में 4 मई को लोक सभा में एक जन-याचिका पेश करने का निर्णय लिया गया. समूचे देश से हजारों राज्य सरकार कर्मचारी इस पार्लियामेंट तक मार्च में भाग लेंगे.

फेडरेशन याचिका पर एक जन हस्ताक्षर अभियान चला रही है जो कीमत-वृद्धि पर रोक लगाने, महंगाई पर एक राष्ट्रीय फार्मूला, पूरे ट्रेड यूनियन अधिकार प्रदान करने तथा गवर्नमेंट कंडक्ट सर्वेंट्स रूल्स को रद्द करना जैसा कि पश्चिम बंगाल में किया गया, आदि मांगों पर रोशनी डालेगा. □

सार्वजनिक वितरण प्रणाली : केरल का अनुभव

हाल ही में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य के मुख्य मंत्री ई. के. नायनार ने केरल की वामपंथी और जनवादी मोर्चे की सरकार की बढ़ती हुई कीमतों की समस्या का सामना करने की नीति को बताते हुए कहा कि यह समस्या "पी. डी. (प्रिवेंटिव डिटेंशन: निवारक नजरबन्दी) कानून के द्वारा नहीं बल्कि पी. डी. (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन: सार्वजनिक वितरण) प्रणाली" से सुलझाई जा सकती है. वास्तव में केरल सरकार अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कुछ आवश्यक वस्तुओं को उचित दामों पर मुहैया करने में समर्थ रही है.

1956 में जब केरल सरकार बनी थी, उस समय आठ हजार राशन की दुकानें थीं. 1967 में सी. पी. आई. के नेतृत्व में केरल सरकार ने, जिसके ई. एम. एस. नंबूदिरीपाद मुख्यमंत्री थे, और जो जनता को उनकी आवश्यकता की वस्तुओं को उचित कीमतों पर दिलाने के लिए कटिबद्ध थी, भरोसेमन्द और अच्छी तरह से काम करने वाली सार्वजनिक प्रणाली का निर्माण किया था. प्रणाली को न केवल बनाए रखा गया बल्कि इन सभी वर्षों में इसका विस्तार किया गया. 1956 में राज्य में 8,000 राशन की दुकानों के मुकाबले अब वहां 12,000 ऐसी दुकानें, 2,000 सहकारी संस्थानों द्वारा चलाये जाने वाली फुटकर बिक्री की दुकानें और राज्य के बेरोजगार युवकों द्वारा कुछ सरकारी सहायता के साथ चलाये जाने वाले 350 'केरल स्टोर' हैं. इस प्रकार राज्य की 100 पंचायतों, 45 नगरपालिकाओं और निगमों में 14,000 से भी अधिक दुकानें हैं.

दूसरे राज्यों के विपरीत, वामपंथी और जनवादी मोर्चे की केरल सरकार ने अपने राज्य के कोने-कोने में फैली हुई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गतिविधियों को और आगे बढ़ाया ताकि लोगों को आवश्यक और अच्छे दर्जे की वस्तुओं को उचित दामों पर दिलाने के लिए आश्वस्त किया जा सके. पिछले साल जून में जब केन्द्रीय बजट घोषित हुआ था, उसी समय से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. चीनी 12 रु० से 18 रु० प्रति किलो ग्राम तक हो गई. खाने के तेल, किसी भी कीमत पर नहीं मिलते. धीरे-धीरे कीमत बढ़ाने का रिवाज ही हो गया. केरल नागरिक आपूर्ति निगम के सहयोग से ओनम, दशहरा और दिवाली जैसे त्यौहारों के मौकों पर नये बिक्री-केन्द्र और विशेष बाजार खोले. निगम ने केन्द्रीय खरीद प्रणाली को अपनाया. योजना को लागू करने के लिए सहायता देने के लिए आदमी और औरत जोशों-खरोश से आगे आए.

त्यौहारों के बाद लोगों ने अनुभव किया कि ओनम बाजारों से ओनम-खरीदारी करने से प्रति परिवार पचास रुपये के करीब लाभ हुआ. खुले बाजार में कीमतें ओनम के पहले के स्तरों में कम से कम 15 प्रतिशत कमी हुई.

20 हजार टन से भी अधिक लेवी चीनी और फ्री सेल चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बांटी गई जिसके कारण निजी दुकानों पर भी चीनी 8 रु० से अधिक नहीं बढ़ी जबकि महाराष्ट्र में, जोकि एक चीनी पैदा करने वाला राज्य है, चीनी की कीमत 12 रुपये से 18 रुपये प्रति किलो तक बढ़ी. अगस्त के ओनम के महीने में, बहुत बड़ी तादाद में दूसरी चीजों के अलावा 12 हजार टन राशन का चावल बांटा गया.

नागरिक आपूर्ति विभाग, वितरण के लिए उपभोक्ता की वस्तुओं की प्राप्ति और वितरण के कार्य की देख-रेख करता है. नागरिक आपूर्ति निगम सप्लाई आदेश जारी करता है. सर्व-दलीय सतर्कता समितियां सभी क्षेत्रों में इस बात का विशेष ध्यान रखती हैं कि दुकानों से वितरण सही ढंग से होता रहे.

अठारह आवश्यक वस्तुएं जो केरल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा दी जाती हैं, उनमें चावल, गेहूं और गेहूं की वस्तुएं, दालें, हरे चने, बंगाली चने, अरहर, काला चना, मसाले, मिर्च, धनिया, सब्जियां, चीनी, चाय, काफी, सीमेंट पैट्रोल की चीजें, साबुन और कई अन्य वस्तुयें हैं.

लोगों ने, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो शुरु में इस योजना के आलोचक थे, इस योजना को स्थाई बनाने की और इसे ग्राम स्तर पर ले जाने की भी और इस योजना के माध्यम से और अधिक वस्तुओं को बेचा जाने की मांग की है. केरल की जनता अब इस बात का अनुभव करती है कि वामपंथी और जनवादी मोर्चे की सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूंजीवादी बाजार के हथकण्डों और मूल्य-वृद्धि जो समूचे राष्ट्र में आसमान को छू रही है, को कुछ हद तक नियंत्रण में लाने के लिए एक जबरदस्त हथियार बनाया है.

यह सब सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है कि क्या वह गरीब तबकों जैसे मजदूर वर्ग किसानों और भूमिहीन मजदूरों की सेवा करना चाहती है या कीमतों को बढ़ाकर, मुद्रस्फीति इत्यादि से लोगों की वास्तविक मजदूरी को कम करके शोषकों के हितों की सेवा करना. ऐसे राज्यों में जहां पर पी. डी. कानून का प्रयोग किया गया है, बढ़ती हुई कीमतों को कम नहीं किया जा सका और ट्रेड यूनियनों के नेताओं को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया. दूसरी ओर, केरल की वामपंथी और जनवादी मोर्चे की सरकार ने पी. डी. कानून को हिंद महासागर में फेंक कर पी. डी. प्रणाली (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) को सुदृढ़ किया और इस तरह लोगों को कुछ राहत पहुंचा सकी है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केरल का अनुभव राष्ट्र के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है. □

पश्चिम बंगाल की वाम-मोर्चा सरकार की श्रम व रोजगार-नीति

—कृष्णपद घोष, श्रम मंत्री

"एक ऐसे समाज में जहां संपत्ति के बंटवारे में असमानता हो न्याय केवल बलवान की रक्षा करता है."

हालांकि ऊपर उद्धत किया वाक्य इतना पुराना है जितना कि प्लेटो का 'रिपब्लिक' किंतु यह 1981 के भारत में भी अपनी सार्थकता रखता है. विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र भारत में अब भी लाखों व्यक्तियों को न्याय, लाखों बच्चों को संरक्षण व लाखों औरतों को सुरक्षा नहीं मिलती.

अपनी सीमाओं के बावजूद पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार इस तस्वीर को बदलना चाहती है. यह चाहती है कि मनुष्य मनुष्य की भांति जीवन निर्वाह कर सके. इस उद्देश्य को ध्यान में रख वामपंथी मोर्चा सरकार पूरी शक्ति व दृढ़ निश्चय से लाखों पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलवाने का प्रयत्न कर रही है. औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में वामपंथी मोर्चा सरकार ने सदा मजदूर वर्ग के हितों को सर्वोपरि रखा है. पिछली कांग्रेस सरकार ने एमर्जेंसी के दौरान मजदूर वर्ग के सभी ट्रेड यूनियन अधिकार—इनमें हड़ताल पर जाने तथा यूनियन के बनाने के अधिकार भी शामिल हैं—छीन लिए थे. कांग्रेस सरकार की मजदूर-विरोधी नीति का फायदा उठाते हुए मालिकों ने मजदूरों पर हमले आरंभ कर दिए थे. हजारों मजदूरों की छंटनी कर दी गई, ले आफ कर दिया गया, नौकरियों से निकाल दिया गया. अप्रत्यक्ष रूप से वेतनजाम की नीति लागू की गई तथा मजदूरों की वास्तविक मजदूरी गिरने लगी. वैधानिक बोनस की मात्रा को घटाकर आधा कर दिया गया. सत्ता में आने के तुरंत बाद वामपंथी मोर्चा सरकार ने हड़ताल पर जाने व यूनियन बनाने सहित मजदूर वर्ग के सभी अधिकार बहाल कर दिए. पुलिस तथा प्रशासन को निर्देश दिए गए कि मालिक व मजदूरों के बीच होने वाले औद्योगिक विवादों में वे निष्पक्ष रहें. उन्हें बताया गया कि इस प्रकार के विवादों में उनका काम है कि ये विवाद मजदूरों के हित में शांतिपूर्वक तरीकों से सुलझाए जाएं. इससे पहले 30 वर्षों में इस प्रकार के विवादों में पुलिस व प्रशासन की भूमिका मालिकों को सहायता पहुंचाने की रही है जिसे अब बदल दिया गया है.

राज्य में मजदूरों के हितों से सहानुभूति रखने वाली सरकार की स्थापना से पिछले चार वर्षों में ट्रेड यूनियन आंदोलन का अभूतपूर्व विकास हुआ है. इसके बावजूद इस दौरान मजदूर वर्ग के मोर्चे पर पूरी शांति बनी रही. इन वर्षों में मजदूरों के कुछ बड़े संघर्ष हुए किंतु राज्य सरकार के हस्तक्षेप व सहायता से वे मालिकों से अपनी मुख्य मांगें मनवाने में सफल हुए.

1976 में पश्चिम बंगाल में केवल 22 प्रति शत मजदूरों को ही बोनस मिला. किंतु पिछले चार वर्षों में 8.33 प्रति शत वैधानिक न्यूनतम बोनस मिलने वाले मजदूरों की संख्या 90 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत तक हो गई है. सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों के कर्मचारी बोनस के दायरे में नहीं आते. किंतु वामपंथी मोर्चा सरकार इन कर्मचारियों को बोनस के स्थान पर 8.33 प्रति शत ग्रेशिया रकम देती है. 1978-79 में दो लाख से अधिक जूट-मजदूर लंबी हड़ताल पर गए. आखिरकार सरकार के हस्तक्षेप से ये मजदूर अपनी महत्वपूर्ण मांगों को मनवाने में सफल हुए. प्रति मजदूर की प्रति व्यक्ति मासिक आमदनी 470.10 रुपये से अधिक हो गई हैं. 1979 में 54 हजार से अधिक कपड़ा मजदूरों को त्रिपक्षीय समझौते से लाभ हुआ. इंजीनियरिंग उद्योग के 3 लाख मजदूर एक लंबी अनिश्चित-कालीन हड़ताल की तैयारी कर रहे थे. किंतु वामपंथी मोर्चा सरकार के हस्त-क्षेप से उनकी मुख्य मांगों को मान लिया व वे लाभन्वित हुए. इंजीनियरिंग मजदूरों के मासिक वेतन में 52 से 56 रुपये तक वृद्धि हुई. इसी प्रकार प्रिंटिंग उद्योग तथा अन्य संबंधित मजदूरों की लंबी हड़ताल सरकार के हस्तक्षेप से ही समाप्त हुई. तथा इन मजदूरों के मांग-पत्र पर समझौता हो गया. वामपंथी मोर्चा सरकार की पहलकदमी से कलकत्ता गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बीच हुए कई विवादों को मजदूरों के हित में शांति-पूर्ण तरीकों से हल किया गया. वामपंथी मोर्चा सरकार के कदमों से राज्य में हड़ताल, तालाबंदी व ले आफ की संख्या में कमी आ गई हैं.

1977-80 में हड़तालों व तालाबंदियों द्वारा काम में अवरोध

वर्ष	कार्य-अवरोधों की संख्या	हड़तालों की संख्या	तालाबंदियों की संख्या
1977	397	206	191
1978	371	172	191
1979	290	146	144
1980	213	78	355

पश्चिम बंगाल में ले आफ व छंटनियो की संख्या

वर्ष	छंटनियां	ले आफ
1977	2117	1, 22, 044
1978	2109	91, 797
1979	1120	65, 551
1980	1045	14, 848

आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले कई वर्षों की तुलना में 1980 में कार्य-अवरोध के मामले व इससे प्रभावित मजदूरों की संख्या में काफी कमी आ गई है. इसी प्रकार पिछले 11 वर्षों में 1980 में कारखाने बन्द होने व इससे प्रभावित होने वाले मजदूरों की संख्या न्यूनतम थी. 1980 में छंटनी किए गए मजदूरों की संख्या पिछले 9 वर्षों में सबसे कम थी. इस प्रकार इस वर्ष ले आफों व ले आफों से प्रभावित मजदूरों की संख्या पिछले 11 वर्षों में सबसे कम थी. वामपंथी मोर्चा सरकार ने मजदूरों व कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का पूरा अधिकार दिया है. यह सरकार मजदूरों को केवल इतनी हिदायत देती है कि हड़ताल के अस्त्र को अन्तिम अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाए और इसके पहले आन्दोलन के अन्य तरीकों का प्रयोग किया जाए. औद्योगिक विवादों में मध्यस्थता द्वारा समझौता करने के उदाहरण बढ़ाये हैं. हड़तालों तथा ताला-बन्दियों से प्रभावित मजदूरों की संख्या 1977 के 2 लाख 23 हजार से बढ़कर 1979 में 4 लाख 36 हजार हो गई. किन्तु इस दौरान मध्यस्थता द्वारा मजदूरों के मामलों का फैसला होने की संख्या 45.5 प्रतिशत से बढ़कर 87.7 प्रतिशत हो गई. यह वामपंथी मोर्चा सरकार की श्रम नीति की महत्वपूर्ण सफलता है. वामपंथी मोर्चा सरकार केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की इस मांग को अपना पूरा समर्थन देती है कि एक विस्तृत बोनस बिल पास किया जाए जिसकी परिधि के भीतर फैक्ट्री मजदूरों के अतिरिक्त अन्य सभी मजदूरों व कर्मचारियों को शामिल किया जाए जिन्हें इस समय बोनस से वंचित किया गया है. वामपंथी मोर्चा सरकार बोनस को स्थगित मजदूरी मानने के सिद्धांत का भी पूरा समर्थन करती है.

वामपथी मोर्चा सरकार ने पश्चिम बंगाल में लागू होने वाले औद्योगिक विवाद कानून में कुछ संशोधन करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं. इनमें से एक सुझाव यूनियनबद्ध मजदूरों की वेतन सीमा को वर्तमान 500 रु. से बढ़ाकर 1,600 रु. किए जाना है. याद रहे कि बोनस एक्ट के अंतर्गत बोनस मिलने के लिए भी 1,600 रु. की सीमा निर्धारित किए जाने पर विचार किया जा रहा है. एक अन्य सुझाव किसी भी संस्थान में बहुमत की यूनियन चुने जाने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में है.

पश्चिम बंगाल में 1976 से 1978 के दौरान फैक्ट्री मजदूरों की वास्तविक वार्षिक मजदूरी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है. 1976 में एक मजदूर की वार्षिक आय 1933 रु. थी जो 1978 में बढ़कर 2070 रु. हो गई. औद्योगिक क्षेत्र में पंजीकृत चालू फैक्ट्रियों में औसत दैनिक रोजगार के आंकड़े 1977 के 826 हजार से बढ़कर 1978 में 839 हजार हो गए. 1979 में यह संख्या 857 हजार हो गई. दैनिक रोजगार की संख्या में बढ़ोतरी का एक मुख्य कारण वामपंथी मोर्चा सरकार द्वारा बीमार व बंद फैक्ट्रियों को चलाए रखने के लिए उठाए गए कदम हैं. चालू फैक्ट्रियों की संख्या में वृद्धि भी इसका एक प्रमाण है. स्पष्ट है कि रोजगार में बढ़ोतरी के साथ-साथ फैक्ट्री मजदूरों की मजदूरी में भी वृद्धि हुई है. फैक्ट्री मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि उनके लिए सार्थक कीमतों की वृद्धि से अधिक हुई है जिसका मतलब है कि काफी लंबे समय बाद मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है. मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में बढोतरी का मुख्य सबब उनकी एकता व संगठन की बेहतरी तथा श्रम संबंधों के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां हैं.

राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार संभावनाओं का विकास मुख्य रूप से कृषि तथा उद्योग जैसे बड़े क्षेत्रों में उत्पादन शक्तियों से जुड़ा हुआ है इसलिए रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करते हुए हमें इन क्षेत्रों में चल रही उत्पादन-स्थिति पर नजर डालनी होगी. कृषि के क्षेत्र में कई योजनाएं लागू की गई हैं जिनमें प्रमुख हैं काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सूखा-प्रभावित क्षेत्रों की विशेष योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के कार्यक्रम तथा सड़कों, छोटी सिंचाई सविधाओं, भूमि संरक्षण आदि के लिए आधार तैयार करना.

पश्चिम बंगाल में 1979-80 में ग्रामीण कार्य व काम के बदले अनाज कार्यक्रमों में खर्च किये गए रुपये व खाद्यान्न के आंकड़े

कार्यक्रम	नकदी खर्चा (लाखों में)	खाद्यान्न उपयोग (एम.टी. में)
ग्रामीण कार्य योजना	675.11	85,164
काम के बदले अनाज योजना	234.02	32,421
विशेष काम के बदले अनाज योजना	558.53	75,941

इन कार्यक्रमों को लागू करते हुए इनके हर पहलू में आम आदमियों को शामिल करने की पूरी कोशिश की जाती है. इन कार्यक्रमों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में अतिरिक्त मानव-दिन (मैनडे) पैदा करने में सफलता मिली है. 1978-79 में कुल मानव-दिनों की संख्या 533.44 लाख थी जबकि 1979-80 में इनकी संख्या 540.5 लाख हो गई. ग्रामीण कार्य-क्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने से 1979-80 में सभी जिलों में खेतिहर मजदूरी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है. 1976-77 में औसत खेतिहर मजदूरी 5.65 थी जो 1979-80 में बढ़कर 6.75 हो गई. इस प्रकार इस दौरान औसत मजदूरी में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई. इस दौरान खेतिहर मजदूरी की दर 9.03 रु० है. खेतिहर मजदूरी की दर में वृद्धि कृषि क्षेत्र में लागू किए जा रहे अतिरिक्त उत्पादन कार्यक्रमों तथा खेतिहर मजदूरों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि है. क्योंकि खेतिहर मजदूर, भूमिहीन किसान व बटाईदार देहाती गरीबों की श्रेणी में ही आते हैं, उनकी सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि का सीधा सम्बन्ध सरकार द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों के तहत उठाए गए कदमों से है जिनमें अतिरिक्त जमीन का बंटवारा व बटाइदारों को कर्ज पाने की योजनायें शामिल हैं. इसके अति-रिक्त इसका एक अन्य कारण पंचायतों व प्रशासनिक मशीनरी द्वारा खेतिहर

मजदूरों के हितों की रक्षा करने के प्रयत्न हैं.

रोजगार

पश्चिम बंगाल की पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या व रोजगार

	1977	1978	1979
पंजीकृत चालू फैक्ट्रियां (संख्या)	5,837	5,967	6,144
औसत दैनिक रोजगार (संख्या हजारों में)	826	839	857

ऊपर की तालिका में देखा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजीकृत चालू फैक्ट्रियों व औसत दैनिक रोजगार की संख्या में वृद्धि हो रही है.

मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए वामपंथी मोर्चा सरकार ने कई इकाइयों को अपने हाथ में लिया है.

वर्ष	अपने हाथ में ली गई इकाइयों की संख्या	इन इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1977	88	4502
1978	13	11500
1979	24	18083
1980	30	19796

यह संतोष का विषय है कि सरकार ने जिन इकाइयों को अपने हाथ में लिया है उनमें रोजगार में वृद्धि होने के साथ-साथ उत्पादकता तथा सामाजिक उपयोगिता में वृद्धि हुई है.

रोजगार कार्यालय के द्वारा रोजगार

रोजगार पाने की प्रक्रिया में रोजगार दफ्तर में नाम दर्ज कराना जरूरी बना दिया गया है. पिछले चार वर्षों में रोजगार दफ्तर के माध्यम से 55 हजार बेरोजगार व्यक्तियों को सरकारी व निजी संगठनों में काम दिया गया है. राज्य सरकार सरकारी व अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं व स्थानीय समितियों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रही है. नीचे दी गई तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है :

पश्चिम बंगाल में रोजगार दफ्तरों के माध्यम से भरे गये रिक्त स्थानों की संख्या

	1978	1979	1980
केंद्रीय सरकार	2051	1698	1386
राज्य सरकारी	2782	5105	5226
अर्द्ध-सरकारी व स्थानीय समितियां	2800	3344	3843

ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि रोजगार दिलवाने के क्षेत्र में भी राज्य सरकार का योगदान महत्वपूर्ण है.

बेरोजगारी सहायता योजना

इस संदर्भ में बेरोजगारी भत्ते की चर्चा करना संगत होगा. हम यहाँ बार-बार कहते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किए बिना बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान होना संभव नहीं होगा. इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर वामपंथी मोर्चा सरकार ने अप्रैल 1978 से बेरोजगारी भत्ता देने के ऐतिहासिक निर्णय लिया. अब तक 3 लाख बेरोजगार इस निर्णय से लाभान्वित हुए हैं और प्रति बेरोजगार को प्रति वर्ष 600 रुपये दिए जा रहे हैं. बेरोजगारी भत्ता पाने वाले व्यक्ति को वर्ष भर में 100 दिन काम करना होता है जिसकी एवज में उसे 200 रु. मजदूरी के रूप में भी दिए जाते हैं. वामपंथी मोर्चा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय स्तर पर महंगाई भत्ता देना आरंभ किया है. यहां तक कि अर्द्ध-सरकारी, स्थानीय स्वशासित तथा राज्य से सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों, अध्यापकों आदि को भी केंद्रीय स्तर पर महंगाई भत्ता मिल रहा है.

जबकि पूरे देश के स्तर पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, वामपंथी मोर्चा सरकार बाधाओं व कठिनाइयों के बावजूद सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है. यदि इस सरकार के काम को निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो निस्संकोच यह कहा जा सकता है कि अपनी सीमाओं व कुछ क्षेत्रों में हुई असफलताओं के बावजूद इस सरकार ने कुछ आदर्श स्थापित किए हैं. केंद्रीय सरकार के असहयोगपूर्ण रुख को देखते हुए इसकी उपलब्धियों का महत्व और भी बढ़ जाता है. पिछले 30 वर्षों के कांग्रेसी शासन की तुलना में जब राज्य में गरीबी व भुखमरी बढ़ रही थी, वामपंथी मोर्चा सरकार के शासन के कुछ वर्षों में ही इन हालात में बड़े पैमाने पर तबदीली हो रही है. □

कानपुर के सीटू कार्यकर्ताओं की बैठक

सीटू कार्यकर्ताओं की एक बैठक 28 मार्च को कानपुर में हुई जिसकी अध्यक्षता श्याम सुंदर ने की.

सीटू के महासचिव सांसद, पी. राममूर्ति ने बैठक को संबोधित करते हुए एल आई सी अध्यादेश की कड़ी आलोचना की और सार्वजनिक क्षेत्र तथा लोको कर्मचारियों के आंदोलनों का समर्थन किया. उन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियन और जनवादी आंदोलन पर दमन करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर कठोर हमले और बढ़ते ही जाएंगे. उन्होंने सरकार की इन नीतियों के खिलाफ मजदूरों को एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया.

बैठक ने अपना कार्यवाही कार्यक्रम भी तैयार किया. बैठक को दौलतराम, लक्ष्मी सहगल तथा अन्यों ने संबोधित किया.

इस दौरान, ट्रेड यूनियन तथा जनवादी अधिकारों का दमन, गुंडों द्वारा हमले, तालाबंदी, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं का विक्टिमाइजेशन, सीटू कार्यकर्ताओं पर कातिलाना हमले आदि के खिलाफ सीटू, जनवादी महिला समिति तथा डी वाई एफ आई ने 4 अप्रैल को कानपुर में मेजिस्ट्रेट के घर के बाहर एक प्रदर्शन आयोजित किया और एक मांगपत्र पेश किया जिसमें चेतावनी दी गई थी कि यदि सरकार अपनी मजदूर विरोधी नीतियां जारी रखेगी तो मजदूरों को मजबूरन कानपुर बंद करना होगा. □

वैकल्पिक नीति के लिए

—चित्तव्रत मजूमदार, लघु उद्योग मंत्री

लघु उद्योगों को बढ़ाकर बेरोजगारी दूर करने की चर्चा इधर कुछ अर्से से की जा रही है. युवा बेरोजगारों से लेकर देश के भविष्य निर्धारकों तक सभी लघु उद्योगों को फलता फूलता देखने को उत्सुक हैं. वार्षिक योजनाओं में रोजगार के अवसर बढाने और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए लक्ष्य बनाए जाते हैं. भविष्य की आकर्षक योजनाओं के खाके बनाए जा रहे हैं. इसके बावजूद लघु उद्योगों के विकास में बाधाएं बरकरार हैं. योजनाएं बनाने वाले ऊपरी विचार छोड़कर लघु उद्योगों की मूल समस्याओं की ओर गौर कभी नहीं करते हैं. यह कुछ इसी तरह की बात है कि किसी पेड़ की जड़ें काटकर उसकी टहनियों के जमघट को सींचा जाए.

हमारे देश में लघु उद्योगों के विकास को लेकर विभिन्न विचारधाराएं है. कुछ लोग बड़े उद्योगों का खात्माकर और तकनीकी उन्नति को नकारकर लघु उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं. ऐसे लोगों का नारा है कि 'लघु ही सुन्दर है', दूसरी ओर कुछ लोग उद्योगों की बेहतरी के लिए विज्ञान और तकनीकी विकास को महत्त्व देते हैं. उनके अनुसार व्यक्ति की लगातार बढ़ रही वस्तुओं की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने का अकेला माध्यम आधुनिक तकनीकी ही है.

अच्छे वातावरण के लिए

भारत जैसे जनसंख्या प्रधान देश में बहुत बड़ी मात्रा में मानव शक्ति बिना उपयोग के रह जाती है. जबतक इस असीमित मानव ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पाएगा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी के चंगुल से किस तरह से निकाल पाएगे ? ज्यों-ज्यों लोग गरीब होते जा रहे हैं उनकी खरीदारी की शक्ति भी कम होती जा रही है और ऐसे में बड़े उद्योग अपनी मंडी अपने देश में कैसे खोल पाएंगे ? उत्पादन के हर क्षेत्र में उन्नत तकनीक के अधिक उपयोग से दरअसल ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार करके और उनकी खरीदने की ताकत कम करके यह बाजार और भी सीमित कर देते हैं. गरीबी के बढ़ने और बाजार के सीमित होने से उद्योगों की दशा बिगड़ती जाएगी. यह अर्थ-शास्त्र की एक मजबूत दलील है. यह चक्र यहीं तोड़ा नहीं जा सकता.

दूसरी ओर, आधुनिक तकनीक को नकार कर हम लघु और कुटीर उद्योग धंधों को उतना विकसित नही कर सकते है कि भारत के बाजार की सारी मांग को पूरा कर सकें.

हमें अपनी औद्योगिक नीति को इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर बनाना होगा साथ ही बड़े उद्योगों और छोटे उद्योग धंधों के क्षेत्र में एक अंतर बनाए रखना होगा. इस तरह लघु उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों के हमलों से बचाया जा सकता है और उन्हें फलने फूलने के लिए खुला क्षेत्र मिल सकेगा. अपने आरक्षित क्षेत्र में बड़े उद्योग भी खुले बाजार की सभी सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे. हमारे देश में उद्योगों के विकास के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करने की दिशा में यह एक सही कदम होगा. किन्तु योजनाएं बनाने वाले कुछ और ही सोचते हैं.

सही तथ्य

भारत सरकार ने ऊपरी तौर से इस जरूरत को महसूस किया है और प्रत्यक्ष रूप में अधमने भाव से लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण देने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं. यहां यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस मसले में राज्य सरकारें कोई भी कदम नहीं उठा सकतीं क्योंकि बड़ी उद्योग इकाइयां केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित इंडस्ट्रीज (डेवलेपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट के तहत आती हैं और इसके प्रशासन में राज्य सरकारों की अहमियत न के बराबर है. इस एक्ट से मिले अधिकारों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने अन्य 807 विशेष वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा है. यह संरक्षण भ्रामक है. इसके अनुसार जो बड़ी इकाइयां इन वस्तुओं को बना रहीं थीं उन्हें उत्पादन को जारी रखने की इजाजत तो है ही साथ ही अपनी लाइसेंस क्षमता के तहत अपना उत्पादन बढा भी सकती हैं. नतीजतन बड़ी उद्योग इकाइयों ने अपनी लाइसेंस क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच की खाई का पूरा-पूरा फायदा उठाया. अपने उत्पादन को कुछ इस तरह से जमाये रखा कि वे लघु उद्योग इकाइयां जो भारत सरकार के निर्णय के सहारे संरक्षण की तथा अन्य बहुत सी उम्मीदें लेकर इस क्षेत्र में आईं उनका भ्रम जल्द ही टूट गया. उन्होंने जाना कि इस क्षेत्र में खुले आम एक असमान प्रतियोगिता है और एक-एक करके सभी लघु उद्योग ठप्प हो गए. यह जीवन का एक सही तथ्य है जिसे लघु उद्योग के विकास का इच्छुक कोई भी व्यक्ति नजरअंदाज नही कर सकता.

गलाकाट प्रतियोगिता

ऐसा लगता है कि उपर दिया गया वक्तव्य सैद्धांतिक होने के कारण कुछ बोझिल हो गया है. इसे समझने के लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा. 1970 में भारत सरकार ने फैसला किया कि साइकिल टायरों के उत्पादन को लघु उद्योग इकाइयों को सौंप दिया जाएगा. उस वर्ष डी जी टी डी क्षेत्र में 2,09,89,000 साइकिल टायर बनाए गए. हालांकि उस समय डी. जी. टी. डी. क्षेत्र

की लाइसेंस क्षमता 3,82,10,900 टायर प्रति वर्ष थी. यह देखा गया कि मौजूदा लाइसेंस क्षमता का भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया था और इस्तेमाल की क्षमता लगभग 55% रही. लघु उद्योग क्षेत्र में दी गई क्षमता 3,23,40,000 टायर थी जिसमें से 1,70, 40, 000 सिर्फ पूर्वी क्षेत्र को दी गई थी.

पांचवी योजना के अंत तक रबड़ उत्पादन की कार्यशक्ति का अनुमान लगाने से पता चला है कि 6,00,00,000 साइकिल टायरों की क्षमता की तुलना में मांग सिर्फ 5,00,00, 000 टायर ही थी. इससे स्पष्ट है कि भविष्य में इस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि डी. जी. टी. डी. इकाइयों और लघु उद्योग क्षेत्रों की पूर्व क्षमता मांग से अधिक है.

इस वस्तु के भविष्य के उत्पादन को लघु उद्योग क्षेत्र को देने के 1970 में किए गए भारत सरकार के फैसले के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्रों ने यह उम्मीद की थी कि वस्तु की मांग जितनी अधिक बढ़ेगी उसकी पूर्ति वही करेंगे और बाजार में अपनी सही जगह बनाएंगे. उनकी ये उम्मीदें पूरी न हो सकीं. यह नीचे दिये गए डी. जी. टी. डी. क्षेत्र के प्रतिवर्ष के आकड़ों से जाहिर हो जाता है—

1970	—	—	2,09,89,000
1971	—	—	2,06,64,000
1972	—	—	2,16,50,000
1973	—	—	2,17,66,000
1974	—	—	2,52,36,000
1975	—	—	2,45,25,000
1976	—	—	2,36,07,000
1977	—	—	2,70,03,000
1978	—	—	3,04,02,000

इससे जाहिर है कि लाइसेंस शुदा क्षमता के नियमों को तोड़े बिना ही बड़े उद्योग अपने उत्पादन को एक करोड़ बढ़ा गए जबकि सही मायने में उत्पादन की इस वृद्धि का लाभ छोटे उद्योगों को मिलना चाहिए था. इस प्रकार बड़े उद्योग आसानी से छोटे उद्योगों के अधिकार हड़प गए. अब डी. जी. टी. डी क्षेत्र द्वारा उत्पादन वृद्धि का छोटे उद्योगों पर पड़ने वाले असर को देखेंगे. जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पूर्वी क्षेत्र में छोटे उद्योगों के स्तर पर साइकिल टायरों के उत्पादन की क्षमता 1,70,40,000 है, 1975 में वास्तविक उत्पादन केवल 85,50,000 हुआ. डी. जी. टी. डी. क्षेत्र से आनेवाले गलाकाट प्रतियोगिता के आगे छोटे उद्योग टिक न सके और जल्द ही इनमें से अधिकतर इकाइयां 'बीमार' हो गईं. 1980-81 के वर्ष में केवल 9 00,000 टायर ही बन पाए. 1980 में पूर्वी क्षेत्र में केवल तीन इकाइयां ही साइकिल टायरों का उत्पादन कर रही थीं जबकि 1975 में इसी क्षेत्र में 25 इकाइयां उत्पादन कर रही थीं.

मनोबल गिरा

ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार द्वारा छोटे उद्योगों को दी जा रही तथा कथित सुरक्षा का क्या अर्थ है. इससे जाहिर है कि डी. जी. टी. डी. क्षेत्र लाइसेंस क्षमता के दायरे में रहने के बावजूद अपने उत्पादन का बढ़ा पाने में समर्थ है इसके साथ-साथ वे अपने उत्पादन को मंडी के रूझानों के मुताबिक फेर बदल कर ऊंचे मुनाफे कमा सकता है. ऐसा भी कहा जाता है कि डी.जी.टी.डी. क्षेत्र इस उत्पादन में लघु उद्योग के अपने प्रतियोगियों को मंडी से बाहर फेंक देने के लिए कुछ समय तक घाटा उठाने की क्षमता भी रखता है. उनके लिए इस प्रकार के हथकंडे असंभव नहीं हैं क्योंकि वे अपने कई अन्य उत्पादनों पर बहुत मुनाफा कमा रहे हैं. हमें इस प्रकार के आरोपों प्रत्यारोपों में जाने की आवश्यकता नहीं है किंतु यह साफ है कि जब तक सुरक्षित श्रेणी में रखी जाने वाली वस्तुओं को बड़े उद्योगों को या तो बिल्कुल न दिया जाए या उनकी लाइसेंस क्षमता को सीमित कर दिया जाए तब तक कुछ वस्तुओं को लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित रखने की बात भ्रामक है.

वास्तव में सरकार द्वारा छोटे उद्योगों को दी जा रही तथाकथित सुरक्षा हानिकारक है क्योंकि इससे कई छोटे उद्यमी और उद्योगपति झूठी उम्मीदों को लेकर इस क्षेत्र में आते हैं. उनकी असफलता का इस क्षेत्र में आने वाले अन्य उद्योगियों पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि असफलताओं से उनका मनोबल गिरता है.

हम समझते हैं कि भारत सरकार को डी जी टी डी इकाइयों की उत्पादन क्षमता को सीमित करने के कदम उठाने चाहिए. इस संदर्भ में अगर जरूरत हो तो आई.डी.आर. एक्ट में भी संशोधन किया जाना चाहिए. पश्चिम बंगाल की सरकार काफी समय से केंद्र सरकार से इस बारे में आग्रह कर रही है किंतु केंद्र सरकार ने अब तक इस बारे में सुधार करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है.

विकास के लिए सहायक नहीं

उत्पादन का पूंजीवादी रास्ता विश्व के स्तर पर संकटग्रस्त हो चुका है. भारत के बड़े उद्योग भी इस संकट के प्रभाव से बच नहीं सकते. उनका आर्थिक दर्शन उन्हें सदा प्रतिस्पर्द्धा में जीने की सीख देता है. अपनी सुरक्षा के लिए तथा अपने विस्तार के लिए उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे आपस में होड़ कर व अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दें. इसके लिए उन्हें निर्दयी व नृशंस होना पड़ता है. जब किसी बड़े स्तर के प्रतिष्ठान की प्रतिस्पर्धा किसी छोटे स्तर के प्रतिष्ठान से होती है तो यह जंग बराबर के प्रतिद्वंदियों में नहीं रह जाती है. और बड़े प्रतिष्ठान छोटे प्रतिद्वंदियों को हड़प कर लेते हैं.

निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां छोटे उद्योगों के विकास के लिए सहायक नहीं हैं. अपने जन्म से ही छोटे उद्योग जानलेवा रोगों के जीवाणुओं से ग्रस्त होते हैं. प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में मिलने वाले धक्के व

[शेष पृष्ठ 35 पर]

पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार की प्रगतिशील शिक्षा नीति

—पार्था डे, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा मंत्री

पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों से शिक्षा सभी तरह से खतरे में थी. स्कूलों और कालेजों में अनुशासनहीनता पूरे जोरों पर थी. परीक्षायें समय पर नहीं होती थी और न ही परीक्षाओं के परिणाम समयानुसार निकाले जाते थे. उन दिनों परीक्षा में नकल पूरे जोरों पर होती थी. इस राज्य में शिक्षा का भविष्य अच्छा नहीं आंका जाता था. इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने जून 1977 में सत्ता में आते ही इस मसले को गम्भीरता से लिया और अब इस तरीके को पूरी तरह से उलट दिया. अब कोई भी स्कूलों या कालेजों में कोई गम्भीर दखलअन्दाजी नहीं सुन सकता. अभी-अभी पिछले दिनों समूचे राज्य में माध्यमिक श्रेणी की अन्तिम परिक्षाएं आराम और शान्तिपूर्वक ढंग से हुई. पिछले दो सालों में इन परिक्षाओं के परिणाम बिना किसी देर किये निकाले गये जिससे विद्यार्थियों को काफी लाभ हुआ. वास्तव में इस तरह राज्य में शिक्षा को सही रास्ते पर लाया गया· अब नकल करना तो पिछले दिनों की याद बन कर ही रह गया है.

1977 तक, शिक्षा पांचवीं कक्षा तक के लडकों को और आठवीं कक्षा तक लडकियों के लिये निशुल्क थी. वाममोर्चा सरकार ने सत्ता में आने पर 1979 से शिक्षा दोनों लडकों और लड़कियों के लिये आठवीं कक्षा तक निशुल्क कर दी. और अगले वर्ष 1980 में शिक्षा नौवी और दसवीं श्रेणी के लिये निशुल्क कर दी गई. जनवरी 1981 से, शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्तर यानि ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा के लिये भी निशुल्क कर दी गई. इस प्रकार शिक्षा का धीरे-धीरे परन्तु सुनियोजित और स्थायी ढंग से प्रसार के लिये एक निश्चित नीति और सम्मिलित प्रयत्न प्रत्यक्ष और विचारणीय हैं. सरकार को अध्यापकों के वेतन के भुगतान के माध्यम से स्कूलों में पढ़ाने का खर्च करना पड़ता है. इस निशुल्क शिक्षा लागू करने के फलस्वरूप कमजोर वर्गों और निम्न व मध्यम-आय वर्ग के लोगों के लिये अपने बच्चों की शिक्षा सुचारू रखना आसान हो गया है. इससे निश्चय ही काफी हद तक शिक्षा-प्रसारण होगा और सभी समझदार लोग निश्चय ही वाममोर्चा सरकार की शिक्षा में रूचि को अनुभव करेंगे. वाममोर्चा सरकार शिक्षा को केवल निशुल्क बनाकर ही सन्तुष्ट नहीं रही है. इसने अधिकाधिक स्कूलों की स्थापना करने, विशेषतौर से गावों में, की योजना का काम लिया है. इसके परिणामस्वरूप अधिक से अधिक गावों में स्कूल खोले जा रहे हैं. इसका उद्देश्य यह है कि हर गांव में कम से कम एक स्कूल तो अवश्य हो. दूसरे शब्दों में कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें स्कूल न हो. इसके अतिरिक्त निम्न कक्षा के विद्यार्थियों को कई पाठ्य-पुस्तकें और कुछ लेखन-सामग्री मुफ्त दी जा रही है. सरकार ने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त दोपहर का भोजन भी देने का प्रबंध किया है. ये सब प्रोत्साहन योजनाओं का ही एक भाग है जिससे इस गरीब और अत्याधिक अशिक्षित देश के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे जनता में शिक्षा के प्रसार में सहायता मिलेगी.

उदाहरण के लिए, राज्य शिक्षा विभाग ने 1984-85 के दौरान प्राथमिक स्कूलों में 6 से 11 वर्ष तक की उम्र के 16·77 लाख अतिरिक्त बच्चों की भर्ती का सुझाव दिया जिससे उस ग्रुप के बच्चे 1977-78 में 84 प्रतिशत से बढ़ कर 1984-85 के अंत तक शत प्रतिशत हो जाएगा. जो 16·17 लाख अतिरिक्त बच्चे भर्ती किये जाएंगे. उनमें से 11·77 लाख बच्चे औपचारिक स्कूलों में होंगे और 5 लाख बच्चे अनौपचारिक (पार्ट-टाइम) केन्द्रों में. ऊपर बताये गये आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 1984-85 के अंत तक 81·84 लाख होगी.

वित्तीय वर्ष 1980-81 में पश्चिम बंगाल सरकार ने 1,200 नये प्राथमिक स्कूल, जिनमें जनवरी 1981 से 3,800 अतिरिक्त अध्यापक होंगे, खोलने की अनुमति दी है. इससे 1981 में 2·02 लाख नए विद्यार्थियों को प्रवेश की सुविधा प्राप्त होगी. इसी तरह इतनी ही संख्या में इतने ही अध्यापकों सहित प्रति वर्ष स्कूल खोलने की स्वीकृति दे दी गई है. अब तक कुल अनुमोदित स्कूलों की संख्या 4,600 आती है. इन सभी तरीकों से, पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य को लागू करने की वास्तव में कोशिश की है.

सामूहिक शिक्षा

सामूहिक शिक्षा के प्रसार के लिये, स्कूलों की स्थापना और उनके प्रबंधक का काम परम्परागत ढंग से विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा नहीं होना चाहिये. स्कूल के कार्यों में निजी उद्यम जो लम्बे समय से राज्य में होता रहा है अब समूची जनता को शिक्षा देने के कार्य में बाधा हैं. राज्य को कम से कम उच्चतर-माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये. वाममोर्चा सरकार ने इस मामले को गम्भीरतापूर्वक लिया है और परम्परागत प्रणाली को हतोत्साहित किया है.

सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी माध्यमिक स्कूलों को 'पूर्ण वेतन घाटा योजना' के अन्तर्गत लिया है. केवल यह ही एक ऐसा रास्ता है जिसमे सामूहिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है. राज्य की पहली सरकारों ने इस प्रकार के प्रयत्न कभी नहीं किये. इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि वाममोर्चा सरकार जनता में शिक्षा के प्रसार के अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए वचनबद्ध है.

अविधिवत शिक्षा

सामूहिक शिक्षा की योजना को पूर्ण बनाने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने अविधिवत शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया है जिसका मुख्य उद्देश्य 11 से 14 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं भेजे जाते या जो स्कूल छोड़ देते हैं, जीवनयापी बुनियादी ज्ञान प्राप्त कर सकें. ऐसी शिक्षा प्रदान करने का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य सीखने वालों को उनके काम, कमाई, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और पड़ोस को अच्छा बनाने में सहायता करना है ताकि विकास के कार्यों में उनका सहयोग, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में अधिक प्रभावशाली हो सके. अविधिवत शिक्षा केंद्रों की कुल संख्या 5,700 है.

व्यस्क शिक्षा योजना

व्यस्क शिक्षा योजना को मजबूत बनाने के लिये, जिलों के लिये केंद्र द्वारा प्रायोजित 14 ग्रामीण कार्यशील साक्षरता प्रयोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है. इसी तरह की राज्य द्वारा प्रायोजित 15 प्रयोजनाओं को भी 15 जिलों के लिये स्वीकृति दे दी गई है.

चार सौ अविधिवत शिक्षा केंद्र 15 से 35 वर्ष को आयु-ग्रुप के लिये और 480 किसानों के लिए कार्यशील साक्षरता केन्द्र जो 1978-79 तक के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं थी, उनको राज्य के कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया गया है.

पुस्तकालय सेवाएं

विभिन्न पुस्तकालयों की संख्या बढ़ गई है, विशेष तौर पर ग्रामीण प्रायोजित पुस्तकालय जो 1977 में 700 के मुकाबले अब 1,775 हैं. विभिन्न पुस्तकालयों के लिये वार्षिक अनुदान की दरों को काफी मात्रा में बढ़ा दिया गया है.

इन सब बातों से यह कहा जा सकता है कि यह पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ही है जिसने स्वतन्त्रता के बाद पहली बार शिक्षा की परम्परागत उपनिवेशिक प्रणाली को एक सामूहिक शिक्षा प्रणाली में बदला है.

नई वर्णमाला पुस्तक

राजनीतिक प्रवृति से प्रेरित आलोचक ऐसे बोलते हैं जैसे इसके ऊपर कभी बिल्कुल भी विचार ही नहीं करना था. पश्चिम बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुधार लाने के वाममोर्चा सरकार के सच्चे प्रयत्नों की प्रशंसा करने की बजाय, कुछ आलोचकों ने, बंगाली में एक नई वर्णमाला प्रस्तुत करने और केवल राज्य की मातृभाषा को ही प्राथमिक स्तर पर सिखाने, पर आक्रमण किया है. उन्होंने इस बात की आरोप लगाया है कि सरकार प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रवीन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक 'सहज पथ' हटाने की कोशिश कर रही है. इस मुद्दे पर उन्होंने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है, लोगों को गुमराह किया है और वाममोर्चा सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की है. उन्होंने इस हद तक आरोप लगाया है कि यह सरकार टैगोर विरोधी है. परन्तु सत्य यह है कि टैगोर की 'सहज पथ' को हटाया नहीं गया है. यह पुस्तक शिक्षा के प्राथमिक स्तर में ही है. केवल 'सहज पथ' के अतिरिक्त एक औरकिताब प्रारम्भिक अवस्था में बंगाली सिखाने के लिए लिखी गई है और प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई है. यह समझ नहीं आता कि हमने सहज-पथ को कैसे खत्म कर दिया. लेकिन राजनीतिक विरोधी कुछ बुद्धिजीवियों की सहायता से अभी भी इस मुद्दे पर वामपंथी मोर्चा सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं,

यहां पर नई वर्णमाला के प्रवेश की भूमिका बता देना ठीक होगा. स्वतन्त्रता से ही, कई शिक्षा आयोगों और समितियों ने, केन्द्र और राज्य स्तर पर, प्राथमिक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम के नवीनीकरण और पुर्न-निर्धारण पर जोर दिया है. 1974 में पश्चिम बंगाल में तत्कालीन सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम समिति का गठन किया गया था. लेकिन समिति उस सरकार के कार्यकाल में काम नहीं कर सकी. 1977 में वर्तमान वामपंथी मोर्चा सरकार ने सत्ता में आने के बाद जन-हितैषी कार्यक्रमों और शिक्षा कार्यों को लिया और समिति का पुर्नगठन किया. इस उद्देश्य से कि यह समिति अधिक जनवादी ढंग से काम करे, समिति का विस्तार किया गया जिसमें शिक्षाविदों, शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों और प्राथमिक अध्यापक एसोसियेशन के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया. कई पहलुओं पर पूर्णतया और ध्यान से विचार करने के बाद, पाठ्यक्रम समिति ने दूसरी बातों के अलावा प्राथमिक बच्चों के लिए एक नई भाषा वर्णमाला-पुस्तक का लिखना और प्राथमिक स्तर पर इंगलिश को खत्म करने की सिफारिश की. इसने एक ऐसी पुस्तक के लिखने की सिफारिश की जो पढ़ने और पढ़ाने को यथारूप और अर्थपूर्ण बनाने के लिए बच्चों की आशाओं, आकांक्षाओं और उनके प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के अनुकूल हो. नई पुस्तक को हर पांच वर्ष के बाद संशोधित किया जा सकता है. सभी पाठ्यक्रम आपस में संबन्धित होने चाहियें. सभी विषयों पर नई पुस्तकें लिखी जानी चाहियें. समिति ने इन पुस्तकों के लिखने के लिये एक निश्चित तरीका भी निर्धारित किया है. जहां तक भाषा के लिए वर्णमाला-पुस्तक लिखने का सवाल है, आधुनिक विचार यह है कि सही, रोचक व स्वयं-सीखने वाले अभ्यासों की सहायता से वर्णमाला, शब्दों, वाक्यों और प्रारम्भिक

व्याकरण का सही स्थितियों में सही प्रयोग का सुनना, बोलना, बात-चीत करना, उनको पहचानना और उनको लिखना आदि वर्गीकृत सामग्री भी शामिल होनी चाहिये. वर्णमाला-पुस्तक बच्चों के लिये इस बात से भी सहायक हो कि वे बदलते हुए प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण और प्रस्तुतीकरण के बीच सम्बंध स्थापित कर सकें. इन विचारों को मध्येनजर रखकर नई वर्णमाला को बंगाली में लिखा गया है. यह सत्य है कि टैगोर की सहज-पथ बच्चे के प्रथम साहित्यिक आनन्द की शुरूआत है. लेकिन ऊपर बतलाये गये तरीकों से भाषा को सीखने के लिये, सहज-पथ उपयुक्त नहीं है. यह बात आम तौर पर सभी बुद्धिजीवियों द्वारा स्वीकारी गई है. यहां तक कि टैगोर स्वयं इसी विचार के थे. इसीलिये, भाषा को सही और वैज्ञानिक ढंग से सीखने के लिये, वाममोर्चा सरकार ने, सहज-पथ को प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिये एक पाठ्य-पुस्तक रखते हुए, इस अतिरिक्त नई पुस्तक का निर्धारण किया है. यह एक साधारण सी बात है लेकिन यह क्या हंगामा. इस बात को गलत ढंग से बतलाया गया है जैसे सहज पथ को खत्म कर दिया गया, टैगोर के खिलाफ पक्षपात आदि आदि.

भाषा नीति

एक और मुद्दा जिस पर कुछ विरोधियों ने शोर मचा रखा है, वह वाममोर्चा सरकार का प्राथमिक स्तर पर केवल मातृभाषा को ही पढ़ाये जाने पर दबाव डालना है. वे प्राइमरी स्तर पर इंगलिश जबरदस्ती पढ़ाने को खत्म करने पर फिजूल में ही चिन्तित हो गये हैं. यह 1981 में, स्वतन्त्रता के 33 वर्षों के बाद, आश्चर्य की बात है कि अभी भी ऐसे भारतीय हैं जो शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर इंगलिश के बदले मातृभाषा पर ध्यान देने के सिद्धान्त की अवहेलना करते हैं. यह अब चारों ओर से शिक्षाविदों द्वारा माना जाता है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा सिखाई जानी चाहिए जो बल्कि शिक्षा देने का माध्यम भी होना चाहिये. कुछ एक को छोड़ कर सारे संसार में यही तरीका अपनाया जा रहा है. एक बार बच्चा अपनी मातृभाषा सीखने लग जाये तो यह दूसरी भाषा, इंगलिश या कोई और, बड़ी आसानी और योग्यता से सीख सकता है. यहां तक कि टैगोर ने, जिसका शिक्षा-नीति के विरोधी प्रायः हवाला देते हैं, एक अवसर पर कहा था कि "केवल मातृभाषा ही शिक्षा को चूस सकती है." इससे भी अधिक संसार के दूसरे देशों का अनुभव बतलाता है कि जनता में शिक्षा के प्रसार और राष्ट्रीय शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, प्राइमरी स्तर पर बच्चों का केवल मातृभाषा पढ़ना ही फलदायक होता है. इसलिये पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने प्राइमरी स्तर पर इंगलिश का अनिवार्य तौर पर पढ़ाना समाप्त कर दिया है और इस बात का फैसला किया कि प्राइमरी स्तर पर केवल मातृभाषा ही सिखाई जानी चाहिये. इंगलिश को बिल्कुल समाप्त नहीं किया गया, यह छटी से बारहवीं कक्षाओं में दूसरी भाषा के रूप में आवश्यक विषय बना कर पढ़ाई जायेगी. □

विकल्प नीति

[पृष्ठ 32 से आगे]

परेशानियां बीमारी को सामने ला देते हैं. जिस प्रकार हमारे देश में बाल-मृत्यु की दर ऊंची है इसी प्रकार छोटे उद्योग भी विकास व रोजगार की संभावनाओं के बावजूद सरकारी नीतियों की कमी के कारण नहीं टिक पाते. इन हालात में यह जरूरी हो जाता है कि छोटे उद्योग आपस में एकता कर अपनी रक्षा की कोशिशें करें. उन्हें निजी व सार्वजनिक तौर पर अपनी समस्याएं जनता के आगे रखनी चाहिए व सरकार से छोटे उद्योगों के प्रति अपनी नीतियां बदलने की मांग करनी चाहिए.

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि छोटे उद्योगपति अपने प्रति सरकार की भेदभावपूर्ण नीति से दुःखी है किंतु उनमें आपस के भी कई अंतर्विरोध हैं. ऐसा होना लाजमी है क्योंकि वे भी व्यक्तिगत मुनाफे के उद्देश्य से ही प्रेरित हैं. वर्तमान स्थिति में उनके लिए एकजुट होकर अपने हितों के लिए संघर्ष करना संभव नहीं है. किंतु इस स्थिति से छोटे क्षेत्र के उद्योगों में रोजगार की संभावनाएं कम हो रही हैं जबकि देश भर में बेरोजगारी की काली छाया मंडरा रही है.

एकमात्र गारंटी

देश के विकास के हित में देश की जनवादी जनता, विशेषकर मजदूर वर्ग, को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए व छोटे उद्योगों के मुद्दों को अपने मुद्दे मानकर उनका समर्थन करना चाहिए. यदि मजदूर वर्ग छोटे उद्योगों के हितों के समर्थन में आंदोलन छेड़ देते हैं तो आखिरकार छोटे उद्योगपति न केवल यह समझेंगे कि मजदूर वर्ग के हितों के साथ जुड़ने में ही उनका हित है बल्कि यह उनके अस्तित्व के लिए एक मात्र गारंटी है. तब हम यह आशा भी कर सकते हैं कि सरकार की नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए छोटे उद्योगपति मजदूर वर्ग द्वारा छेड़े गए आंदोलन का साथ देंगे. □

सीटू की मासिक पत्रिकाओं को पढ़िए

दि वर्किंग क्लास

(अंग्रेजी में)

सीटू मजदूर

(हिंदी में)

एक प्रति की कीमत 50 पैसे
सालाना चंदा छः रुपये
कम से कम 5 प्रतियों की एजेंसी

लिखें :

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली 110001

पश्चिम बंगाल का भूमि सुधार कार्यक्रम

पश्चिमी बंगाल की वामपंथी मोर्चा सरकार अगले कुछ महीनों में अपने शासन के 4 वर्ष पूरे करने जा रही है. इन वर्षों में भूमि सुधार के क्षेत्र में इस सरकार द्वारा किये कामों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इस मूल्यांकन से ही वाम मोर्चा सरकार के भूमि सुधार कार्यक्रम को सही प्रकार समझ सकते हैं.

यहां आरम्भ में ही यह बता देना जरूरी है कि भूमि सुधार कार्यक्रम में वामपंथी मोर्चा सरकार का उद्देश्य पूर्ण कृषि क्रांति करना या कृषि के क्षेत्र में सामंतीय या अर्द्धसामंतीय उत्पादन संबंधों को समाप्त करना नहीं है. वर्तमान भारतीय संविधान तथा इसके तहत राज्य सरकारों को दिए गए सीमित अधिकारों के रहते ऐसा करना संभव भी नहीं है. ये बड़े उद्देश्य तो क्रांति करके ही हासिल किए जा सकते हैं.

वर्तमान हालात में यथार्थवादी रुख अपनाते हुए वामपंथी मोर्चा सरकार इस प्रकार के कदम उठा रही है जिनसे खेतिहर मजदूर, बटाईदार व छोटे किसान अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित व उत्साहित हों. राज्य के किसानों का 75 प्रतिशत इन्हीं तीन श्रेणियों से आता है और देहात में भूमि सुधारों के समर्थन में ये वास्तविक शक्ति के रूप में काम कर सकते हैं.

मूलगामी भूमि सुधारों के लिए काम करने के साथ साथ वामपंथी मोर्चा सरकार मंझोले किसानों के साथ एकजुटता कायम करने तथा धनी किसानों के एक हिस्से को अपने साथ लेने का प्रयत्न कर रही है जिससे कि देहात में वर्ग शत्रुओं का एकजुटता से सामना किया जा सके.

इन उद्देश्यों को लेकर वामपंथी मोर्चा सरकार ने कुछ लक्ष्य-ग्रुप चुने हैं जिनकी सहायता के लिए सही कदम उठाए जा रहे हैं.

हितों की समानता

पहला लक्ष्य-ग्रुप है खेतिहर मजदूर. इस वर्ग की दो मुख्य समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं—खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण तथा कार्य-रहित महीनों में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के तहत उन्हें काम दिलवाना. सरकार ने इनके लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 8 रु० 10 पैसे तय की है. प्रशासनिक उपायों द्वारा न्यूनतम मजदूरी को लागू करवाने के प्रयत्न हो रहे हैं. खेतिहर मजदूर भी आंदोलन व संघर्ष आयोजित कर न्यूनतम मजदूरी मिलने के अपने अधिकार को पाने की कोशिश कर रहे हैं. परिणामस्वरूप हर जगह खेतिहर मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी में 2 से 3 रुपये तक की वृद्धि हुई है. कई जगहों पर वे रु० 8·10 दैनिक मजदूरी पाने में सफल हुए हैं. हाल ही में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 9.58 रु० प्रति दिन कर दिया गया है. निर्वाचित पंचायतों द्वारा लागू किए जा रहे 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के द्वारा पिछले वर्ष 15 करोड़ मैनडेज बनाए गए. इससे सदियों से चली आ रही बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने व खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने में काफी सफलता मिली. सरकार के इन प्रयत्नों से खेतिहर मजदूरों में उत्साह तथा वे अपने आपको संगठित करने लगे. वे धीरे-धीरे अब यह समझने लगे हैं कि वामपंथी मोर्चा सरकार उनकी अपनी सरकार है तथा दोनों के हितों में समानता है.

दूसरा लक्ष्य-ग्रुप है बटाईदार. इनकी मुख्य समस्यायें हैं—(1) बेदखली (2) अधिकारों की सुरक्षा तथा (3) सदियों से चली आ रही ऋणग्रस्तता से छुटकारा दिलाने के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था. वामपंथी मोर्चा सरकार ने इन तीनों समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं.

गैरकानूनी बेदखली को रोकने के लिए लैंड रिफार्म्ज एक्ट में संशोधन किए गए हैं. पिछले अनुभव से हम जानते हैं कि बेदखली का मुख्य आधार एक्ट की वही धारा है जिसके अनुसार जमींदार स्वयं खेती करने की इच्छा जाहिर करता है. इस दावे पर बेदखली आसानी से हो जाया करती थी. किंतु अब 'खेती के पुनरारंभ' की परिभाषा में तीन शर्तें जोड़ दी गई हैं—1) यदि कोई व्यक्ति बेदखली कराके स्वयं खेती करना चाहता है तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसकी आजीविका का मुख्य स्रोत खेती ही है, 2) उसे साल में अधिकतर समय भूमि के 8 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा तथा 3) बेदखली कराके उसे स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों को ही खेती करनी होगी. ये शर्तें गैरकानूनी या नाजायज बेदखली पर अंकुश लगाने में काफ़ी सहायता करेंगी.

अच्छा प्रभाव

कानून द्वारा दिए गए अधिकारों को पाने के लिए यह आवश्यक है कि बटाइदारों का नाम कानूनी रूप से दर्ज हो. इस काम को पूरा करने के लिए वामपंथी मोर्चा सरकार ने 'आपरेशन बर्गा' नामक सुनियोजित कार्यक्रम बनाया है. इस कार्यक्रम के तहत पहले उन क्षेत्रों को ढूंढा जाता है जहां बटाईदार अधिक संख्या में रहते हैं. तब इन क्षेत्रों में बटाईदारों की सभाएं आयोजित की जाती हैं तथा उन्हें समझाया जाता है कि उनके लिए संगठित होना व बटाईदार के रूप में नाम पंजीकृत करवाना कितना आवश्यक है. इसके बाद सरकारी अफसर उस क्षेत्र में भेजे जाते हैं जो स्थानीय पंचायतों की सहायता से बटाईदारों का नाम दर्ज कर लेते हैं. बटाईदारों को पंजीकृत करने की यह प्रणाली लाभदायक सिद्ध हुई . जहां पिछले 30 वर्षों में केवल 2 लाख 75 हजार बटाईदार ही दर्ज हो पाए थे, इस प्रणाली के प्रयोग से पिछले 3-4 वर्षों में ही 10 लाख से अधिक बटाईदार रजिस्टर हो चुके हैं हालांकि इस बीच

1978 की विनाशकारी बाढ़, पंचायत चुनावों तथा लोक सभा चुनाओं के कारण यह काम कई महीने न हो पाया था.

पहले उपभोग तथा निवेश ऋणों के द्वारा जोतदार बटाईदारों का शोषण कर पाते थे अब बटाईदारों को ऋण की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने उन्हें संस्थागत ऋण दिलवाने की व्यवस्था की है. इस ऋण पर केवल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाता है जबकि पहले उन्हें ऋण पर 100 प्रति शत से लेकर 150 प्रति शत वार्षिक तक ब्याज देना पड़ता था. यदि बटाईदार अगले वर्ष की 31 मार्च तक अपने ऋण का मूलधन चुका देते हैं तो उनका ब्याज भी सरकार दे देती है अर्थात उनका ऋण बिल्कुल ब्याज रहित रह जाता है. इन प्रयत्नों का बटाइदारों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है तथा वे वामपंथी मोर्चा सरकार के दृढ़ समर्थक बन गए हैं.

किसानों को राहत

तीसरा लक्ष्य ग्रुप है छोटे व मझोले किसान. लगान व ऋण के बोझ से इस श्रेणी को छुटकारा दिलाने के लिए वामपंथी मोर्चा सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं. सत्ता में आने के तुरंत बाद इस सरकार ने 4 एकड़ तक की सिंचित भूमि व 6 एकड़ तक की गैर-सिंचित भूमि पर लगान माफ कर दिया. इससे अधिक क्षेत्रफल की जमीनों पर लगान आधा कर दिया गया है. इससे सभी श्रेणियों के किसानों की सहानुभूति पाने में सरकार को सहायता मिली है. पिछले वर्ष एक एक्ट पास किया गया है जिसके अनुसार लगान प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है तथा इसके स्थान पर 50 हजार से अधिक कीमत की जमीन पर भूमि कर लगा दिया गया है. लगान का सिद्धांत किसान द्वारा भूमि के स्वामित्व के सिद्धांत से मेल नहीं खाता क्योंकि लगान तो वास्तव में काश्तकार द्वारा भूमि के मालिक को दिया जाने वाला शुल्क है. इस एक्ट द्वारा 80 प्रति शत भूमि करमुक्त हो गई है. क्रमिक रूप से लिया जाने वाला कर अर्थात् कम भूमि पर कम कर व अधिक भूमि पर अधिक कर सिद्धांततः भी ठीक है—यह योजना राज कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है. वामपंथी मोर्चा सरकार सही मानों में यह दावा कर सकती है कि इस मामले में उसने देश भर में पहल की है.

धनी किसानों को भी अपने साथ लेने के लिए सरकार पूरा प्रयत्न करती है कि उनकी उपज—विशेषकर जूट तथा आलू जैसी व्यावसायिक फसलों—की उन्हें सही कीमत मिले. जब भी कीमतों में कृत्रिम गिरावट आती है, वामपंथी मोर्चा सरकार उनकी उपज को सही कीमतों पर खरीदने के लिए सामने आती है तथा इस प्रकार उनकी सहायता करती है.

इन उपायों के अतिरिक्त वामपंथी मोर्चा सरकार ने 2 लाख एकड़ भूमि को कृषि के लिए उपलब्ध कराया है तथा इस समय 3 लाख 33 हजार एकड़ भूमि खेतिहर मजदूरों व भूमिहीन किसानों में बांट रही है. इस प्रकार पिछली 6 लाख 14 हजार एकड़ भूमि को मिलाकर राज्य में बांटे जाने वाली कुल भूमि 9 लाख 47 हजार एकड़ हो गई है. यह पूरे देश में बांटी गई जमीन के आधे के बराबर है.

वामपंथी मोर्चा सरकार उन खेतिहर मजदूरों, दस्तकारों, मछुआरों आदि के अपने काम करने की जगहों पर बने घरों को भी पंजीकृत कर रही है जो 26 जून 1975 या इससे पहले उन स्थानों पर रहते थे. इस कदम से इन लोगों को इन जगहों पर रहने का अधिकार मिलेगा. इन्हें इन स्थानों पर घर बनाने के लिए ऋण देने की व्यवस्था की जा रही है.

वामपंथी मोर्चा सरकार बटाईदारों व अन्य किसानों के लिए सहकारिता की सेवाएं आयोजित कर रही है. इससे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी.

अभी हाल में पश्चिम बंगाल विधान सभा ने लैंड रिफोर्म एक्ट में विस्तृत संशोधन किए हैं. यह संशोधन इस एक्ट की उन कमियों को दूर करेगा जिनके कारण निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण करने में दिक्कतें पेश आती थीं. अब तक 12 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है जो देश भर में अधिग्रहण की गई भूमि का आधा है. संशोधित बिल कम से कम 10 लाख एकड़ और भूमि का अधिग्रहण करने में सहायक सिद्ध होगा.

वे लोग जो सामाजिक-आर्थिक अध्ययन में दिलचस्पी रखते हैं यह जानते हैं कि वामपंथी मोर्चा सरकार महत्त्वपूर्ण काम कर रही है. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रेक्षक श्री भोला पासवान शास्त्री तथा अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति जो स्वयं यह देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के देहातों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सामाजिक परिवेश में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के कामों की तारीफ कर रहे हैं. अपनी सीमाओं के बावजूद ये कदम देहात की जिंदगी पर स्थायी प्रभाव डाल रहे हैं व सामाजिक परिवर्तन की शक्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं. □

सीटू का नवीनतम प्रकाशन

बढ़ता दमन-शक्तिशाली संघर्ष !

(हिंदी में)

लेखक

बी. टी. रणदिवे

अध्यक्ष, सीटू

कीमत : 80 पैसे

मिलने का पता
सीटू कार्यालय,
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001

हत्या व लूट का नंगा नाच: सरकार गिराने का नवीनतम हथियार

पश्चिम बंगाल की जनता के सामने 3 अप्रैल को अधिनायकवाद का घृणित चेहरा तब एक बार फिर साफ हो गया जब कांग्रेस (इ) के गुंडों ने राज्य में हत्याओं व लूटपाट का वातावरण पैदा करने के प्रयत्न किए. इस दिन कांग्रेस (इ) द्वारा घोषित बंद एक साधारण बंद न था. इस बंद की प्रेरणा केंद्र से आई थी व इसे पुलिस व अफसरशाही के एक वर्ग का पूरा समर्थन प्राप्त था. उन सभी लोगों पर—जिनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं—जिन्होंने इस दिन घरों से बाहर निकलने का साहस किया बमों से हमले किए गए. जनतांत्रिक विचार रखने वाले देश के नागरिकों को कांग्रेस (इ) समर्थकों द्वारा की गई अमानवीय हिंसा से आघात पहुंचा है. किंतु इससे हिंसा के समर्थकों व इसके द्वारा अपना उल्लू सीधा करने वाले तत्वों के कानों पर जूं तक न रेंगी. जब देश की जनता इस दिन होने वाली घटनाओं पर दुःख प्रकट कर रही थी ये लोग नकली हस्ताक्षर अभियान चलाकर यह दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे कि इन अमानवीय घटनाओं के लिए मोर्चा सरकार जिम्मेदार है. इनके ये प्रयत्न नाकाम रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि 3 अप्रैल को जो हुआ वह अधिनायकवाद की भूमिका है.

षड़यंत्र

पिछले कुछ समय से इन तत्वों द्वारा यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि राज्य में कानून व व्यवस्था समाप्त हो गई थी. पश्चिम बंगाल की विधान सभा में पिछले दिनों इन लोगों ने जितनी अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की उतनी इसके इतिहास में पहले कभी न हुई. जब झूठे दोषरोपणों से काम न बना तो जानबूझकर कानून तोड़कर कानून व व्यवस्था की स्थिति को खराब करने की कोशिश की गई. 30 मार्च को पुलिस पर हमला किया गया जिसका प्रयोजन था कि कुछ व्यक्तियों की जानें जाएं जिससे कि 3 अप्रैल के लिए घोषित बंद का कुछ आधार बने. बंद के आयोजक यह जानते थे कि केंद्रीय सरकार उनकी सहायता के लिए तत्पर है. उनकी यह धारणा गलत न थी क्योंकि बंद के दिन केंद्रीय सरकार ने कई कार्यालय बंद कर व रेलवे यातायात को स्थगित कर वास्तव में बंद के आयोजकों की सहायता की. वामपंथी मोर्चा सरकार को गिराने के षड़यंत्र में अब तक कई व्यक्तियों की जानें जा चुकी हैं व बहुत से व्यक्ति हस्पतालों में मौत से जूझ रहे हैं.

पश्चिम बंगाल की जनता, विशेषकर वर्ग-सचेत मजदूर वर्ग, ने साहसपूर्वक बंद के आह्वान को अनदेखा किया व सामान्य जीवन को तहस-नहस करने के गुंडों के प्रयत्नों का विरोध किया. इस शरारतपूर्ण बंद के प्रति उनका मौन विरोध यह दर्शाता है कि आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए वे तैयार हैं.

वीभत्स रूप

बंद को 'सफल' बनाने के लिए इसके समर्थकों ने हत्याएं, आगजनी व लूट कर आतंक का ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जिससे कि मजदूर व कर्मचारी लोग इसका विरोध न कर पाएं. बंद समर्थकों का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन था. सार्वजनिक बसों आदि पर एक दिन पहले से ही हमले शुरू किए गए तथा कई ट्रामों को जलाकर राख कर दिया गया. बंद के दौरान कलकत्ता शहर में समाज-विरोधी तत्वों ने बसों व ट्रामों को हमले का निशाना बनाए रखा. यहां तक कि यात्रियों से भरे परिवहन साधनों को भी नहीं बख्शा गया. निजी बसें भी इन तत्वों के हमले का शिकार बनने से न बच पाई.

लूटपाट व आगजनी की घटनाओं में सबसे अधिक वीभत्स वह घटना थी जब टौलीगंज में चारु मार्किट के निकट यात्रियों से भरी दुमंजिली बस पर विस्फोटक बम फेंके गए. बम बस के अगले हिस्से से टकराए जहां तत्काल आग लग गई. बस में सवार तीन महिलाएं घटनास्थल पर ही जल कर राख हो गई तथा अन्य यात्री घायल अवस्था में चीखते हुए बाहर की ओर भागे. बाद में इनमें से कई की हस्पताल में मृत्यु हो गई.

अपने काम पर जाते हुए मजदूरों, कर्मचारियों, छात्रों व कामगार महिलाओं पर बमों, पत्थरों, ईंटों तथा अन्य हथियारों से हमले किए गए. दुकान खोल रहे छोटे दुकानदारों के साथ भी यही बर्ताव किया गया. एक कालेज प्राध्यापक ने, जो बाद में खुद भी ट्राम में यात्रा करते हुए बमों के हमले का शिकार हुआ, बताया कि महिला प्राध्यापकों व छात्राओं को धमकाया गया कि यदि वे स्कूल या कालेज जाएंगी तो उनपर एसिड बमों से हमला किया जाएगा. बमों के हमलों में एक स्कूल के छात्र की मृत्यु हो गई. फैक्ट्री के गेटों पर इंटक समर्थक व समाज-विरोधी तत्वों ने काम पर जा रहे मजदूरों पर बमों व लोहे की छड़ों से हमले किए. हावड़ा जिले में संकरेल स्थान पर सीटू से संबद्ध एक जूट मजदूर की हत्या कर दी गई तथा बीसियों मजदूर घायल हुए.

मजदूर वर्ग द्वारा प्रतिरोध

हम राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध राज्य

के मजदूर वर्ग व जनता को बधाई देते हैं जिन्होंने वामपंथी मोर्चे, सी. पी. आई. तथा वामपंथी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर इस शरारतपूर्ण बंद का विरोध किया. हिंसा व आगजनी के वातावरण में अपने जीवन तक की प्रवाह किए बिना परिवहन व फैक्ट्री मजदूर, राज्य सरकार व निजी कार्यालियों के कर्मचारी, छात्र व आम आदमी हजारों की संख्या में काम पर गए व बन्द को विफल कर दिया.

परिवहन मजदूरों ने इस दिन विशेष रूप से अभूतपूर्व साहस व सब्र का परिचय दिया. सीटू यूनियनों के नेतृत्व में कलकत्ता स्टेट ट्रांस्पोर्ट व कलकत्ता ट्रामवेज के चालकों व कंडक्टरों ने आंतक के वातावरण के बावजूद सार्वजनिक परिवहन को चलाए रखा. अपने काम के दौरान उन पर हमले हुए व उनमें से कई, घायल भी हुए. किन्तु इसके बावजूद वे अपने काम पर डटे रहे. दुर्गापुर व नार्थ बंगाल स्टेट ट्रांस्पोर्ट की बसों, मिनी बसों व टैक्सियों के परिवहन मजदूरों ने भी साहस का परिचय दिया तथा वे हमलों के बावजूद वाहनों को चलाते रहे. हमलों की गम्भीरता व परिवहन मजदूरों के साहसी प्रतिरोध का अन्दाजा इस बात से लगता है कि बन्द के दिन कितने वाहन सड़कों पर चल रहे थे व उनमें से कितने वाहन क्षतिग्रस्त हुए ?

इस दिन सी. एस. टी. सी. की 450 बसें यातायात के लिए सड़कों पर निकाली गईं जिनमें से 150 बसों को बमों के हमलों से नुक्सान हुआ. इनमें से 112 बसें तो बिल्कुल टूट गई हैं. इसी प्रकार इस दिन यातायात के लिए निकाली गई 148 ट्रामों में से 60 ट्रामों को नुक्सान हुआ जिसमें से 23 ट्रामें नष्ट हो गई हैं. कलकत्ता व इसके आसपास चलने वाले 14 रूटों पर चलने वाली 152 निजी बसों को नुक्सान पहुंचा जिनमें से 3 पूरी तरह नष्ट हो गई हैं. बमों व पत्थरों की वर्षा में 15 टैक्सियां व 5 मिनी बसें भी नष्टप्राय सी हो गई.

कांग्रेस (इ.) के नेतृत्व में हुई गुंडागर्दी की एक झलक जनता को दिखाने के लिए नष्ट की गई राज्य बसों व ट्रामों की एक प्रदर्शनी कलकत्ता के एस्प्लेनेड ईस्ट में 4 से 8 अप्रैल तक लगाई गई. वे हजारों लोग, जिन्होंने क्षतिग्रस्त गाड़ियों व घायल ड्राइवरों व कंडक्टरों को देखा, कांग्रेस(इ.) की भर्त्सना किए बगैर न रुक सके. 8 अप्रैल को बहादुर परिवहन मजदूरों को सम्मानित करने के लिए सार्वजनिक सभा आयोजित की गई जिसमें उनके साहस व कर्त्तव्यपरायणता के लिए उन्हें मुबारकबाद दिया गया.

बैरकपुर, दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज, हावड़ा, हुगली तथा अन्य औद्योगिक केंद्रों पर बंद का कोई असर न पड़ा. इंटक-समर्थित गुंडों द्वारा किए जा रहे हमलों के बावजूद उत्तरी बंगाल की जूट मिलों, इंजीनियरिंग फैक्ट्रियों, कोयला खदानों व चाय बागानों में सामान्य रूप से काम चलता रहा. कुछ फैक्ट्रियों में मजदूरों की उपस्थिति सौ प्रतिशत थी. किंतु कुछ फैक्ट्रियों में मालिकों ने फैक्ट्री गेट को बंद रख अप्रत्यक्ष रूप से बंद की सहायता की. कई राज्य सरकार व निजी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति 60 से 80 प्रतिशत के भीतर थी. यदि रेलवे विभाग सामान्य रूप से काम करता तो उपस्थिति बिल्कुल सामान्य रहती.

बहुमूल्य जानें गईं

कांग्रेस(इ.) के नेतृत्व में समाज-विरोधी तत्वों द्वारा किए गए हमलों में 25 व्यक्तियों की जानें गई हैं तथा कई अन्य हस्पतालों में गंभीर रूप से घायल हैं. बंद के दिन हुई हिंसा में मरने वालों में 4 राज्य सरकार के कर्मचारी जिनमें तीन महिलाएं हैं, 1 पंचायत कर्मचारी जिसे कल्याणी में अपने दफ्तर के अंदर मारा गया, एस. एफ. आई. का एक छात्र कार्यकर्त्ता, सिलिगुडी में आर्डनेंस डिपो का एक कर्मचारी, कलकत्ता स्टेट ट्रास्पोर्ट का एक ड्राइवर, सीटू से सबद्ध एक जूट कर्मचारी, कूछबिहार में फारवर्ड ब्लाक का एक कार्यकर्त्ता, कस्बा में सी. पी. एम. समर्थक एक दुकानदार, एक पुलिसकर्मी तथा 5 यात्री जिसमें 3 महिलाएं थीं, शामिल हैं.

बंद के दिन हुई कांग्रेस (इ) प्रेरित हिंसा में 285 व्यक्ति घायल हुए. इनमें 178 व्यक्ति कलकत्ता के थे तथा अन्य व्यक्ति अन्य जिलों के. कलकत्ता में घायल हुए व्यक्तियों में 50 राज्य बस व ट्राम मजदूर तथा 29 निजी बस मजदूर है. इसी प्रकार कलकत्ता में गंभीर रूप से घायल हुए 38 मजदूरों में 29 परिवहन मजदूर व राज्य सरकार के कर्मचारी हैं.

ऐतिहासिक मूक प्रदर्शन

वामपंथी मोर्चा तथा सी. पी. आई. के आह्वान पर जनता के सभी वर्गों—कर्मचारियों, वकीलों, अध्यापकों, छात्रों, युवकों, महिलाओं—ने कांग्रेस (इ) द्वारा प्रेरित हिंसा की भर्त्सना करने के लिए 6 अप्रैल को कलकत्ता में ऐतिहासिक मूक प्रदर्शन किया. कलकत्ता जैसे शहर में भी जहां जलसे व प्रदर्शन होना आम बात है यह मूक प्रदर्शन अभूतपूर्व था. दक्षिण कलकत्ता के देशप्रिय पार्क से आरंभ होकर यह विशाल जुलूस 10 मील का रास्ता तय कर उत्तरी कलकत्ता में देशबन्धु पार्क तक चला. जुलूस की विशालता का अन्दाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि किभी एक स्थान से इस जुलूस को गुजरने में दो घंटे लगे. रास्ते में दोनों ओर खड़े लाखों लोगों ने इस मूक प्रदर्शन को देखा. यह जुलूस कांग्रेस (इ) की प्रेरणा से हुई व्यापक हिंसा के प्रति जनता के गुस्से का सशक्त इजहार था. □

देहरादून में मजदूरों का धरना

बल्ब फैक्ट्री के मजदूर, सीटू के नेतृत्व में, न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता की अपनी मांग के समर्थन में 15 अप्रैल से स्थानीय श्रम कार्यालय के सामने धरना दिए हुए हैं. □

बिना कारण बताये सजा

—अरुण प्रकाश चटर्जी

रेलवे कर्मचारियों के अनुशासन और पुनर्विचार-प्रार्थना नियमों का नियम 1716, रेलवे कर्मचारियों को साधारण सजा देने की विधि के बारे में बतलाता है. इस नियम के अनुसार, नियम 1707 के उप-नियम (1) की धारा (i) से (iii) और उप-नियम (2) की धारा (i) और (ii) के अधीन दी जाने वाली सजा के बारे में कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि रेलवे कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाए गये आरोप की सूचना न दी गई हो, उस कर्मचारी को स्मरण-पत्र देने का मौका न दिया गया हो और ऐसे मामलों में जहां पर संघीय सार्वजनिक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता हो, उसे परामर्श करने की इजाजत न दी गई हो. नियम 1716 का उप-नियम (2) यह भी बतलाता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी कार्यवाही का लेखा जोखा रखेगा जिसमें और विधि के अलावा मामले पर दिये गये आदेश और उनके कारण भी शामिल होंगे.

श्री धीरेन्द्र नाथ मुखर्जी वाराणसी में एक सहायक व्यावसायिक अधीक्षक थे जिन्हें एक दोषपत्र (चार्जशीट) दिया गया जिसमें कहा गया कि उन्होंने रेलवे कर्मचारी आचरण नियमों का उल्लंघन किया है. श्री मुखर्जी ने कुछ लिखित प्रमाणों को देखने के लिए कहा. जिस पर उन्हें सूचित किया गया कि जो लिखित-प्रमाण वे देखना चाहते हैं उनमें से कुछ वे दिल्ली में देख सकते हैं. उसी पत्र में यह भी कहा गया कि श्री मुखर्जी को भविष्य में एक तारीख दी जाएगी जिस दिन वह दिल्ली जाकर लिखित-प्रमाण देख सकेंगे. 4 जनवरी 1969 को श्री मुखर्जी के विरुद्ध एक आदेश जारी किया गया जिसके अनुसार दो साल के लिये उनकी वार्षिक बढ़ोतरी पर अस्थायी रोक के रूप में उनको साधारण सजा दे दी गई.

इस पर श्री मुखर्जी ने भारत सरकार के विरुद्ध दावा कर दिया. मुद्दई श्री मुखर्जी का कहना था कि उन्हें लिखत-प्रमाणों को देखने के लिए भविष्य में कभी भी कोई तारीख नहीं दी गई. इसीलिए वह स्मरण-पत्र नहीं दे सका जो केवल लिखित-प्रमाणों के देख लेने के बाद ही किया जा सकता था.

प्रतिवादी का कहना था कि मुद्दई को 28 अगस्त 1968 को एक पत्र द्वारा तारीख के बारे में सूचित कर दिया गया था जिस तिथि को वह प्रमाणों की जांच कर सकता था और वह तारीख 5 सितम्बर, 1968 नियत की गई थी. प्रतिवादी के अनुसार, क्योंकि मुद्दई ने न तो कोई जांच की और न ही दोष-पत्र का कोई जबाव दिया इसलिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने एकतरफा ऊपर-लिखित दो बढ़ोतरियों को रोकने की सजा का आदेश जारी किया.

मुद्दई का मुख्य कथन यह था कि सजा के आदेश में कोई कारण नहीं दिये गये थे.

इस विषय में यह भी बतला दिया जाना चाहिए कि मुद्दई ने नियम 1731 के अधीन पुनर्विचार के लिये प्रार्थना की परन्तु अपेलेट प्राधिकारी ने केवल दो वाक्य लिख कर पुनर्विचार प्रार्थना को रद्द कर दिया. वे दो वाक्य थे "मैंने उसकी अपील को पढ़ लिया है. अपील रद्द की जाती है."

मुद्दई ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट दोनों में ही हार गया. तब उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट (1) में दूसरी अपील की. हाई कोर्ट ने पाया कि अपेलेट प्राधिकारी ने निम्नलिखित बातों पर विचार नहीं किया

(क) क्या निर्धारित कार्यविधि का आज्ञा-पालन किया गया, यदि नहीं तो क्या इस प्रकार आज्ञा-पालन न करने से, संविधान की किसी धारा का या न्याय का उल्लंघन हुआ है,

(ख) क्या सभी प्रकार की खोजें न्यायोचित थीं, और

(ग) क्या दी गयी सजा ज्यादा, ठीक या कम थी.

क्योंकि ऊपर-लिखित प्रश्न, पुनर्विचार प्राधिकारी द्वारा वास्तव में नहीं विचारे गये थे, इसलिए कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह पेटीशन इस आधार पर भी अवश्य सफल होनी चाहिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे कहा कि पुनर्विचार प्राधिकारी को स्वयं इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी की खोजें न्यायोचित हैं या नहीं, उसे स्वयं तथ्यों को देखना चाहिए था और सजा के कारण दिये जाने चाहिए थे. कोर्ट के अनुसार, क्योंकि सजा के कारण नहीं दिये गये इसलिए नियम 1731 (2) का ठीक तरह से पालन नहीं हुआ.

उपरोक्त निर्णय में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देबीदीन बनाम विभागीय अधीक्षक (2) के निर्णय का सहारा लिया. उस मामले में, कोर्ट ने कहा था कि सजा के आदेश में कारण अवश्य दिये जाने चाहियें.

प्रस्तुत मामले में भी श्री मुखर्जी के खिलाफ सजा के आदेश में कोई कारण नहीं दिए गए थे. कोर्ट ने इस बात की तरफ इशारा किया कि क्योंकि साधारण सजा के आदेशों के लिए भी पुनर्विचार की प्रार्थना की जा सकती थी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सभी कारण बताने चाहिएं थें. ये कारण न बताए जाने के कारण पुनर्विचार प्राधिकारी के पास इस प्रकार की कोई सामग्री नहीं थी जिस पर वह इस बात का निश्चय कर पाता कि तथ्यों को उचित ढंग से पक्का किया गया या नहीं, उचित नियमों को ठीक तरह से लागू किया गया या नहीं और कि निर्णय न्यायोचित है या नहीं. अदालतों ने इस मामले में उन पर विश्वास किया और निर्णय को उचित ठहराया. कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णयों, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के विरुद्ध महाबीर प्रसाद (3)

[शेष पृष्ठ 42 पर]

किसानों के साथ मजदूर वर्ग की एकता

कई लाख किसान, भूमिहीन गरीब, खेतिहर मजदूर और औद्योगिक मजदूर 26 मार्च को राजधानी दिल्ली में इकट्ठा हुए और उन्होंने इंदिरा कांग्रेस शासकों की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना जबरदस्त रोष प्रकट किया. उन्होंने लाभकारी कीमतों की जायज मांग पर जोर देने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, खेतिहर मजदूरों को भूमि, उचित वेतन और उनके साथ अच्छे सौदे के लिए उचित दामों पर जरूरी वस्तुओं की सप्लाई आदि के लिए अपनी आवाज बुलंद की.

रैली में एक लाख से ज्यादा औद्योगिक मजदूरो ने हिस्सा लिया जिसने देश की आजादी के बाद के काल में मजदूर वर्ग की किसानों के साथ अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया. भारी संख्या में भाग लेकर मजदूरों ने उन लोगों के मुंह पर करारी चपत लगाई है जो ग्रामीणों के खिलाफ शहरियों को खड़ा करते हैं और जो यह कहते हैं कि लाभकारी दाम मुद्रास्फीति को बढाएंगे और इस तरह शहरी गरीब पर बुरा प्रभाव डालेंगे. इन लोगों की शहरी औद्योगिक मजदूरों और किसानों में मतभेद पैदा करने की कोशिशों को मजदूरों ने इस तरह भारी संख्या में भाग लेकर नाकाम कर दिया.

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने इस एतिहासिक रैली को संबोधित करते हुए किसानों, मजदूर वर्ग और पीड़ित जनता, जो रैली में भाग ले रहे थे, का हार्दिक स्वागत किया और किसान आंदोलन के मांग पत्र को सीटू का पूरा समर्थन दिया. बी. टी. रणदिवे ने घोषणा की कि वह सरकार जिसने किसानों से टक्कर ली ज्यादा अरसे तक नही चल सकी. उन्होंने मजदूर वर्ग और किसानों की एकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जब मजदूर वर्ग और किसानों कि एकता बढ़ती है तब कोई भी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलती.

सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी ने गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के मजदूरों का आह्वान किया था कि वे भारी संख्या में रैली में भाग लें मजदूरों ने हड़ताल की और अपना एक दिन का वेतन कटवाकर किसानों के साथ एकता प्रदर्शित करने के लिए रैली में भाग लिया. सीटू के एक हजार से भी ज्यादा वालंटियरों ने काम से छुट्टी ली और रैली की अभूतपूर्व सफलता के लिए पांच दिन तक चौबीस घंटे काम किया.

जिन्होंने रली को संबोधित किया उनमें हरकिशन सिंह सुरजीत, शरद पवार, प्रकाश सिंह बादल, राजेश्वर राव, इंद्रजीत गुप्त शामिल हैं. □

ठेका मजदूरों की हड़ताल जारी : अनेक मजदूर गिरफ्तार

टिस्को, जमशेदपुर, के ठेका मजदूरों का संघर्ष प्रबंधकों और स्थानीय प्रशासन द्वारा बर्बर दमन के बावजूद 11 फरवरी से जारी है.

केंद्रीय और राज्य सरकार के बल पर टिस्को के प्रबंधकों ने बाहरी मजदूरों को हड़ताली मजदूरों का काम करने के लिए लगा लिया. प्रबंधकों की इस कार्यवाही के खिलाफ प्रतिरोध में मजदूरों ने उस रेलवे लाइन पर धरना शुरू कर दिया जिसका इस्तेमाल फैक्ट्री में कच्चा माल ले जाने के लिए किया जाता है उपश्रमायुक्त ने स्थानीय प्रशासन को यह लिखा कि हड़ताल के दौरान हड़ताली मजदूरों का काम कराने के लिए बाहरी मजदूरों को लगाना ठीक श्रम नीति नही है. इसके बावजूद कोई कार्यवाही नही की गयी. एस. डी. ओ. का भी घेराव किया गया जिसका कोई नतीजा नही निकला. सात अप्रैल को रेलवे लाइन पर फिर से धरना शुरू किया गया जिसे बाद में स्थानीय प्रशासन के इस अनुरोध पर वापस ले लिया गया कि राम नवमी के मौके पर किसी भी अभद्र घटना से बचना चाहिए. दरअसल इस मौके पर कुछ निजी स्वार्थ इस क्षेत्र में सांप्रदायिक फसाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं.

15 अप्रैल से रेलवे लाइन पर फिर से धरना शुरू किया गया. प्रबंधकों के किराए के टट्टुओं ने शांतिपूर्ण मजदूरों को भड़काने की कोशिश की लेकिन वे नाकामयाब रहे. स्थानीय प्रशासन ने प्रबंधकों के साथ सांठगांठ कर घुड़सवार पुलिस व सी. आर. पी. की सहायता से धरने पर बैठ मजदूरों पर हमला किया. इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष मानस मुखर्जी व 9 महिला कामगारों सहित 41 मजदूरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

हड़ताली ठेका मजदूरों के समर्थन में 20 अप्रैल को छोटानागपुर में एक भारी प्रतिरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया जिसमें मजदूरों, किसानों, युवकों और छात्रों ने हिस्सा लिया. यह मशाल जुलूस सीटू व एटक के नेतृत्व में जमशेदपुर के एस. डी. ओ. के दफ्तर पहुंचा. मजदूरों का एक प्रतिनिधिमंडल एस. डी. ओ. से मिला और एक ज्ञापन दिया जिसमें मांग की गई कि हड़ताली मजदूरों की मांगों पर तुरंत समझौता हो, 27 फरवरी को लेबर एड्वाइजरी बोर्ड की मीटिंग के फैसलों को लागू किया जाए. अनुचित श्रम नीतियां खत्म की जाएं, और टिस्को के 18 स्थायी कर्मचारियों को दिए गए

[शेष पृष्ठ 57 पर]

मई दिवस : उत्पत्ति और महत्व

[पृष्ठ 12 से आगे]

एकजुट है." 1893 को ज्यूरिक में हुई इंटरनैशनल की कांग्रेस ने जिसमें एंगल्स उपस्थित थे 8 घंटे दिन की मांग के समर्थन में मई दिवस पर हुए आंदोलनों के बारे में कहा कि "यह आंदोलन व्यवस्था को बदलकर व वर्ग-भेद को नष्ट करने और इस तरह एक ऐसे पथ पर बढ़ने, जो ही केवल सभी लोगों की शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति की ओर ले जाता है, के मजदूर वर्ग के दृढ़ निश्चय को दर्शाता है." 1900 में हुई इंटरनैशनल की पेरिस कांग्रेस में एक बार फिर पहली मई को विश्व भर के मजदूरों के लिए संघर्ष दिवस के रूप में अपनाया गया.

भारत में मई दिवस

भारत में 8 घंटे काम के लिए संघर्ष धीमे स्वर में शुरू हुआ. बताया जाता है कि हावड़ा रेलवे स्टेशन के मजदूरों ने अप्रैल-मई 1862 में 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए हड़ताल की. किंतु इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है. काम के अधिक घंटों के खिलाफ भारतीय मजदूरों ने काफी संघर्ष किये हैं. फैक्ट्री कानून 1891 के अनुसार बच्चों के लिए प्रतिदिन 9 घंटे व महिला कामगारों के लिए 11 घंटे काम निश्चित किया गया. किंतु इस कानून के अंतर्गत पुरुष मजदूरों के लिए काम के घंटे तय नहीं किए गए. फैक्ट्री कानून 1911 ने पुरुष मजदूरों के लिए प्रतिदिन 12 घंटे काम तय किया. 1922 में 10 घंटे का कार्य दिवस तय किया गया.

सितंबर 1922 में टाटा आइरन एंड स्टील वर्क्स (जमशेदपुर) के मजदूरों ने 8 घंटे काम तथा अन्य मांगों के समर्थन में संगठित रूप से हड़ताल की. भारत में मई दिवस को पहला जलसा 1923 में मद्रास में समुद्रतट हुआ जिसमें 8 घंटे के कार्य दिवस व मई दिवस को छुट्टी घोषित की जाने की मांग की गई थी. 1926 में बंबई में मई दिवस पर हुए जलसे में मजदूरों ने इस मांग को दोहराया था.

किंतु भारत में मई दिवस को संगठित रूप से 1927 में एटक के आह्वान पर बंबई, कलकत्ता, मद्रास तथा अन्य नगरों में मनाया गया और मजदूरों ने 8 घंटे काम के लिए अपनी जोरदार आवाज को बुलंद किया. आज भी भारत के मजदूर वर्ग के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें 8 घंटे काम को मनवाना है. मई 1974 में हुई. ऐतिहासिक रेल हड़ताल में रेल मजदूरों की मांगों में 8 घंटे काम की मांग भी शामिल थी. यह संघर्ष अभी भी जारी है.

पूंजी की गुलामी के विरुद्ध

1904 में मई दिवस पर लिखते हुए लेनिन ने कहा, "केवल संगठित व वर्ग-चेतना से युक्त सर्वहारा ही जनता की वास्तविक आजादी पा सकते हैं. केवल संगठित व वर्ग-चेतना से युक्त सर्वहारा ही जनता को छलने, उनके अधिकारों को कम करने तथा सरमायेदारों द्वारा उन्हें एक खिलौना मात्र बना बना दिए जाने के प्रयत्नों को परास्त कर सकता है." लेनिन ने आगे कहा, "मजदूरों की मांगों के लिए अभियान को और साहस से आगे बढ़ाया जाए! मई दिवस की कार्यवाहियां हमारी मांगों के लिए हजारों नए योद्धा आकर्षित करें और जनता की मुक्ति के लिए तथा पूंजी की गुलामी से मेहनतकशों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए महान संघर्ष में हमारी ताकतों में वृद्धि हो!" □

बिना कारण बताए सजा

[पृष्ठ 40 से आगे]

और भारत सरकार के विरुद्ध एम. एल. कपूर, पर विश्वास किया. दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जाना कि ऐसी सामग्री जिस पर निष्कर्ष आधारित होते हैं और वास्तविक निष्कर्षों के बीच कारण एक कड़ी होते हैं और केवल उस तरह से लिखे गए सलाह और निर्णय ही साफ तौर से न्यायोचित होने के प्रतीक का प्रदर्शन कर सकते हैं.

प्रस्तुत मामले में, कोई कारण नहीं दिये गये थे और सजा के आदेश में, दूसरी बातों के अलावा, यह कहा गया कि प्राधिकारी ने मामले को ध्यानपूर्वक विचारा था और श्री मुखर्जी पर दो सालों के लिये अस्थाई रूप से वार्षिक बढ़ोतरी रोकने की सजा देने का निर्णय लिया था.

इसलिए, सजा का कोई कारण न देने के कारण, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीचे की दो अदालतों के निर्णयों और उनके आदेशों को रद्द कर दिया और पुनर्विचार की आज्ञा दी और मुद्दई के दावे पर अदालत के निर्णय की घोषणा की कि 4 जनवरी 1969 का सजा का आदेश गैर-कानूनी और प्रभावहीन था.

इस तरह, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्णित यह मामला एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी यदि कोई सजा देना चाहे तो उसे उसके कारणों को अवश्य ही लिखना चाहिए. कोर्ट की नजरों में ये शब्द "मैंने मामले को ध्यानपूर्वक विचारा है" कोई कारण नहीं है.

निर्णय इस बात पर निर्भर नहीं करता कि नियमों में सजा का आदेश देने के लिए "कारण अवश्य देने चाहिए" लिखा है या नहीं. निर्णय से ऐसा लगता है कि जब कोई सजा का आदेश पुनर्विचारणीय है तो इसमें कारण अवश्य ही देने चाहियें क्योंकि यदि आदेश में कारण नहीं हैं तो ऐसा आदेश पुनविचार प्राधिकारी को सूक्ष्म-परीक्षण करने से रोकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी का निर्णय न्यायोचित है या नहीं.

(1) डी. एन. मुकर्जी विरुद्ध भारत सरकार, (1981) 42 एफ एल आर 166.

(2) ए आई आर 1968 इलाहाबाद 355.

(3) ए आई आर 1970 एस सी 1320.

(4) ए आई आर 1974 एस सी 87. □

मई दिवस–1981 पर मजदूर वर्ग का क्रांतिकारी अभिनंदन

"धरती पर कोई भी ऐसी ताकत नही है जो करोड़ों मजदूरों की, जो ज्यादा से ज्यादा वर्ग-चेतना से लैस हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एकजुट व संगठित हो रहे हैं, शक्ति का सामना कर सके. मजदूरों की होने वाली हर पराजय उनके कार्यकर्त्ताओं में नए-नए योद्धा लाती है, यह ज्यादा से ज्यादा लोगों में नए जमाने के प्रति जागृति पैदा करती है और नए संघर्षों के लिए उन्हें तैयार करती है."

—लेनिन

पश्चिम बंगाल कर्मशियल
रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन
(भूतपूर्व सी. टी. ए.)

दवा उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ अखिल भारतीय सम्मेलन

दवा उद्योग की समस्याओं पर 9 अप्रैल को नई दिल्ली में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया. इस सम्मेलन का आयोजन फेडरेशन आफ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्ज एसोसियेशन आफ इंडिया (एफ. एम. आर. ए. आई.) तथा आल इंडिया केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एम्पलाईज फेडरेशन (ए. आई. सी. ए. पी. ई. एफ.) ने किया था. सम्मेलन के काम को चलाने के लिए एक अध्यक्ष मंडल का चुनाव किया गया जिसके सदस्य थे ए. आई. सी. ए. पी. ई. एफ. के अध्यक्ष बी. एस. चित्रे., ए. आई. सी. ए. पी. ई. एफ. की महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष आई. बी. परेरा, मार्क्सवादी पार्टी के एम. एल. ए. व ए. आई. सी. ए. पी. ई. एफ. की वर्किंग कमेटी के सदस्य सचिन सेन तथा एफ. एम. आर. ए. आई. के सचिव पी. के. गांगुली. अध्यक्ष मंडल की ओर से सचिन सेन ने सम्मेलन की कार्यवाही का संचालन किया. देश भर के दवा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक हजार से अधिक डेलीगेटों, संसद सदस्यों, केंद्रीय ट्रेड संगठनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों के नेताओं, महिला संगठनों की प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों आदि ने इस सम्मेलन में भाग लिया.

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने ए. आई. सी. ए. पी. ई. एफ. तथा एफ. एम. आर. ए. आई. को मुबारकबाद दिया कि उन्होंने राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर दवा उद्योग, में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा की जा रही घुसपैठ व इससे राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उमड़नेवाले खतरे की ओर भारतीय जनता का ध्यान आकर्षित किया है. उन्होंने देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जमाए जा रहे आधिपत्य के विभिन्न पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया. केंद्रीय सरकार द्वारा विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थानों पर बढ़ती जा रही निर्भरता का एक असर यह होगा कि विश्व साम्राज्यवाद देश पर हावी होने के प्रयत्न करेगा. रणदिवे ने बताया कि कद्र में कांग्रेस (इ) सरकार द्वारा अपनाई जा रही जन-विरोधी नीतियों, जनतंत्र पर किए जा रहे हमलों, लोको कर्मचारियों का दमन, जीवन बीमा कर्मचारियों के मामले में सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना तथा सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों के कर्मचारियों से किये वायदों से मुकरना आदि वे अनगिनत उदाहरण हैं जो इस सरकार के वर्ग चरित्र को बेनकाब करते हैं. उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि वे पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा की वामपंथी मोर्चा सरकारों पर कांग्रेस (इ) व केंद्रीय सरकार द्वारा किए जा रहे हमलों का प्रतिरोध करें.

सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव ए. आई. सी. ए. पी. ई. एफ. तथा एफ. एम. आर. ए. आई. के महासचिव जे. एस. मजूमदार ने रखा.

सम्मेलन में भाषण करते हुए सी. पी. आई. (एम.) के संसद सदस्य समर मुखर्जी ने मजदूरों से कहा कि वे केंद्रीय सरकार की जन-विरोधी नीतियों का मुकाबला करें. अन्य प्रमुख वक्ता थे— त्रिदीव चौधरी, संसद सदस्य (आर. एस. पी.), चित्त बसु, संसद सदस्य (फारवर्ड ब्लाक), नीरेन घोष, संसद सदस्य (सी. पी. आई. (एम)) रामावतार शास्त्री, संसद सदस्य (सी. पी. आई.) व एस. डब्ल्यू. ढाबे, संसद सदस्य (कांग्रेस यू.).

केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के कई नेताओं ने भी सम्मेलन में भाषण दिए. इनमें प्रमुख थे सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती, एटक सचिव वाई. डी. शर्मा, इंटक अध्यक्ष जे. एस. दारा. तथा बी. एम. एस. सचिव ओम प्रकाश आघी. हाथी कमेटी के सदस्य व जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के प्रो· बी. वी. रंगा राव ने भी सम्मेलन को संबोधित किया. महिला समन्वय समिति की ओर से किट्टी मेनन ने भी इस अवसर पर चंद शब्द कहे. रेलवे ट्रैक्शन वर्कर्ज एसोसियेशन के महासचिव तथा ए. आई. आई. ई. ए. के सहसचिव के अतिरिक्त दवा उद्योग की विभिन्न यूनियनों के नेताओं ने भी सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए.

सम्मेलन में मुख्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया. नीचे हम इस पूरे प्रस्ताव को छाप रहे हैं सम्मेलन में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के संघर्ष के समर्थन में भी प्रस्ताव पास किया गया.

प्रस्ताव

नई दिल्ली के मावलंकर हाल में 9 अप्रैल 1981 को हुआ रसायन व दवा उद्योग के डेलीगेटों, केंद्रीय ट्रेड यूनियन सगठनों, अखिल भारतीय फेडरेशनों व यूनियनों, जनवादी संगठनों, संसद सदस्यों तथा अन्य प्रतिनिधियों का यह सम्मेलन सर्वसम्मति से यह निश्चय करता है कि :

आजादी के 33 वर्ष के बाद भी भारत में बिकनेवाली दवाओं का 78 प्रतिशत बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों, 16 प्रतिशत भारतीय निजी कंपनियों व केवल 6 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों द्वारा निर्मित होता है. देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दवाओं पर शोध करने या इनका विकास करने का कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किया गया. हमारे देश के पास दवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरी सारा

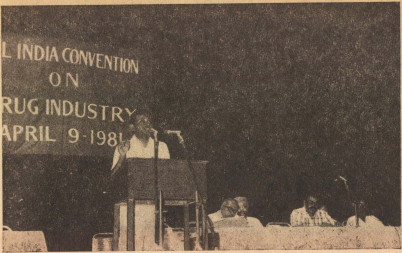

मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जे. एस. मजूमदार

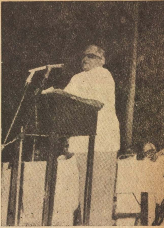

सम्मेलन को संबोधित करते हुए बी. टी. रणदिवे

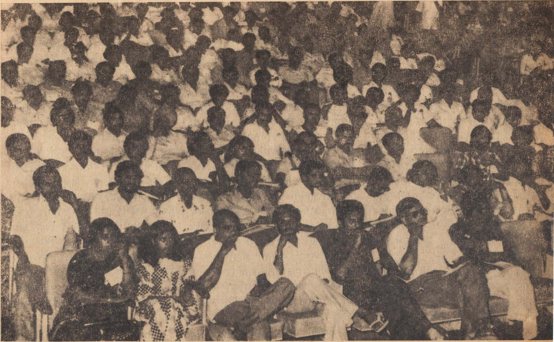

सम्मेलन का एक दृश्य

वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच. ओ.) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेची जाने वाली 80 प्रतिशत दवाएं आवश्यक दवाएं नहीं हैं. जहां एक ओर आवश्यक व जीवन देनेवाली दवाओं की देश में कमी है वहां दूसरी ओर बाजार स्वास्थ्यवर्द्धक दवाओं व विटामिनों से भरे हुए हैं. कुल दवाओं की बिक्री व बीमारियों के बीच कोई तालमेल नहीं है. बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियां ऐसी कई दवाएं भारत में खुले रूप से बेचती हैं जिन पर अन्य देशों में प्रतिबंध लगा है. घटिया व नकली दवाएं बाजार में बड़े पैमाने पर बिक रही हैं. इनमें से कई दवाएं हानिकारक भी हैं. दवाओं के विक्रय को बढ़ाने के लिए दवा कंपनियां भ्रष्ट व प्रतिबंधित व्यापार हथकंडों का सहारा लेती हैं. इन तरीकों से जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है.

दवाओं के वितरण का काम भी दवा कंपनियों के हाथ में है. दवाओं के निर्माण व इन्हें आम जनता तक पहुंचाने के बीच कई दलाल होते हैं जो दवाओं की कीमतों को बैठाते हैं. दवाओं की कीमतें अब आम आदमी की क्रय शक्ति के बाहर होती जा रही हैं. सरकार दवाओं की कीमतों पर रोक लगाने व बहुराष्ट्रीय व एकाधिकारी कंपनियों द्वारा कमाए जा रहे असीमित मुनाफों को कम करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है.

इस संदर्भ में सरकार ने हाथी कमेटी की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया है. वास्तव में सरकार की दवा नीति हाथी कमेटी के मुख्य सुझावों से विपरीत जाती है.

दवा उद्योग देश में रोजगार संभावनाएं बढ़ाने में असफल रहा है. इसके विपरीत कम्प्यूटराइजेशन व मशीनीकरण के द्वारा मजदूरों की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है. मजदूरों की एक बड़ी संख्या से ठेकेदारी पद्धति के अंतर्गत काम कराया जाता है.

दवा उद्योग में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में विक्टिमाइज किया जा रहा है व तालाबंदी के उदाहरण बढ़ते जा रहे हैं, दवा निर्माता किसी न किसी बहाने से जरूरी दवाओं के निर्माण को रोक देते हैं. सरकार ऐसे जरूरी मामलों में भी हस्तक्षेप करने से कतराती है. दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के इशारों पर महाराष्ट्र सरकार दवा उद्योग को औद्योगिक विवाद कानून के तहत 'सार्वजनिक जरूरत की सेवाएं' घोषित कर इस उद्योग में हड़ताल करने पर पाबंदी लगाने जा रही है.

यह आवश्यक हो गया है कि हम दवा उद्योग के मुख्य मुद्दों पर आम जनता का समर्थन हासिल करें.

यह सम्मेलन वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों व अन्य प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों से अपील करता है कि वे भारत सरकार की जन-विरोधी दवा नीति व इन कंपनियों द्वारा जनता व मजदूरों का शोषण करने के हथकंडों का पर्दाफाश करने के लिए देश के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में गोष्ठियां आयोजित करें.

यह सम्मेलन केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों द्वारा जून 1981 में बंबई में ट्रेड यूनियन अधिकारों पर किए जा रहे हमलों व असामान्य मूल्य वृद्धि का विरोध करने के लिए आयोजित किए जा रहे अखिल भारतीय सम्मेलन का स्वागत करता है. यह सम्मेलन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से अपील करता है कि वर्तमान प्रस्ताव के मुख्य अंश बंबई के सम्मेलन में प्रस्तुत किये जा रहे प्रस्ताव में सम्मिलित किए जाएं.

यह सम्मेलन भारत सरकार से मांग करता है कि सभी बहुराष्ट्रीय व भारतीय एकाधिकारी दवा कंपनियों का तत्काल राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए. सम्मेलन सरकार से यह भी मांग करता है कि वह दवा उद्योग के मजदूरों की जायज मांगें मान ले व इस उद्योग में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं पर हो रहे विक्टिमाइजेशन को रोकने के लिए कदम उठाए.

यह सम्मेलन भारत की मेहनतकश जनता से अपील करता है कि वह भारत सरकार की जन-विरोधी दवा नीति तथा उत्पादक संघों द्वारा देश की बीमार जनता व मजदूरों के शोषण के खिलाफ एकजुट संघर्ष करे. □

मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स संघर्ष की राह पर

फेडरेशन आफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्ज एसोसिएशन आफ इंडिया (एफ एम आर ए आई) ने अपना 27 सूत्री मांग-पत्र, केंद्र सरकार को नवंबर 1978 में पेश किया था. उनकी मांगों में सभी मुअत्तिल किए गए ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की पुनः बहाली, नौकरी की सुरक्षा, उचित वेतन का ढांचा, 40 घंटे प्रति सप्ताह काम, सभी बहुराष्ट्रीय और भारतीय एकाधिकारी दवा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, नेशनल कार्पोरेशन के जरिये दवाओं का उचित वितरण, दवा-कीमतों में कमी, नकली और निम्न-दर्जे की दवाओं के उत्पादन और वितरण पर कड़ी जांच, आदि मांगें शामिल हैं.

पिछले अक्तूबर में फेडरेशन ने केंद्र सरकार को एक बार फिर अपना मांग पत्र पेश किया और फौरी बातचीत की मांग की. अपनी न्यायोचित मांगों के समर्थन में, नवंबर 80 में एक देश व्यापी संघर्ष चलाया गया. यह आंदोलन देश भर में और यहां तक कि जिला शहरों में भी फैला था. पिछले नवंबर और मार्च के दौरान, जिला गावों तथा राज्य की राजधानियों में प्रदर्शन, रैलियां और धरना आयोजित किए गए. जिला सरकार अधिकारियों तथा राज्य श्रम मंत्रियों को मांग-पत्र पेश किए गए. त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल के श्रम मंत्रियों ने मांगों का पूरा समर्थन किया और बातचीत के लिए फेडरेशन को बुलाने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया.

30 दिसंबर को श्रम-मंत्रालय ने एफ एम आर ए आई को पहली बार बात-
[शेष पृष्ठ 56 पर]

केंद्र सरकार की जन-विरोधी दवा नीति

—जे. एस. मजूमदार

स्वतंत्रता के समय दवाओं, जो आम आदमी को अंतिम रूप में उपलब्ध है, का वार्षिक बाजार 10 करोड़ रुपये था. स्वतंत्रता के पश्चात के 33 सालों के दौरान इस बाजार में काफी वृद्धि हुई है. 1980 में दवाओं का विक्रय 1,200 करोड़ रुपये हो गया था. पेट्रोकेमिकल मंत्री द्वारा पिछले साल संसद में दिए वक्तव्य के अनुसार, दवा बनाने का 78 प्रतिशत बाजार कुछ बहुराष्ट्रीय दवा फर्मों द्वारा 16 प्रतिशत भारतीय निजी क्षेत्र द्वारा तथा 6 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है. इससे साबित हो जाता है कि बहुराष्ट्रीय दवा फर्मों ने बाजार को हथिया लिया है और स्वतंत्रता के पश्चात् तो इसका तेजी से विस्तार हुआ है. इससे साफ जाहिर है कि सरकार की दवा नीति लगातार बहुराष्ट्रीय दवा फर्मों की सहायता करती है. केंद्र सरकार यह लगातार कहती रही कि दवा उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. लेकिन वास्तव में बहुराष्ट्रीय दवा फर्मों को सरकार द्वारा एक के बाद दूसरी छूट दी गई और वे ही इस उद्योग में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं.

भारत में दवाओं के उत्पादन का मुख्य मुद्दा वास्तव में है "जन-स्वास्थ्य से पहले मुनाफा." आई डी पी एल, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० जैसे सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में तथा स्मिथ स्टेटनिस्ट्रीट एंड कं० लि०, बंगाल केमिकल एंड फार्मेस्यूटिकल वर्कस लि० आदि जैसी राष्ट्रीयकरण की गई कंपनियों में भी दवाओं का उत्पादन करते समय इसी प्रणाली को अपनाया जाता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वक्तव्य के अनुसार, भारत में बेची जाने वाली दवाओं का 80 प्रतिशत तो आवश्यक नहीं है. इनका केवल 20 प्रतिशत ही आवश्यक है. यह वक्तव्य तो लोकमत के विरूद्ध है, क्योंकि जनता दवाओं को एक आवश्यक वस्तु के रूप मे ही खरीदती है.

आम आदमी यह नहीं समझता कि कौन सी दवा आवश्यक है और कौन सी अनावश्यक, उसके लिए तो प्रत्येक दवा बहुमूल्य और जीवन प्रदान करने वाली है. एक व्यापक प्रचार के जरिए और शक्तिशाली तथा भ्रष्ट विक्रय बढ़ाने की कार्यवाहियों के जरिए, बहुराष्ट्रीय दवा फर्मों ने दवाओं का एक कृत्रिम बाजार पैदा किया. दवाओं के बाजार में भ्रष्टाचार का दुश्चक्र व्याप्त है. केंद्र सरकार असलियत से पूरी तरह वाकिफ है. इन बुनियादी मुद्दों का सरकार की दवा नीति पर किए गए वक्तव्यों में कहीं भी विवरण नहीं है. जब हमारे करोड़ों लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे बसर करते हैं, जब कुपोषित बच्चे मौत की राह पर ढकेल दिए जाते हैं, जब जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, ऐसे समय में उनपर बड़ी मात्रा में विटामिनों और टानिकों को थोप दिया जाता है. इस रोगग्रस्त गरीब जनता को इन बहुराष्ट्रीय दवा व्यापारियों द्वारा शोषित होने दिया जाता है. हालांकि हाथी कमेटी रिपोर्ट सहित कई रिपोर्ट पेश किए गए लेकिन बुनियादी मुद्दों पर अध्ययन करने के कोई प्रयत्न नहीं किए गए. दवाओं के विक्रय का बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है. ये बुनियादी आर्थिक मुद्दे, सरकार की दवा नीति से ताल्लुक रखते हैं. सभी बहुराष्ट्रीय और भारतीय एकाधिकारी दवा कंपनियों को अपने हाथ में लिए बगैर, दवाओं का वितरण एक राष्ट्रीय कार्पोरेशन स्थापित करने के जरिए एक उचित वितरण प्रणाली को क्रमिक रूप दिए बगैर, मुनाफे से बढ़कर जन-स्वास्थ्य का बुनियादी तरीका अपनाए बगैर, वर्तमान हालात जारी रहेंगे.

क्या हमारा देश दवाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकता है ? विकसित पूंजीवादी देशों में भी विक्रय का लगभग 10 प्रतिशत अनुसंधान और विकास में लगाया जाता है. हमारे देश में तो यह केवल 1 प्रतिशत ही है और वो भी मुख्यतः उत्पादन प्रणाली के विकास, जिससे लागत कम और मुनाफा अधिक हो, के लिए खर्च किया जाता है. यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि देश में तकनीकी और उद्योग-विज्ञान की जानकारी रखनेवाले और वैज्ञानिक हैं जो देश को दवाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकते हैं. लेकिन यह प्रश्न भी सारी दवा नीति के साथ गहरा संबंध रखता है.

जहां लाखों की तादाद में हमारी जनता रोजगार के इंतजार में है, वहां बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां मजदूरों की संख्या को बढ़ाने से इंकार करती है जबकि उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है. पिछले 10 सालों के दौरान, ग्लैक्सो और फाइजर दो विशालकाय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि की ही नहीं. इसके विपरीत, यंत्रीकरण और स्वचालित यंत्रों के जरिये दवा उद्योग काम करनेवाले कर्मचारियों को ही लगातार निकाल बाहर कर रहा है. हाल ही में इसके कारण फाइजर में एक लंबा संघर्ष चला.

कुछ दवा कंपनियों के खिलाफ गंभीर शिकायतें दर्ज की गयी थीं कि वे राष्ट्रीकृत बैंकों और जन वित्तीय संस्थानों के फंडों का गलत ढंग से इस्तेमाल करती हैं. यह इस उद्योग की अनेक फैक्ट्रियों को बंद करने का मुख्य कारण है. लगातार अनुरोधों के बावजूद भी भारत सरकार ने दवा कंपनियों की हेर-फेर करने की कार्यवाहियों पर जांच-पड़ताल करने के कोई प्रयत्न नहीं किए.

लेखक आल इंडिया केमिकल एंड फार्मेस्यूटिकल एंप्लाईज फेडरेशन के महासचिव है.

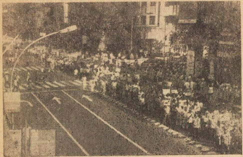

दवा कार्यकर्ताओं का बंबई में जुलूस

महिला कर्मचारियों ने भारी तादाद में भाग लिया

दवा कर्मचारियों की नारीमन प्वाइंट बंबई में सभा

इसके विपरीत महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों की यूनियनों को एक नोटिस जारी किया और दवा उद्योग को औद्योगिक विवाद कानून के अंतर्गत "जन आवश्यक सेवाएं" घोषित करने जिससे मजदूरों की औद्योगिक कार्यवाहियों पर पाबंदी लगाने का उद्देश्य पूरा हो सके की सरकार की इच्छा के बारे में सूचित कराया.

बंबई और ठाणा क्षेत्र की केमिकल एंड फार्मेस्यूटिकल इंडस्ट्री के मजदूरों ने फाइजर के हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में तथा बंबई की गुफीक लैब्स को पुनः खोलने की अपनी मांग के लिए 9 दिसंबर को एक दिन की हड़ताल की. ओ पी पी आई दफ्तर, भारत में काम करनेवाले सभी बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का संगठन, के सामने 10,000 कर्मचारियों का एक शानदार प्रदर्शन आयोजित किया गया. भविष्य में कर्मचारियों की ऐसी कार्यवाहियों पर पाबंदी लगाने के लिए ही महाराष्ट्र सरकार ने दवा उद्योग को औद्योगिक विवाद कानून के अंतर्गत "जन आवश्यक सेवाएं" घोषित करने की इच्छा व्यक्त की.

इस पृष्ठभूमि के आधार पर, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और ट्रेड यूनियनों सहित संगठित जनता के प्रत्येक तबकों को चाहिए कि वे आगे बढ़ें और सरकार की जन विरोधी दवा नीति पर करारी चोट करें. □

बिहार सीटू सेक्रेटेरियट की बैठक

बिहार सीटू कमेटी के पदाधिकारियों की एक बैठक 13 अप्रैल को पटना में हुई. के.के. त्रिपाठी ने इसकी अध्यक्षता की.

सेक्रेटेरियट ने फुलवारी शरीफ की टैक्सटाइल मजदूर यूनियन के महासचिव कामरेड जगलाल पासवान की मृत्यु पर शोक प्रकट किया और मृत्यु के कारण के लिए सी बी आई जांच की मांग की.

बैठक ने, 12 हजार संघर्षरत ठेका मजदूरों के साथ टिस्को मालिकान के रवैये की आलोचना की. इसने, कोयला खदान में ठेका पर काम तथा बढ़ते यंत्रीकरण के खिलाफ कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने के लिए जून में राज्य के कोयला मजदूरों की धनबाद में एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया है. □

दवा उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ विश्व सम्मेलन

बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के विरोध और मानव सेवा के लिए स्वास्थ्य नीति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन मास्को में 11 से 13 नवंबर तक होगा. यह निर्णय एथेंस (ग्रीक) में 14 से 15 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय तैयारी कमेटी की बैठक में लिया गया. इस बैठक में 14 देशों और 8 क्षेत्रीय, महाद्वीपों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. आल इंडिया कैमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एंप्लाईज फेडरेशन के महासचिव जे. एस. मजूमदार ने इस तैयारी कमेटी में भारत और एशिया के दूसरे विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया. इस प्रस्तावित सम्मेलन में दुनिया के 300 प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिए जाने की आशा है. सम्मेलन में दो विषयों पर विचार विमर्श होगा.

1. जनता के स्वास्थ्य पर बहुराष्ट्रीय द्वारा कंपनियों के कामों का असर और विभिन्न देशों, खासतौर से विकासशील देशों, की स्वास्थ्य नीतियां, मजदूरों और ट्रेड यूनियनों द्वारा जनता की आवश्यकताओं और मजदूरों के स्वास्थ्य पूर्ति के लिए एक प्रजातांत्रिक स्वास्थ्य नीति के लिए कार्यवाही.

2. दवा उद्योग में मजदूरों की स्थिति और उनके बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध तथा औद्योगिक व विकासशील देशों के बीच एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए आपसी संबंध के लिए संघर्ष व कार्यवाहियां.

हम किस प्रकार का दवा उद्योग चाहते हैं !

प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दवा उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियो के विरोध में और जनता की भलाई के लिए स्वास्थ्य नीति के पक्ष में एक जुझारू संघर्ष करने में सहायक होगा. □

दिल्ली में सफल आम हड़ताल : मजदूरों को सीटू की बधाई

दिल्ली के पांच लाख मजदूरों ने 21 अप्रैल को अपनी मांगों के समर्थन में आम हड़ताल की.

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 22 अप्रैल को निम्नलिखित बयान जारी किया :

सीटू दिल्ली के मजदूरों को 500 रुपये न्यूनतम वेतन, आकस्मिक तथा ठेका मजदूरों का स्थाईकरण, एल आई सी कर्मचारियों के संघर्ष तथा अन्य फौरी मुद्दे आदि मांगों के समर्थन में 21 अप्रैल को की गई एकजुट हड़ताल पर बधाई देती है. इंटक के कुछ नेताओं द्वारा विनाशकारी और हमलावर रवैया अपनाने के बावजूद भी मजदूर दृढ़ और एकजुट रहे.

सीटू ने, समाचार-पत्र कर्मचारियों द्वारा हड़ताल में शामिल होने और दिल्ली के लाखों मजदूरों की मांगों के लिए अपना समर्थन व्यक्त करने पर, खासतौर से खुशी जाहिर की है.

सीटू ने, विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों के कार्यकर्त्ताओं को, जिन्होंने हड़ताल को जबरदस्त सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया था, अपनी बधाई दी.

सीटू आशा करती है कि दिल्ली प्रशासन दिल्ली के मजदूरों के दृढ़ विचारों को मध्येनजर रखकर तुरंत कार्यवाही करेगा जिससे मजदूरों की लंबे अरसे से चली आ रही मांगें बिना किसी और देरी के हल हो सकें.

सीटू दिल्ली के मजदूर वर्ग से हड़ताल के दौरान हासिल की गई जबरदस्त एकता को बनाए रखने की अपील करती है जिससे अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए लगातार संघर्ष करके अधिकारियों को मजबूर किया जा सके. □

तंबाकू उत्पादकों पर पुलिस फायरिंग की सीटू द्वारा निंदा

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 7 अप्रैल को निम्नलिखित बयान जारी किया :

सीटू तंबाकू की पैदावार के लिए लाभकारी मूल्य की मांग के लिए संघर्षरत तंबाकू उत्पादकों पर पुलिस फायरिंग जिससे 10 लोग मारे गए, की कड़ी आलोचना करती है. सरकार द्वारा पिछले तीन सप्ताहों से मांगों को हल करने से इंकार करने पर तथा आंदोलन के दमन की कोशिशों में दो हजार से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने से, हालात बदतर हो गए.

सीटू मांग करती है कि सरकार दमन की नीति छोड़े, सभी गिरफ्तार लोगों को रिहा करे, तथा संघर्षरत तंबाकू उत्पादकों की लाभकारी कीमत की मांग को तय करे. □

अराजपत्रित सरकारी अफसरों की पोर्ट ब्लेयर में कानफ्रेंस

अंडेमान और निकोबार के नान-गेजेटेड गवर्नमेंट आफिसर्स एसोसिएशन की दो दिन की वार्षिक कानफ्रेंस 10 और 11 अप्रल को पोर्ट ब्लेयर में सपन्न हुई. सांसद ई. के. इंबीची बावा ने इसका उद्घाटन किया. उन्होंने सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक हालात के बारे में बताया.

सांसद रमन्ना राव ने सरकार की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों के बारे में समझाया. एसोसिएशन के महासचिव एन. वासुदेवन ने अपनी रिपोर्ट पेश की. कानफ्रेंस ने अपना कार्यवाही कार्यक्रम तैयार किया. पी. के. एस. प्रसाद ने एकता और संघर्ष का अपनाया गया नारे की सफलता पर प्रकाश डाला.

इस अवसर पर, वींबर्लीगंज में अंडेमान और निकोबार की किसान सभा ने एक शानदार किसान रैली आयोजित की जिसे बावा और राय सहित अन्यों ने संबोधित किया. 13 अप्रैल को पोर्ट ब्लेयर में एक जबरदस्त रैली आयोजित की गई. □

मजदूर वर्ग की
अंतर्राष्ट्रीय एकता का
झंडा बुलंद करो

"सभी देशों के मजदूरों की एकता इस तथ्य के कारण आवश्यक है कि पूंजीपति वर्ग, जो मजदूरों पर शासन करता है, अपना शासन एक देश तक ही सीमित नहीं रखता······पूंजीवादी प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय है· इसी कारण सभी देशों में अपने हितों के लिए मजदूर संघर्ष केवल तब ही सफल होते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के खिलाफ मजदूर एकजुट होकर लड़ते हैं·"

—लेनिन

पश्चिम बंगाल कर्मशियल
रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन
(भूतपूर्व सी· टी· ए·)

अखिल भारतीय कोयला मजदूर फेडरेशन बना

सभी मुख्य क्षेत्रों से दो सौ सात प्रतिनिधियों ने 4 व 5 अप्रैल को रानीगंज में हुई अखिल भारतीय कोयला मजदूर सम्मेलन में हिस्सा लिया जिन्होंने कोयला मजदूरों के संगठन को दृढ़ करने की शपथ ली और अखिल भारतीय कोयला मजदूर फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया।

शहीद कामरेड सुकुमार बनर्जी जो 1938 में बंगाल पेपर मिल की हड़ताल के दौरान पुलिस की गोलियों का सामना करते मारे गये थे, उनके नाम पर स्थापित बर्नस क्लब हॉल में बी. टी. रणदिवे ने लाल झण्डा फहराया और शहीद स्तम्भ पर फूल चढ़ाये.

सम्मेलन की कार्यवाही को पूरा करने के लिए, सम्मेलन ने बिजय पाल (पश्चिम बंगाल), पारसा सत्यानारायण (आन्ध्रा), एस. आर. बक्शी (बिहार), एस. सुदेवन (मध्यप्रदेश) और बी. पी. कश्यप (महाराष्ट्र) का एक सभापति मण्डल का चुनाव किया.

स्वागत कमेटी के सभापति के. डी. गुप्ता ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया.

सीटू अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये देश में पनप रही नई राजनीतिक स्थिति का विस्तार से उल्लेख किया और बताया कि किस प्रकार पूंजीवादी वर्ग मजदूर वर्ग पर असहनीय आक्रमण शुरू कर रहा है. उन्होंने कोयला-खान मजदूरों के लिये इन वर्ग नीतियों के प्रभाव की विस्तार से व्याख्या की और बताया कि वे मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों से किस प्रकार प्रभावित होते हैं. रणदिवे ने कोयला खानों में काम करने के ढंग का हवाला देते हुये कहा :

"यह बिलकुल साफ है कि नौकरशाही और भ्रष्ट प्रशासन को इस विशाल उद्योग के मामलों का प्रबन्ध करने के लिए आगे आज्ञा नहीं दी जा सकती. यदि मजदूरों और उनके संगठनों को उद्योग को चलाने में पूर्ण सहयोग बराबर की शर्तों पर मिलता है केवल तब ही उद्योग के मामलों में सुधार हो सकता है."

कोयला-खानों में काम करने वालों की बुरी हालत के बारे में तथ्य देते हुये रणदिवे ने टिप्पणी की कि "प्राधिकारियों को मजदूरों के बिगड़ते स्वास्थ्य और उससे होने वाले राष्ट्रीय उत्पादन में नुक्सान का उत्तरदायित्व लेना चाहिये. जब तक मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा न की जाए और उनके परिवारों को उचित डाक्टरी इलाज न दिया जाये तब तक कोयला उत्पादन में होने वाली सभी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी. हमारी यूनियनों को यह ध्यान में रखना चाहिए और इस बात पर जोर देना चाहिए कि सभी लोग हमारा सहयोग करें और प्राधिकारियों की जिद्द जो आज इस विशाल उद्योग की प्रगति में एक बुराई बन गई है, को हराना चाहिए.

उन्होंने जोर देकर कहा कि बावेजा कमेटी की सिफारिशों की रिपोर्ट के बाद कामगार महिलाओं, जिनके रोजगार की दर घट रही है, के रोजगार की रक्षा करने के लिए ट्रेड यूनियनों को विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है.

उन्होंने पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा की सरकारों की सफलताओं पर टिप्पणी की और मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि उन्हें श्रीमती गांधी की सरकार द्वारा इन सरकारों को गिराने के षड़यंत्र से बचाना है. उन्होंने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा—

"साथियो, हमारा वर्तमान संघर्ष और ये कष्ट, जनवाद को कायम रखने के लिए और तानाशाही दल जो दोबारा आपातकालीन स्थिति लाने के लिए तैयार है, को हराने के लिए ही जनता के संघर्ष का ही एक भाग है. मजदूर वर्ग और जनवादी ताकतें तानाशाही की ताकतों के विरुद्ध सख्त लड़ाई के लिए एकजुट हैं. हमें देश में राष्ट्रपति शासन की तानाशाही को थोपनेवाली उनकी योजनाओं को बेकार करना है.

उन्होंने कामगार वर्ग को खंडतावादी ताकतों के बारे में जो मजदूर वर्ग को अलग-थलग करने में लगे हैं, सावधान कराया." इंदिरा कांग्रेस की सरकार देश की एकता की रक्षा नहीं कर सकती. यदि देश की एकता को कायम नहीं किया गया तो स्वतंत्रता भी जाती रहेगी. यह मजदूर वर्ग का विशेषाधिकार और कर्त्तव्य है कि वे दूसरी जनवादी ताकतों के सहयोग से इस एकता की रक्षा करें." अंत में उन्होंने हमारे देश के विरुद्ध सभी साम्राज्यवादी साजिशों को असफल करने का आह्वान किया और अमरीकी षड़यंत्र के विरुद्ध चेतावनी दी.

बामापद मुखर्जी ने, सोवियत कोल माइनर्स यूनियन की केंद्रीय समिति, आल चाइना ट्रेड यूनियनों के महासंघ, साम्यवादी-गणतंत्र रोमानिया के 'माइनिंग' आफ जियोलोजी एण्ड इलैक्ट्रीकल वर्कर्स संघ की समिति, साइप्रस सिविल सर्वेंट्स ट्रेड यूनियन, आल पाकिस्तान ट्रेड यूनियनों का महासंघ, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ब्रिटेन और अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ से आये संदेशों को पढ़ा. सभी प्रतिनिधियों के संदेशों की सराहना की.

फिर सीटू सचिव एम. के. पन्धे ने सम्मेलन के सामने जनरल रिपोर्ट प्रस्तुत की. अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कोयले की कमी बताते हुए कहा कि इसके लिए प्रबन्धक ही जिम्मेदार हैं. मशीनीकरण की तेज रफ्तार से उद्योग में रोजगारों के अवसरों में भारी कमी आई हैं. पिछले पांच वर्षों में पहले ही मजदूरों की संख्या 47 हजार कम हो चुकी है.

उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि कोल इण्डिया किस प्रकार आयातित मशीनों से लांगवाल खदान और बड़ी-बड़ी ओपन-कास्ट खदान का काम कराते हैं. कोल इण्डिया के पास काफी मशीनें पहले ही बेकार पड़ी हैं और कुछ और मशीनों का प्रयोग भी 28 प्रतिशत तक गिर गया है. पिछले

पांच सालों में तीन गुना निवेश होने के बावजूद, कोल इण्डिया में कुप्रबन्ध और अयोग्यता के कारण उत्पादन केवल 0.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ही बढ़ पाया.

कोयले की भारी मात्रा सड़कों द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाई ले जायी जाती है जिससे प्राकृतिक प्रसाधनों की कई बार चोरी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन चोरियों में बड़े लोगों का हाथ है.

कोयला खान मजदूरों की दशा को दोहराते हुए आम रिपोर्ट से पता चला कि मजदूरी में बढ़ोतरी के बावजूद कोयला खान मजदूरों की दशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ. खदानों में सुरक्षा के साधनों की दशा एक बड़ा धक्का पहुंचानेवाली दशा है क्योंकि प्रबंध काम की शर्तों को सुधारने में रुचि नहीं लेते. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि "जब तक ट्रेड यूनियनें उचित सुरक्षा सावधानियों के लिए दबाव नहीं डालती, दशा सुधरने वाली नहीं है."

जनरल रिपोर्ट ने इस आवश्यकता पर जोर दिया कि यूनियनों की सदस्यता बढ़ाकर उन्हें अधिक मजबूत बनाया जाये ताकि सभी कोयला खानों में काम की और जीवनयापन के हालात को तेजी से सुधारने का एक शक्तिशाली संघर्ष शुरू किया जा सके. अखिल भारतीय फेडरेशन बनाने की राय का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि "सभी यूनियनों और साथियों के सहयोग से हम एक नया फेडरेशन बना सकते हैं जो वास्तव में कोयला मजदूरों के लिए एक कार्यशील संगठन होगा जिसकी आवश्यकता संपूर्ण देश में हमारे सक्रिय कार्यकर्त्ताओं द्वारा बेताबी से महसूस की जा रही है."

सत्तरह साथियों ने जनरल रिपोर्ट की बहस में हिस्सा लिया और उन्होंने अपने-अपने अनुभव के अनुसार बताया कि किस प्रकार सी. आई. एल. कोयला खदानों में इंटक की यूनियनों का सहारा ले रही है. उन्होंने इस बात पर भी टिप्पणी की कि किस प्रकार प्रबन्धकों ने समझौतों की कई धाराओं को अभी तक लागू नहीं किया है. उन्होंने यह सुझाव दिया कि नये फेडरेशन को सभी कोयला खान मजदूरों को एकत्रित करने के लिये कदम उठाने चाहिए ताकि समझौतों की इन धाराओं को लागू कराने के लिए देशव्यापी एकजुट आंदोलन शुरू किया जा सके.

एम. के. पंधे द्वारा बहस का जवाब देने के बाद जनरल रिपोर्ट सम्मेलन द्वारा एकमत से स्वीकार कर ली गई.

रोबिन सेन ने अखिल भारतीय कोयला मजदूर फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा जो एकमत से स्वीकार कर लिया गया.

सम्मेलन ने कोयला खान मजदूरों के कई मुद्दों और तमाम मजदूर वर्ग की आम ट्रेड यूनियन समस्याओं पर प्रस्ताव अपनाए.

सम्मेलन ने एक कार्यकारिणी समिति और उसके पदाधिकारियों का चुनाव किया जिनमें एम. के. पंधे अध्यक्ष और सुनील बसु राय महासचिव चुने गये.

5 अप्रैल को विभिन्न कोयला खदानों से कोयला-खान मजदूरों के कई जुलूस निकले और सीरसोल कोलियरी मैदान में इकट्ठे हुये जहां एक बड़ी भारी रैली हुई. इस रैली की अध्यक्षता रोबिन सेन ने की जिसे बी. टी. रणदिवे और ज्योति बसु ने संबोधित किया.

वक्ताओं ने 3 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में इंदिरा कांग्रेस द्वारा आयोजित "बंध" का हवाला दिया और बताया कि 2 और 3 अप्रैल को कोयलाखान मजदूरों के अधिकतर सीटू नेतागण, भारत की कोयला मजदूर सभा की कांफ्रेंस में गये हुये थे, इसके बावजूद रानीगंज क्षेत्र के कोयला-खान मजदूरों ने सफलता पूर्वक इस "बंध" का विरोध किया और अधिकतर खदानों में सामान्य रूप से कार्य चलता रहा.

उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार को गिराने के षडयंत्र का भी जिक्र किया और मजदूर वर्ग से इस षडयंत्र का विरोध करने का आह्वान किया. □

मास्को और हवाना में मई दिवस उत्सव पर सीटू आमंत्रित

सोवियत संघ की आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंज के निमंत्रण पर सीटू सचिव नृसिह चक्रवर्ती मई दिवस उत्सव में भाग लेने के लिए मास्को के लिए रवाना हो गए हैं.

क्यूबा की वर्कर्स सेंट्रल यूनियन के निमंत्रण पर सीटू की राज्य कमेटी के सचिव जोगेंद्र शर्मा मई दिवस उत्सव में भाग लेने के लिए हवाना के लिए रवाना हो गए हैं. □

सीटू नामांकन

सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी अंडर लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस लेबर फंड एक्ट—1972 : अजेया राउत (उड़ीसा).

एडवाइजरी कमेटी आन आइरन ओर बेलफेयर कमेटी: प्रभाकर डोंडे (गोआ).

टी बोर्ड: धनी राम खोसला (असम).

एडवाइजरी कमेटी अंडर मिनिमम वेज फार माइन वर्कर्स : चंडी प्रसाद (बिहार). □

अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां

मास्को: "मजदूर वर्ग और एकाधिकार विरोधी संघर्ष की समस्याएं," 4-5 मई; नृसिह चक्रवर्ती, सीटू सचिव.

प्राग: "एशियन देशों के ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं के लिए समाजवाद के निर्माण में क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन की चहुमुखी गतिविधियां" 8-15 जून; बिरेन राय (कलकत्ता), सीटू वर्किंग कमेटी सदस्य; और पी. आर. कृष्णन (बंबई), सीटू जनरल काउंसिल सदस्य. □

कीमत-वृद्धि और श्रम-विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन

कीमत-वृद्धि और श्रम-विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय सम्मेलन 4 जून को बंबई में आयोजित किया जाएगा. इस सम्मेलन में लगभग 4 हजार प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने की आशा है.

सम्मेलन में, कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा मजदूर वर्ग पर बढ़ रहे हमलों के बारे में विचार किया जाएगा. आसमान छूती कीमतों ने मजदूर वर्ग और गरीब जनता का जीना हराम कर दिया है. सरकार की वेतन-जाम नीतियों का उनके जीवन-स्तर पर प्रभाव पड़ता है. ट्रेड यूनियन अधिकारों में दिन-प्रतिदिन कटौती की जा रही है और बदनाम औद्योगिक विवाद कानून को संशोधन के बहाने पिछले द्वार से लाया जा रहा है. मजदूरों के संघर्षों के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का बेरहमी से प्रयोग करने से मजदूर वर्ग में गहरा असंतोष फैल रहा है.

भारत सरकार द्वारा, बंगलौर स्थित 1,25,000 मजदूरों की 80 दिनों की हड़ताल, एल. आई. सी. और जी आई जी कर्मचारियों के संघर्षों तथा लोको रनिंग कर्मचारियों के आंदोलन के खिलाफ अपनाए गए विरोधात्मक रवैये, भविष्य में होने वाले अपराधों को दर्शाते हैं. इसीलिए इस सम्मेलन में, इन नीतियों का विरोध तथा मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियन तथा जनवादी अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए एकजुट आंदोलन का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा.

सम्मेलन का आयोजन बंबई में महेश्वरी उद्यान (किंग्स सर्कल), माटुंगा के नजदीक शेणमुखानंद हाल में होगा. सम्मेलन की तैयारियों के लिए प्रतिनिधियों के घटकों की एक स्वागत समिति गठित की गई है. □

ऊर्जा मंत्रीने अपनी ही बीन बजाई

जबकि समूचे देश में कोयला संकट है और कोल इंडिया लिमिटेड रिकार्डतोड़ भारी नुकसानों से दबी है, ऊर्जामंत्री अपने प्रचार के लिये फिजूल खर्चों में लगा हुआ है.

सी. आई. एल. की प्रगति दर बिल्कुल ही कम हो गई है और इसे अपने लक्ष्यों को बड़े पैमाने पर कम करना पड़ा. सिंगारेनी कोलरीज के उत्पादन में कमी के बावजूद अब उस घटे हुये लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया. उत्सव मनाने के लिये, ऊर्जामंत्री ए.बी.ए. गनीखान चौधरी को यह एक अच्छा अवसर मिल गया. सौ से भी अधिक सी. आई. एल. कर्मचारियों को मंत्री महोदय के भाषण को सुनने के लिये कलकत्ता जाने को कहा गया जिसके बाद, निःसंदेह, शानदार दोपहर का भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए. मंत्री महोदय के निर्देशानुसार, इस अवसर पर भाग लेने वालों के आराम के लिये अधिकतम संख्या में कारें चलाई गई.

इस अवसर पर, आत्म-प्रशंसा में लीन मंत्री जी के एकमात्र भाषण के लिये कई लाख रुपये बहाये गये.

मजदूर जो वास्तव में उत्पादन में बढौतरी के उत्तरदायी हैं अभी भी पीने के पानी की सुविधा का इंतजार कर रहे हैं जबकि इसके लिए तकरीबन दो वर्ष पहले इस सुविधा के लिये समझौते पर हस्ताक्षर हो गये थे. सुरक्षा नियमों को लागू न करने के कारण उनका जीवन अभी भी खतरे में है. लेकिन ऊर्जामंत्री जी के पास राष्ट्रीय सुरक्षा कांफ्रेंस में शामिल होने के लिये कोई समय नहीं है.

सीटू के प्रतिनिधियों ने इस उत्सव में शामिल होने से मना कर दिया था क्योंकि यह एक फिजूल खर्च था जबकि कोयला-खान मजदूरों को यहां तक कि मानव अस्तित्व के लिये मौलिक और आवश्यक सुविधायें देने से इंकार किया गया है. □

'भेल' यूनियनों द्वारा संयुक्त मंच के पुर्ननिर्माण की मांग

इंटक के नेतृत्व को छोड़कर, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और भेल की यूनियनों ने गुप्त मतदान के आधार पर संयुक्त द्विपक्षीय मंच के पुर्ननिर्माण की मांग की. उन्होंने आलोचना की कि यद्यपि नये चुनाव काफी पहले हो जाने चाहियें थे लेकिन प्रबंधक इंटक के स्वार्थों के अनुकूल विलम्बकारी चालें अपना रहे हैं.

भोपाल इंटक यूनियन के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग इस बहाने से नहीं लिया कि मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बंध कानून अनुसार यह एक मात्र बारगेनिंग एजेंसी है. इस रवैये की दूसरी यूनियनों ने पूरे जोर से आलोचना की और इंटक नेताओं और प्रबंधकों को कहा कि वे भोपाल यूनियन पर राष्ट्रीय मंच में शामिल होने के लिये दबाव डालें

हैदराबाद की इंटक से सम्बंधित यूनियन ने, इंटक के महासचि श्री आर. रामानुजम द्वारा सुझाई गई चैक आफ प्रणाली का विरोध किया और यूनियन की ताकत का निश्चय करने के लिये एकमात्र जनवादी तरीके "गुप्त मतदान" की वकालत की.

हरिद्वार और त्रिची की इंटक यूनियनों ने गुप्त मतदान की मांग में पर्चे निकाले.

सीटू प्रतिनिधियों ने भेल प्रबन्ध द्वारा जारी किये गये एक पक्षीय सरकुलर जिसके अनुसार हाल ही के समझौतों में दिये जाने वाली मजदूरी से कम मजदूरी देना था, की आलोचना की और इसे वापिस लिये जाने की मांग की. उन्होंने भेल कर्मचारियों के किराया भत्ता और नगर आपूर्ति भत्ता बढाने का सवाल भी उठाया.

बैठक में ऐसे मजदूरों के लिए जिन्हे वर्दी दी जाती है, धुलाई भत्ते को पांच [शेष पृष्ठ 57 पर]

इंटक की चैक ग्राफ के लिय जिद्द ग्रौर मतदान का विरोध

केन्द्रीय श्रममन्त्री द्वारा बुलाई गई केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठकें ट्रेड यूनियनों की मान्यता के प्रश्न पर इंटक के जिद्दी रवैये के कारण, कोई भी परिणाम निकालने में ग्रसफल रही. इंटक नेताग्रों ने इस बात की जिद्द की कि यह केवल चैक ग्राफ के जरिये ही हो सकती है जबकि सभी दूसरी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने गुप्त मतदान की तरफदारी की.

इंटक चैक ग्राफ की तरफदारी इसलिये करती है क्योंकि इसे विश्वास है कि मजदूरों को उनकी मजदूरी में से चन्दा काट कर उसे इंटक यूनियन में जमा कराने के लिए प्रबन्धकों के नाम पत्र लिखाने में कंपनी ग्रफसरान को इस्तेमाल किया जा सकता है. वास्तव में चैक ग्राफ प्रणाली ट्रेड यूनियन के वालंटरी चरित्र को नकारती है ग्रौर यूनियन के चन्दे को जबरदस्ती इकट्ठा करने का ग्राधार बनाती है. जब जब भी यह प्रणाली लागू की गई, कंपनी की पिट्ठू यूनियनों को बढ़ावा देने में प्रबन्धकों ने इसका दुरुपयोग किया है.

भारत सरकार भी समस्या का कोई जनवादी हल निकालने के लिए तैयार नहीं है. यह चाहती है कि मजदूरों के संघर्षों को थोथा बनाने के लिए इंटक यूनियनों को इसका लाभ उठाते रहने दिया जाए.

जेनेवा में होने वाली ग्रंतराष्ट्रीय श्रम संगठन की कान्फ्रेंस के लिये प्रतिनिधियों के नामांकन के बारे में, सीटू, एटक, एच एम एस ग्रोर बी एम एस के प्रतिनिधियों ने विचार व्यक्त किया कि प्रतिनिधित्व बारी-बारी से होना चाहिये जबकि इंटक के प्रतिनिधि ने ग्राग्रह किया कि केवल इंटक को ही प्रतिनिधि भेजने का विशेषाधिकार होना चाहिए. इस तथ्य को बिल्कुल नकारते हुए कि भारत की ट्रेड यूनियनों के सदस्यों की ग्रधिकतम संख्या बारी-बारी के सिद्धांत का समर्थन करती है, सरकार इस बहाने कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के बीच मतैक्य नही है, इंटक की सहायता करने के लिये हर काम कर रही है.

इंटक के ग्रड़ियल रवैये के कारण यह रुकावट ग्रभी जारी है. □

बागान मजदूरों का टी यू आई सेमिनार

ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल ग्राफ एग्रीकल्चरल, फारेस्ट्री एंड प्लांटेशन वर्कर्स (टी यू ग्राई ए एफ पी डब्ल्यू) ने ग्रपना एशियन रीजनल सेमिनार 6 ग्रौर 7 ग्रप्रैल को मद्रास में ग्रायोजित किया. एशिया के कृषि ग्रौर बागान मजदूरों द्वारा मालिकान तथा विदेशी कार्पोरेशनों की नीतियों के खिलाफ ग्रपनी सामाजिक व ग्रार्थिक मांगों के समर्थन में किए गए संघर्ष ही इस सेमिनार का विषय था.

सेमिनार में टी यू ग्राई, रुस, बंगलादेश, श्रीलंका ग्रौर भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था. टी यू ग्राई के महासचिव गेराल्ड लांगीयर ने कृषि तथा बागान मजदूरों की ग्रार्थिक स्थिति के बारे में तथा किस प्रकार से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उन्हें गरीबी में जकड़ रखा है, कि बारे में बताया.

ग्राल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन की सचिव विमल रणदिवे ने एक पेपर पेश किया ग्रौर महिला कामगारों को एकत्रित करने की ग्रावश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने सीटू द्वारा चलाए गए संघर्षों तथा मांगें हासिल करने पर प्रकाश डाला. □

हैंडलूम मजदूरों की कान्फ्रेंस

तमिलनाडु हैंडलूम वर्कर्स फेडरेशन (सीटू) की दूसरी कान्फ्रेंस 20 ग्रौर 21 मार्च को सेलम में संपन्न हुई. 8,400 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 121 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया. सचिव की रिपोर्ट पर बहस में 29 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. कान्फ्रेंस में हैंडलूम बिल, उचित वेतन, ग्रकाल सहायता, ग्रादि पर 28 प्रस्ताव ग्रपनाए गए. ज्योतिमय बसु ने भी इसमें भाग लिया था. □

महंगाई के आंकड़े

(ग्राधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1980 दिसं.	1981 जन.	1981 फर.
बिहार			
जमशेदपुर	379	378	387
झारिया	382	386	391
कोडर्मा	426	425	421
मोंघाइर	426	430	452
नोग्रामुंडी	377	381	408
गुजरात			
ग्रहमदाबाद	377	385	389
भाव नगर	408	412	414
हरियाणा			
यमुना नगर	432	439	449
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	421	426	420
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	424	432	433
भोपाल	413	420	430
ग्वालियर	423	428	443
इंदौर	428	442	454
महाराष्ट्र			
बंबई	408	409	420
नागपुर	404	411	421
शोलापुर	422	435	440
पंजाब			
ग्रमृतसर	425	425	426
राजस्थान			
ग्रजमेर	433	437	450
जयपुर	443	452	464
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	405	404	404
सहारनपुर	414	422	424
वाराणसी	475	480	483
पश्चिम बंगाल			
ग्रासन सोल	423	422	432
कलकत्ता	379	379	384
दार्जीलिंग	343	341	334
हावड़ा	375	370	377
जलपाइगुरी	332	331	337
रानीगंज	410	406	406
दिल्ली	430	434	434
भारत	408	411	418

एल आई सी कर्मचारियों के एकजुट आन्दोलन को सीटू का समर्थन

समूचे देश के एल आई सी कर्मचारी एल आई सी कानून के खिलाफ तथा अपनी बोनस की मांग के समर्थन में 2 अप्रल को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए. एल आई सी कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 9 अप्रैल को निम्नलिखित बयान जारी किया :

"सीटू एल आई सी कर्मचारियों को, एल आई सी कानून, जिसके जरिए सरकार ने पिछला समझौता और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अवैध करारा था, के खिलाफ एकजुट संघर्ष के लिए हार्दिक बधाई देती है. कर्मचारियों की शानदार एकता के द्वारा आठ दिन पुरानी हड़ताल से जीवन बीमा निगम में संपूर्ण काम ठप्प हो गया है और इस संघर्ष को लगातार समर्थन प्राप्त हो रहा है.

सीटू ने, सरकार से वेतन कटौती की नीति छोड़ने और सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले का सम्मान करके पिछले समझौते के अनुसार 1978-79 और 1979-80 के बोनस का भुगतान करने की मांग की है.

एल आई सी कर्मचारी वास्तव में सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार समेत तमाम ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए एल आई सी कानून के खिलाफ संघर्ष चलाकर पूरे देश के मजदूर वर्ग की लड़ाई की अगुआई कर रहे हैं. सीटू, इसलिए, मजदूरों और वेतनभोगी के तमाम संगठनों से अपील करती है कि वे उनके संघर्ष को सफल बनाने में हर संभव सहयोग दें."

इस दौरान, सीटू सचिव, नृसिंह चक्रवर्ती, इंद्रजीत गुप्त (एटक), डी. डी. वशिष्ठ (एच एम एस). और ओ. पी. आगी (बी एम एस) ने 8 अप्रैल को एक संयुक्त बयान में संपूर्ण मजदूर वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों को देश भर में 15 अप्रैल को 'बिरादराना एकता दिवस' मनाने का आह्वान किया और यह दिवस जन प्रदर्शन के जरिए मनाया गया.

सुप्रीम कोर्ट के एल आई सी अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर बोनस का भुगतान करने के फैसले से 15 अप्रैल को यह हड़ताल वापस ली गई.

बोनस का भुगतान न करने पर सीटू का विरोध

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 21 अप्रैल को निम्नलिखित बयान जारी किया :

सीटू, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एल. आई. सी. अधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर अपने कर्मचारियों को बोनस देने के निर्देश को पूरी बेंच की मांग के बहाने नाकाम करने की भारत सरकार की कोशिशों की, कड़ी आलोचना करती है. यह शर्म की बात है कि 1974 में सरकार की सहमति से, किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार एल. आई. सी. कर्मचारियों को अपने बोनस देने से इंकार करने के लिए अधिकारीगण अपने वायदे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुकर गए. मंत्रालय के कथित निर्णय सभी शंकाओं को दूर करता है कि सरकार एल. आई. सी. कर्मचारियों को जायज बोनस का भुगतान न करने के लिए कानूनन टालमटोल कर रही है.

सीटू ने मांग की है कि सरकार विलंबकारी रवैये और साथ ही न्यायिक प्रक्रिया का मखौल उड़ाना बंद करके फौरन एल. आई. सी. कर्मचारियों के बोनस के भुगतान की व्यवस्था करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करे.

सीटू तमाम ट्रेड यूनियन केन्द्रों तथा जनवादी लोगों से अपील करती है कि वे संघर्षरत एल. आई. सी. कर्मचारियों के समर्थन में अपनी आवाज बुलन्द करें ताकि सरकार को कर्मचारियों के साथ टकराव के रास्ते पर चलने से रोका जा सके. □

रजा टैक्सटाइल्स में हड़ताल : यू. पी. के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की सीटू द्वारा मांग

संसद सदस्य और सीटू महासचिव पी राममूर्ति ने 19 अप्रैल को निम्न बयान जारी किया:

सीटू उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पिछले पांच महीने से चल रही रजा टैक्सटाइल्ज रामपुर के तीन हजार मजदूरों की हड़ताल में प्रभावपूर्ण ढंग से हस्तक्षेप करने से इनकार करने के रवैये की निन्दा करती है. इन मजदूरों को यू. पी. की टैक्सटाइल मिलों और संपूर्ण भारत में सबसे कम मजदूरी मिलती है. इनकी मांग है कि इनको प्रबंधकों द्वारा उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा निश्चित मजदूरी दी जाए.

यह देखते हुए कि हड़ताल को तोड़ा नहीं जा सकता. उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रबन्धकों की पिट्ठू यूनियन (इंटक), जो हड़ताल से पहली शाम को बनी और जिसने किसी भी मांग को उठाये बिना मिल के हिस्सेदार के फैसले को मान लिया, को अपनाने का वीभत्स तरीका अपनाया.

सीटू यह मांग करती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रभावपूर्ण ढंग में इस मामले में हस्तक्षेप करें और प्रबन्धकों को इस बात के लिये बाध्य करे कि वह सरकार के पहले जारी किये गये आदेशों का पालन करे. उसे इस बात को महसूस करना चाहिये कि इसमें सरकार का विश्वास और सम्मान भी सम्मिलित है.

कृपया नोट कीजिए

हमारे कार्यालय में मनिआर्डर भेजते समय अपना पूरा पता साफ-साफ शब्दों में लिखना न भूलिए.

रेलवे कर्मचारियों पर दमन जारी

रेलवे कर्मचारियों के सभी आन्दोलनों को कुचलने की नीति जारी है. आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन ने अपनी वर्किंग कमेटी की 29 और 30 अप्रैल को बर्धवान में हुई बृहतर मीटिंग में 7,372 से भी अधिक कर्मचारियों को विभिन्न तरीकों से सजा दिए जाने से पैदा हुई स्थिति का जायजा लिया. उनके नेता अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में हैं. विक्टीमाईजेशन की स्थिति इस प्रकार थी :

1.	तुरंत बर्खास्त	642
2.	नौकरी से निकालना	58
3.	जबरन सेवामुक्त	586
4.	पद अवनत्ति	1,035
5.	सजाये तबदला	301
6.	मुअत्तिल	69
7.	गिरफ्तारी और अदालती केस	631
8.	चार्जशीट	1,050
9.	ब्रेक इन सर्विस	3,000
	कुल	7,372

सभा में इस बात को नोट किया गया कि अहमदाबाद और कलकत्ता हाई कोर्टों ने 'तुरंत बर्खास्तगी व जबरन सेवामुक्ति के 364 मामलों को "रोकने के आदेश" दिये थे. कानूनी राय यह थी कि सभी प्रकार छंटनी मनमाने ढंग की है और इन्हें कानूनी-अदालतों में चुनौती दी जा सकती है. सभा ने सभी मामलों पर कानूनी कदम उठाने का निर्णय लिया. इसने सभी रेलवों में संगठनात्मक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का भी निर्णय लिया. इस विषय में एक यात्रा-कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया. बैठक ने अभी सजाओं को वापिस लेकर स्थिति को सामान्य करने और लोको रनिंग स्टाफ की ग्रिवांस कमेटी को कार्यन्वित कराने के लिए रेल मंत्री से अपील करने का निर्णय लिया. एसोसियेशन ने सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा संसद सदस्यों, जिन्होंने इनकी सहायता की थी, का धन्यवाद किया और उनसे अपील की कि वे इस मामले में भी हस्तक्षेप करें.

पी. राममूर्ति संसद सदस्य और सीटू महासचिव तथा समर मुखर्जी संसद सदस्य व सीटू कोषाध्यक्ष ने रेल मन्त्री से विभिन्न हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को मध्येनजर रखते हुये इन मनमाने आदेशों को वापिस लेने के लिये अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि जहां कर्मचारियों को अपनी थोड़ी सी कमाई में से पैसा खर्च करना होता है वहां नौकरशाही अदालती मामलों में जनता का पैसा खर्च करती है इसलिये इस तरह से राष्ट्रीय धन को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिये.

इसी प्रकार की दमनकारी नीति रेलवे के दूसरे कर्मचारियों पर अपनाई जा रही है. सिगनल और टेलीको स्टाफ ने अपनी एसोसियेशन के अध्यक्ष एन.एस. भंगू और दूसरों की सजाए तबादला और विक्टीमाइजेशन का विरोध किया है और 30 मार्च को एक विशाल रैली के माध्यम से एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया जिसके जवाब में प्राधिकारियों ने दिल्ली क्षेत्र की एसोसियेशन के अधिकारियों के खिलाफ फिर से तबादले की सजा का रुख अपनाया. इसी बीच हाई कोर्ट ने एक रिट पेटीशन स्वीकार कर ली है और भंगू के तबादले को रोकने की आज्ञा दे दी है.

यही कार्यवाही उस समय एक बार फिर दोहराई गई जब स्टेशन मास्टरों, जिन्होंने पिछली फरवरी में लोक सभा में प्रार्थना प्रस्तुत की थी, ने 16 अप्रैल को कन्ट्रोल फोन के विरुद्ध अपना गुस्सा जाहिर किया था. एसोसियेशन के महासचिव द्वारा भेजे गये एक तार में यह बताया गया कि गिरफ्तारी, मुअत्तिल करने, दोष-पत्र देने और नौकरी से निकालने का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया गया. संसद सदस्य समर मुखर्जी ने एक पत्र में रेल मंत्री से एक बार फिर आपरेशन श्रेणी के रेल कर्मचारियों, जिनके ऊपर अधिक काम का बोझ लादा जाता है, की कठिनाइयों को सुलझाने का अनुरोध किया.

कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दोबारा बहाली के आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 6 मार्च के फैसले में एस. सी. घोष जो 1979 में ट्रैक्शन वर्कर्स एसोसियेशन के डिवीजनल सचिव थे, के ऊपर नियम 14(ii) के तहत थोपे गये नौकरी से हटाने के आदेश रद्द कर दिये. समीर घोष एडवोकेट ने एस. सी. घोष के मामले पर बहस की थी.

कानफ्रेंस व धरना

6 अप्रैल को एसोसियेशन के नेतृत्व में मन्त्रालय के कर्मचारियों ने लोक सभा की पैटीशन कमेटी के चेयरमैन के निवास स्थान पर धरना आयोजित किया. सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने सीटू की ओर से उनके संघर्ष को सहायता देने का आश्वासन देते हुए, कर्मचारियों को संबोधित किया.

7 और 8 अप्रैल को ए. आई. आर. एफ. के नेतृत्व में सिकन्दराबाद में, मन्त्रालय कर्मचारियों की एक कानफ्रेंस हुई. इससे पहले, मार्च के अन्तिम सप्ताह में अजमेर में वर्कशाप और आरटीजन स्टाफ की भी एक कानफ्रेंस हुई थी. वेतन-मान की पुनर्रचना के प्रश्न ने रेलवे कर्मचारियों को परेशान कर रखा है. □

मेडिकल एंड सेल्स...

[पृष्ठ 46 से आगे]

चीत के लिए बुलाया था.

7 और 8 अप्रैल को संसद के सामने बोट क्लब पर एक धरना आयोजित किया गया. भारत के विभिन्न राज्यों से आये 500 सदस्यों ने धरने में भाग लिया. 8 अप्रैल को एक प्रतिनिधिमंडल श्रम-मंत्री एन. डी. तिवारी से मिलने गया था. अंत में श्रम-मंत्रालय ने मांग-पत्र पर बहस करने के लिए मई के दूसरे सप्ताह में एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाना स्वीकार किया.

इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इन मांगों के संबंध में अपने विचार भेजे जिन पर संबंधित मंत्रालय में बहस जारी है. □

आने वाले संघर्षों के लिए तैयार रहो

[पृष्ठ 10 से आगे]

भारत के मजदूर वर्ग को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि भारत की वर्तमान स्थिति, प्रजातंत्र के तानेबाने को कमजोर व खत्म करने के लिए, साम्राज्यवाद को उपजाऊ भूमि प्रदान करती है. बढ़ते हुए आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में मेहनतकश जनता को जबरदस्त संघर्षों के क्षेत्र में ला कर खड़ा कर दिया है. बूर्जुवा जमींदार पार्टियों की सरकारों के खिलाफ ऐसे संघर्षों से बचने की आड़ में पृथकतावादी, अंध-राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक ताकतों का खेतों, कारखानों, स्कूलों, कालेजों और दफ्तरों में प्रजातांत्रिक जनता की जुझारू एकता को भंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

कामगार लोगों और विशेष रूप से सभी श्रेणियों के किसानों के बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए, इन्दिरा गांधी की सरकार ने खुल्लमखुला जनवाद-विरोधी कई कदम उठाए हैं और लोगों ने कांग्रेस (आई) शासित राज्यों में पहले से ही यह अनुभव कर लिया है कि निकट भविष्य में इससे ज्यादा और क्या होने वाला है.

आज इस हमेशा-प्रेरणा देने वाले दिन "मई दिवस" पर मजदूर वर्ग के पास संघर्षों का सामना करने के लिए एक विशाल योजना है और उसे प्रतीज्ञा करनी है. 1981 का मई दिवस, 1975 का मई दिवस नहीं है. मजदूर वर्ग अब असंख्य वर्ग-संघर्षों और जनवादी संघर्षों में इस्पात की तरह मजबूत हो गया है और इसने पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा के तीन राज्यों में तीन वामपंथी और वामपंथी व जनवादी सरकारों को जन्म दिया है. इन सरकारों ने श्रीमती गांधी की नींद हराम कर दी है. मजदूर वर्ग को यह अवश्य याद रखना चाहिए कि यह लड़ाई केवल उनकी अपनी लड़ाई नहीं है बल्कि तमाम जनता जो स्वतन्त्रता और जनवाद को प्यार करती है, के भविष्य की लड़ाई है. कामगार जनता का शोषण से अन्तिम रूप से छुटकारा पाना इस बात पर निर्भर करता है कि वे राष्ट्रीय सर्वोच्चता, राष्ट्रीय एकता और जनवाद की कितने अच्छे ढंग से रक्षा करते हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके जीवन-यापन पर हमलों का कितनी ताकत से मुकाबला करते हैं. □

फुलवारी शरीफ में टैक्सटाइल मजदूरों की कानफ्रेंस

फुलवारी शरीफ की टैक्सटाइल 11वीं सालाना कानफ्रेंस 12 मार्च को पटना में हुई. चंडी प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की.

यूनियन के महासचिव जगलाल पासवान ने कार्य की रिपोर्ट पेश की. कानफ्रेंस में जमशेदपुर के संघर्षरत ठेका मजदूरों के समर्थन में, गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई की मांग, एल आई सी अध्यादेश के खिलाफ, आदि अनेक प्रस्ताव स्वीकार किए गए.

कानफ्रेंस ने, चंडी प्रसाद को यूनियन का अध्यक्ष और जगलाल पासवान को महामंत्री चुना. □

बिहार विद्युत मजदूरों का कनवेंशन

बिहार राज्य विद्युत परिषद फील्ड कामगार यूनियन का वार्षिक कनवेंशन 8-10 मार्च को पटना में हुआ. 300 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया. इसका उद्घाटन सांसद आनंद पाठक ने किया और सांसद एस. जी लेपचा मुख्य अतिथि थे.

यूनियन के महासचिव जुल्फीखर खां ने कार्य रिपोर्ट पेश करते समय वर्तमान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक हालात पर प्रकाश डाला.

इसमें, एल आई सी आध्यादेश के, जमशेदपुर के ठेका मजदूरों पर दमन के, महंगाई आदि के खिलाफ तथा किसानों के आंदोलन के समर्थन में अनेक प्रस्ताव अपनाए गए.

इसने राम प्रसाद सिंह को अध्यक्ष तथा जुल्फीकार खां को महासचिव चुना. 10 मार्च को एक आम सभा भी आयोजित की गई थी. □

भेल संयुक्त मंच

[पृष्ठ 53 से आगे]

रुपये से बढ़ाकर 12 रु० किये जाने का निर्णय किया गया. एकरूपता बरतने के विचार से ढलाई का काम करने वाले मजदूरों को खतरा भत्ते के सवाल पर अध्ययन करने पर सहमति की गई. बैठक में कारीगरों को दूसरे मजदूरों के बराबर लाने के लिये पीछे की तिथि निश्चित करने पर भी सहमति हुई. कर्मचारियों के लिये त्यौहार अग्रिम राशि को 300 रु० से बढ़ाकर 500 रु० कर दिया गया है. प्रबन्ध ने सी सी ए और एच आर ए पर कोई आश्वासन तो नहीं दिया लेकिन 20 मई 1981 को नई दिल्ली में होने वाली अगली बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने को सहमत हो गई. □

ठेका मजदूरों का संघर्ष

[पृष्ठ 41 से आगे]

मुअत्तिली के आदेश तथा हड़ताल के दौरान के सभी मामलों को वापस लिया जाए.

एस. डी. ओ. के कार्यालय के बाहर यह जुलूस एक रैली में बदल गया जिसे चंडी प्रसाद, के. के. त्रिपाठी, एस. के. बख्शी और अन्यों ने संबोधित किया. □

जे. के. रेयान मजदूरों द्वारा धरना

कानपुर की जे. के. रेयान के मजदूरों ने 28 अप्रैल से तालाबंदी करने की धमकी, ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं पर हमलों के खिलाफ तथा अपनी जायज मांगों के समर्थन में 27 अप्रैल को कमला टावर पर एक शांतिपूर्वक धरना आयोजित किया. वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मिल में धमकी के अनुसार तालाबंदी की गई तो मजदूर सभी जे.के. ग्रुप यूनिटों में हड़ताल आयोजित करने को मजबूर हो जाएंगे. □

सिरसा में गोपीचंद टैक्सटाइल मिल्स के मजदूरों पर गोलीबारी

सिरसा की गोपीचंद टैक्सटाइल मिल के शांतिपूर्वक संघर्षरत मजदूरों पर हरियाणा की पुलिस ने 27 अप्रैल को गोलीबारी की जिससे ग्यारह मजदूर घायल हुए. पुलिस खुलेआम मिल के मालिकान का समर्थन कर रही है और मजदूरों को डराने के लिए हर प्रकार के तरीके अपना रही है. इससे पहले, 19 मार्च को मालिकान के गुंडों ने मजदूरों पर गोलीबारी की थी और तभी से मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.

इस मिल के मजदूरों को कोई कानूनन सुविधाएं नहीं हैं जबकि यह मिल 18 सालों से कार्यरत है. बिना किसी आराम और साप्ताहिक छुट्टियों के ही मजदूरों से सिंगल रेट ओवर-टाइम पर जबरन काम कराया जाता है. मिल में लगभग 1,400 मजदूर हैं लेकिन उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. ई एस आई स्कीम को लागू नहीं कराया गया जबकि इसे 1968-70 के दौरान ही सहमति मिल गई थी. जब-जब मजदूरों ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें, जिला प्रशासन और श्रम विभाग के सहयोग से मालिकान के पालतू गुंडों द्वारा परेशानी का शिकार बनना पड़ता था. इसके अतिरिक्त, मजदूरों को केवल 150-200 रुपये वेतन मिलता है जबकि हरियाणा सरकार ने 295 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है.

जब मिलों के मजदूर अपनी शिकायतों के लिए सीटू यूनियन को संगठित करने की कोशिश और मिल के गेट के बाहर 19 मार्च को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो मालिकान के गुंडों ने गोलीबारी की और 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने इन गुंडों के खिलाफ एक मामला दायर किया लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. मालिकान के नीच नजरिए के खिलाफ मजदूर उसी दिन स्वेच्छा से हड़ताल पर चले गए जिन्हें इन गुंडों द्वारा खुलेआम डराने, धमकाने के लिए इजाजत दे दी गई थी.

हालांकि यह संघर्ष शांतिपूर्वक ढंग से चलाया गया था लेकिन मालिकान ने पुलिस की सहायता से हड़ताल को दबाने के लिए धोखेबाजों को भर्ती करने की योजना बनाई. जब महिला कामगारों ने हड़ताल तोड़ने की इन कार्यवाहियों के खिलाफ 27 अप्रैल को एक धरना आयोजित किया तो पुलिस ने उन्हें अश्लील गालियां दीं. जब पुरुष कामगारों ने इस भाषा का विरोध किया तो पुलिस ने उनपर लाठी-चार्ज किया जिससे अनेक मजदूर घायल हुए. दो पुलिस कर्मियों को चोटें आने के बहाने पुलिस ने गोलीबारी की जिससे लगभग 11 मजदूर घायल हुए. घायल मजदूरों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस लाक-अप में दोबारा पीटा गया.

28 अप्रैल को, सिरसा एंप्लाईज कोआर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष, जे.पी. पांडे को प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय गिरफ्तार किया गया और जनता के सामने तथा पुलिस लाक-अप में निर्दयता से पीटा गया. उन्हें मित्रों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया.

26 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने हड़ताल को गैरकानूनी घोषित कर दिया. दूसरी ओर मालिकान के खिलाफ, जो लगातार गैरकानूनी ढंग से न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन दिए जा रहे हैं, सरकार ने नाममात्र के लिए भी उंगली नहीं उठाई. इससे साफ जाहिर है कि हरियाणा सरकार शोषकों का बेशर्मी से साथ सहयोग दे रही है.

समक्ष जानकारी के लिए, सांसद, एम. एम. लारेंस एव सत्य गोपाल मिश्रा 29 अप्रैल को सिरसा गये. वहां उन्होंने देखा कि हरियाणा श्रम विभाग का कोई भी पदाधिकारी सिरसा नहीं गया था जहां काफी लंबे समय से एक विवाद जारी है. उन्होंने एस. पी. और डी. सी. से आंतक भरा वातावरण खत्म करने तथा मजदूरों की शिकायतों को सीधे बातचीत के जरिए हल कराने में सहायता करने का अनुरोध किया. मजदूरों के खिलाफ पुलिस गोलीबारी तथा अन्य दमनात्मक तरीकों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने घटना की जांच की मांग की और राज्य के मुख्यमंत्री से इस विवाद में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया.

यदि संबंधित अधिकारी और मालिकान इसपर कोई कार्यवाही नहीं करते तो सीटू को इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने पर बाध्य होना पड़ेगा.

प्रेस में इसे छपते वक्त हमें खबर मिली कि पुलिस की सहायता से पालतू गुंडों ने 30 अप्रैल की रात को मजदूरों की कालोनी पर हमला किया और मजदूरों का सामान लूट लिया. मजदूरों को और ज्यादा तंग करने के लिए उनकी बिजली तथा पानी की पूर्ति काट दी गई. □

सीटू मजदूर

एक जरुरी सूचना

हमें खेद है कि यह मई विशेषांक अनेक कठिनाइयों के कारण समय पर प्रकाशित नहीं हो सका.

सीटू मजदूर का जून अंक अब जुलाई अंक के साथ संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाएगा.

—मैनेजर

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)
पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय
नीरेन घोष — सुधीन कुमार
एम. के. पंधे (संपादक)

शिक्षा क्षेत्र में वाम मोर्चा सरकार की सेवा

1977 और 1981 के दौरान शिक्षा क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धियां हैं :

शिक्षा संस्थानों में सामान्य स्थिति बहाल, परीक्षाओं के परिणामों का समय से प्रकाशन और शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों को वेतन की नियमित रूप से अदायगी ;

3,400 स्कूल-रहित गांवों में प्राथमिक स्कूल खोले गए, 4,000 प्राथमिक स्कूलों की नई इमारतें बनाई गई, स्कूलों के 31,00,000 बच्चों को मुफ्त खाने की सप्लाई, स्कूलों के सभी बच्चों में सभी भाषाओं में किताबें, अभ्यास पुस्तिकाएं और स्लेटें मुफ्त बांटी गई, छात्राओं को ड्रेसों की मुफ्त सप्लाई, प्राथमिक स्कूलों में क्रीड़ा और खेलकूद चालू, और 13,800 नए प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति ;

900 नए माध्यमिक स्कूल खोले गए, सभी संस्थानों को अनुदान, 2,500 माध्यमिक स्कूलों की इमारतों का निर्माण, माध्यमिक स्तर पर पाठ्क पुस्तकों की मुफ्त सप्लाई, क्रीड़ा और खेलकूद को बढ़ावा, प्रयोगशालाओं का विकास, 10,000 नए प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में जीवन संबंधी पाठ्यक्रम लागू, प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, सैकंडरी एजुकेशन एक्ट, युनिवर्सिटी एक्ट और पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट जैसे जनवादी कानून, और स्टेट एजुकेशनल रिसर्च व ट्रेनिंग बोर्ड की स्थापना ;

1,575 नए ग्राम पुस्तकालय खोले गए जबकि पहले कुल 701 थे, पुस्तकालयों को अनुदान में दस गुना वृद्धि, निजी पुस्तकालयों को अनुदान शुरू और कलकत्ता मैट्रोपोलिटन लाइब्रेरी की स्थापना.

—पश्चिम बंगाल सरकार

Regd. No. D(C) 833

मजदूरों के खून में रंगे मई दिवस के झंडे के नाम क्रांतिकारी सलाम

1 मई, 1886. शिकागो, अमरीका, में 8 घंटे के काम के दिन की मांग कर रहे संगठित मजदूर आंदोलन को, शासकों के वहशी हमले का सामना करना पड़ा.

मजदूरों का खून बहा और अनेक की जानें गयीं.

तभी से 1 मई का गौरवपूर्ण दिन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बन गया, सामाजिक क्रांति के जरिये, हर तरह के वर्गीय विभेदों को खत्म करने के दृढ़ निश्चय का दिन बन गया. आज ! इस देश के निहित स्वार्थ, क्रांतिकारी प्रेरणा के इस शाश्वत स्रोत को, इस महान झंडे को झुकाना चाहते हैं. सांप्रदायिक ताकतें, विघटन की अपनी साजिशों के जरिये, मेहनतकश जनता की एकजुटता को तोड़ने पर आमादा हैं. वे, बेशर्मी के साथ, मेहनतकशों की अपराजेय शक्ति के विरुद्ध अपने हथियार पैने कर रही हैं, वाम मोर्चा सरकार, पश्चिम बंगाल को संगठित मजदूर वर्ग का अजेय दुर्ग बनाने के लिए, उनके सारे आर्थिक अधिकारों को स्थापित करने और लोकतंत्र तथा जनवादी अधिकारों की उनकी लड़ाई में साथ देने के लिए, कृतसंकल्प है.

मजदूरों के खून से रंगे मई दिवस के झंडे को हमारा क्रांतिकारी अभिनंदन.

—पश्चिम बंगाल सरकार

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डी.ए. शेडस्, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित